दिनांक 18 MAR 2009 को विधानसभा
में प्रस्तुत की गई।

भारत के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष

(राजस्व प्राप्तियाँ)

मध्य प्रदेश सरकार

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii
	अध्याय – 1 : सामान्य	
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं	4
1.3	संग्रहण की लागत	5
1.4	बकाया राजस्व का विश्लेषण	6
1.5	निर्धारण का बकाया	7
1.6	कर अपवंचन	7
1.7	वापसियां	8
1.8	लेखापरीक्षा के परिणाम	9
1.9	उत्तरदायित्व लागू करने एवं शासकीय हितों की रक्षा कर पाने में विफलता	9
1.10	प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर	10
1.11	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	10
1.12	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	11
1.13	विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	11
	अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर	
2.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	13
2.2	बंद हुई इकाईयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न होना	14
2.3	कर का अनारोपण/कम आरोपण	14
2.4	कर मुक्ति की गलत स्वीकृति	18
2.5	व्यवसाय कर की वसूली न होना	21
2.6	कर की गलत दर का लागू किया जाना	22
2.7	गलत ढंग से कर मुक्त माने गये विक्रयों पर कर का अनारोपण	23
2.8	शास्ति कर का अनारोपण/कम आरोपण	25
2.9	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	27
2.10	कर प्रदत्त विक्रय की गलत कटौती	28

विषय सूची

2.11	कर की गणना में त्रुटि	29
2.12	अधिभार का अनारोपण	30
2.13	कर योग्य टर्न ओवर का गलत निर्धारण	31
2.14	गलत कटौती की अनुमति के कारण कर का कम आरोपण	33
2.15	मूल्य संवर्धित कर (वेट) का अनारोपण/कम आरोपण	33
2.16	राज्य के भीतर विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण	34
2.17	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण	35
अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
3.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	37
3.2	निर्यात की गई विदेशी मदिरा/बीयर की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	38
3.3	स्पिरिट, शीरे तथा विदेशी मदिरा का निवर्तन न किये जाने के कारण आबकारी शुल्क की वसूली न होना	39
3.4	आसवनी में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किया जाना	40
3.5	पुनर्आसवन में स्पिरिट की छीजन की गलत छूट	40
3.6	विदेशी मदिरा का निवर्तन न किये जाने के कारण आबकारी शुल्क प्राप्त न होना	41
3.7	विदेशी मदिरा की अमान्य छीजन	42
3.8	विदेशी मदिरा के निर्यात तथा परिवहन में अमान्य हानि तथा उसका कम लेखांकन	42
3.9	अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण शास्ति का अनारोपण	43
3.10	बोतल बंद देशी मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर शुल्क की वसूली न करना	44
3.11	स्पिरिट/देशी मदिरा की अमान्य छीजन	44
3.12	लाटरी पद्धति के तहत दुकानों के पुनर्विक्रय से हुई हानि की वसूली का प्रावधान न होना	45
अध्याय – 4 : वाहनों पर कर		
4.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	47
4.2	वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	48
4.3	अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञाओं पर संचालित मैक्सीकेब से जीवनकाल कर की शेष राशि एवं शास्ति की वसूली करने में विभाग की विफलता	50

4.4	निम्नतर दरों पर कर जमा करने के कारण लोक सेवा वाहन पर कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण	50
4.5	संविदा वाहनों पर वाहन कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण	51
4.6	पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत प्रति हस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर संचालित अन्य राज्यों के मोटर वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	52
4.7	वाहन कर की हानि	53
4.8	संविदा वाहनों के रूप में उपयोग किये गये निजी वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	54
4.9	वाहन कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति आरोपण में विफलता	54
4.10	अनुज्ञापत्र के बिना/अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन कर संचालित किये गये लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर तथा प्रशमन शुल्क की वसूली न होना/कम वसूली होना	55
4.11	माल वाहनों की ओवरलोडिंग पर प्रशमन शुल्क की कम वसूली	56
4.12	अन्तर्राज्यीय मार्गो पर संचालित किये गये अन्य राज्यों के लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	56
अध्याय – 5 : अन्य कर प्राप्तियां		
5.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	59
क : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
5.2	**मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण तथा आरोपण**	61
ख : मनोरंजन शुल्क		
5.3	केबल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना	83
5.4	सिनेमागृहों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण	83
5.5	विज्ञापन कर का अनारोपण/वसूली न होना	84
ग : भू–राजस्व		
5.6	व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थदण्ड की मांग सृजित न करना	85
5.7	अग्रिम अधिपत्य के प्रकरण में प्रत्याशित प्रब्याजि एवं भू–भाटक की वसूली न होने के कारण राजस्व प्राप्त न होना	85
5.8	कुर्क की हुई सम्पत्ति का निराकरण न होने के कारण राजस्व प्राप्त न होना	86
5.9	वसूली प्रभार की वसूली न होना	87
5.10	प्रक्रिया व्यय का आरोपण/वसूली न होना	87

अध्याय – 6 : वन प्राप्तियां		
6.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	89
6.2	इमारती काष्ठ के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि	90
6.3	पुष्पित बांस क्षेत्र में बांस के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि	91
अध्याय – 7 : खनन प्राप्तियां		
7.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	93
7.2	**मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियां**	94
अध्याय – 8 : अन्य कर–भिन्न प्राप्तियां		
8.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	115
क : विद्युत शुल्क		
8.2	निरीक्षण फीस की वसूली न होना	116
8.3	शास्ति का अनारोपण	117
8.4	विभाग की निष्क्रियता के कारण राजस्व का निरूद्ध होना	118
8.5	विद्युत शुल्क का कम आरोपण	119
ख : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
8.6	ऋण के विलंबित भुगतान/पुनर्भुगतान न करने पर ब्याज का अनारोपण	120

प्रस्तावना

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा की जाती है । इस प्रतिवेदन में राज्य के वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां, खनन प्राप्तियॉं तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किये गए हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2007–08 की अवधि के मध्य नमूना लेखा परीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षों में दृष्टिगत हुए परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 623.43 करोड़ रूपये के कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित दो समीक्षाओं सहित 55 कंडिकायें सम्मिलित हैं । कुछ मुख्य निष्कर्षो का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

- विगत वर्ष में 25,694.28 करोड़ रूपये के विरूद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 30,688.73 करोड़ रूपये थीं । इस राशि का 48 प्रतिशत राज्य द्वारा कर राजस्व (12,017.64 करोड़ रूपये) तथा कर–भिन्न राजस्व (2,738.18 करोड़ रूपये) के रूप में वसूल किया गया । शेष 52 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (10,203.50 करोड़ रूपये) तथा सहायता अनुदान (5,729.41 करोड़ रूपये) के रूप में प्राप्त हुआ ।

(कंडिका 1.1)

- विक्रय कर, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां, तथा अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2007–08 के दौरान की गई नमूना जांच में 4,48,574 प्रकरणों में 1,069.85 करोड़ रूपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला ।

(कंडिका 1.8)

II. वाणिज्यिक कर

- पात्रता प्रमाण पत्रों का निरस्तीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप बंद इकाईयों से 75.34 करोड़ रूपये के वाणिज्यिक कर की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 2.2)

- कर के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप 7.05 करोड़ रूपये के राजस्व, 43.36 लाख रूपये की शास्ति तथा 6.46 लाख रूपये के ब्याज की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.3)

- कर मुक्ति की गलत छूट प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रूपये के ब्याज एवं शास्ति सहित 6.20 करोड़ रूपये के कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.4)

- व्यवसाईयों का पंजीयन न किये जाने के परिणामस्वरूप 2.07 करोड़ रूपये के व्यवसाय कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.5)

- कर की गलत दर लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 1.50 करोड़ रूपये के कर तथा 76,000 रूपये के ब्याज का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.6)

- कर मुक्त विक्रयों की गलत कटौती के परिणामस्वरूप 1.23 करोड़ रूपये के कर तथा 28.63 लाख रूपये की शास्ति की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.7)

- शास्ति के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप 1.42 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.8)

- प्रवेश कर के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप 34.39 लाख रूपये के राजस्व तथा 2.89 लाख रूपये के ब्याज/शास्ति की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.9)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

- निर्धारित अवधि के भीतर विदेशी मदिरा के निर्यात के सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति न होने के परिणामस्वरूप 4.02 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 3.2)

- स्पिरिट, शीरे तथा विदेशी मदिरा का निवर्तन न किये जाने के परिणामस्वरूप 1.26 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 3.3)

- आसवनियों द्वारा न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किये जाने पर 1.14 करोड़ रूपये की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई ।

(कंडिका 3.4)

- पुनर्आसवन में स्पिरिट की छीजन की गलत छूट दिये जाने के परिणामस्वरूप 1.02 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 3.5)

IV. वाहनों पर कर

- 4,228 वाहनों पर 7.14 करोड़ रूपये की शास्ति सहित 19.23 करोड़ रूपयै के वाहन कर का न तो भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई ।

(कंडिका 4.2)

- जीवन काल कर की शेष राशि को वसूल करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 28.66 लाख रूपये के राजस्व तथा 26.26 लाख रूपये की शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 4.3)

- वाहन स्वामियों द्वारा गलत दरों से कर का भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप 44.18 लाख रूपये के कर तथा 19.79 लाख रूपये की शास्ति की कम वसूली हुई ।

(कंडिका 4.4 तथा 4.5)

- प्रति हस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर संचालित किये जा रहे अन्य राज्यों के मोटर वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति के अनारोपण के परिणामस्वरूप 6.35 लाख रूपये की शास्ति सहित 19.18 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 4.6)

V. अन्य कर प्राप्तियां

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण तथा आरोपण की समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए :

- मांग सृजित करने के पश्चात राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए समय सीमा के स्पष्ट प्रावधान की कमी के कारण 5.08 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति न होना ।

(कंडिका 5.2.8)

- अन्य विभागों के साथ समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप 53.28 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 5.2.9)

- 7.67 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम निर्धारण/आरोपण ।

(कंडिका 5.2.12)

- गलत दरों के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 4.21 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम बसूली हुई ।

(कंडिका 5.2.13)

- पट्टा विलेखों का पंजीयन न किये जाने के परिणामस्वरूप 4.13 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.2.14)

- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति न किए जाने के कारण 3.49 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रप्ति न होना ।

(कंडिका 5.2.15)

- लिखतों के अवमूल्यांकन के कारण 1.85 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण ।

(कंडिका 5.2.16)

- दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 1.81 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 5.2.17)

- कर मुक्ति की गलत स्वीकृति के कारण 1.29 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण ।

(कंडिका 5.2.18)

मनोरंजन शुल्क

- केबल संचालकों तथा होटल मालिकों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करने के परिणामस्वरूप 32.57 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.3)

- सिनेमा घरों पर मनोरंजन शुल्क का आरोपण न करने के परिणामस्वरूप 20.49 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.4)

भू – राजस्व

- विभाग द्वारा प्रब्याजि, व्यपवर्तन लगान तथा अर्थदण्ड की मांग सृजित न करने के परिणामस्वरूप 2.80 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.6)

- अग्रिम कब्जे के प्रकरण में प्रत्याशित प्रब्याजि तथा भू–भाटक की वसूली न करने के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.7)

- कुर्क सम्पत्तियों का निराकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप 66.23 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.8)

- पंचायती राज निधि से वसूली प्रभारों की कटौती न किये जाने के परिणामस्वरूप 56.33 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.9)

VI. वन प्राप्तियां

- इमारती लकड़ी के कम उत्पादन के कारण 73.02 लाख रूपये के राजस्व की हानि।

(कंडिका 6.2)

VII. खनन प्राप्तियां

मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियां पर समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए :

- पट्टाधारकों से विवरणियों की प्राप्ति का परिवीक्षण करने हेतु अभिलेखों का संधारण न किये जाने के कारण 2.44 करोड़ रूपये की शास्ति का अधिरोपण न किया जाना ।

(कंडिका 7.2.9)

- मांग एवं वसूली पंजी के परिवीक्षण हेतु किसी प्रणाली को निर्धारित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 54.70 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 7.2.10)

- खनिजों के उत्खनन के आंकड़ों का अन्य विभागों के साथ प्रति–सत्यापन करने हेतु किसी प्रणाली के न होने के परिणामस्वरूप 1.03 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 7.2.12)

- 327.30 करोड़ रूपये के सड़क विकास कर का अनिर्धारण/कम निर्धारण ।

(कंडिका 7.2.18)

- अस्थायी अनुज्ञापत्रों को अनियमित रूप से जारी किए जाने के कारण 1.36 करोड़ रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति ।

(कंडिका 7.2.20)

- मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा 7.98 करोड़ रूपये के राज्यांश का कम भुगतान ।

(कंडिका 7.2.21)

VIII. अन्य कर–भिन्न प्राप्तियां

विद्युत शुल्क

- विद्युत संस्थापनाओं के स्वामियों से निरीक्षण फीस वसूल करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 1.31 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 8.2)

- नियमों के उल्लंघन के लिए विद्युत संस्थापनाओं के स्वामियों पर शास्ति का अधिरोपण न किये जाने के परिणामस्वरूप 46.03 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 8.3)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- ऋणों के विलंबित भुगतान/भुगतान न किये जाने पर ब्याज के अनारोपण के परिणामस्वरूप 21.15 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 8.6)

अध्याय – 1 : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
I.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	6,788.86	7,772.97	9,114.70	10,473.13	12,017.64
	• कर–भिन्न राजस्व	1,479.82	4,461.86	2,208.20	2,658.46	2,738.18
	योग	**8,268.68**	**12,234.83**	**11,322.90**	**13,131.59**	**14,755.82**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	4,247.14	5,076.68	6,341.35	8,088.54	10,203.50[1]
	• सहायता अनुदान	1,773.14	2,431.74	2,932.54	4,474.15	5,729.41
	योग	**6,020.28**	**7,508.42**	**9,273.89**	**12,562.69**	**15,932.91**
III.	**राज्य की कुल प्राप्तियां**	**14,288.96**	**19,743.25**	**20,596.79**	**25,694.28**	**30,688.73**
IV.	**III से I का प्रतिशत**	**58**	**62**	**55**	**51**	**48**

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2007–08 के वित्त लेखे के विवरण पत्रक क्रमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से" का अवलोकन करें । शीर्ष " 0021 निगम कर से भिन्न आय पर कर राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान' में शामिल किया गया है ।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि पूर्ववर्ती वर्ष में 51 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (30,688.73 करोड़ रूपये) का 48 प्रतिशत था। वर्ष 2007–08 के दौरान प्राप्तियों का शेष 52 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

1.1.2 वर्ष 2003–04 से 2007–2008 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2006–07 की तुलना में 2007–08 में वृद्धि (+) / कमी (–) का प्रतिशत
1.	• विक्रय कर • केन्द्रीय विक्रय कर	3,293.26	3,912.01	4,508.42	5,261.41	6,045.07	(+) 14.89
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,085.89	1,192.36	1,370.38	1,546.68	1,853.83	(+) 19.86
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	614.49	788.71	1,009.48	1,251.10	1,531.54	(+) 22.42
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	390.99	468.07	578.58	744.60	916.44	(+) 23.08
5.	वाहनों पर कर	454.92	488.65	556.02	634.30	702.62	(+) 10.77
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	697.06	707.18	842.27	714.55	626.08	(-) 12.38
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	188.90	150.21	153.08	163.81	185.02	(+) 12.95
8.	भू–राजस्व	43.63	46.80	77.16	132.21	129.15	(-) 2.31
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	15.32	14.28	14.15	19.55	20.10	(+) 2.81

10.	होटल प्राप्तियां	4.40	4.75	5.37	4.92	7.79	(+)58.33
योग		**6,788.86**	**7,772.92**	**9,114.39**	**10,473.13**	**12,017.64**	

विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :–

1. **विक्रय कर** : 14.89 प्रतिशत की वृद्धि का कारण मूल्यों में वृद्धि तथा विशेष वसूली अभियान को बताया गया ।
2. **राज्य उत्पाद शुल्क** : 19.86 प्रतिशत की वृद्धि का कारण नीलाम राशि में वृद्धि को बताया गया ।
3. **मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस** : 22.42 प्रतिशत की वृद्धि का कारण पंजीबद्ध दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि को बताया गया ।
4. **वाहनों पर कर** : 10.77 प्रतिशत की वृद्धि का कारण कम्प्यूटरीकरण को बताया गया ।
5. **होटल प्राप्तियां** : 58.33 प्रतिशत की वृद्धि का कारण नवीन होटलों को दी गई छूट की अवधि का खत्म होना बताया गया ।

1.1.3 वर्ष 2003–04 से 2007–08 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर-भिन्न राजस्व के विवरण निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2006–07 की तुलना में 2007–08 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	646.71	733.72	815.31	923.91	1,125.39	(+) 21.81
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	496.75	559.11	490.40	536.50	608.89	(+) 13.49
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	22.92	79.61	21.30	736.58	374.60	(-) 49.14
4.	ब्याज प्राप्तियां	19.22	25.90	527.20	132.73	206.98	(+) 55.94
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	135.61	2,893.52	139.82	148.24	206.42	(+) 39.25
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	51.07	50.78	67.20	59.55	68.15	(+) 14.44
7.	वृहद एव मध्यम सिंचाई	37.80	37.92	29.57	29.82	37.42	(+) 25.49
8.	सहकारिता	15.60	17.92	14.23	18.54	29.29	(+) 57.98
9.	पुलिस	24.99	23.23	26.16	24.26	25.03	(+) 3.17
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	10.98	16.76	11.73	20.88	21.93	(+) 5.03
11.	लोक निर्माण	9.09	9.94	53.08	16.39	20.33	(+) 24.04

12.	शिक्षा, खेल, कला एव संस्कृति	9.08	13.45	12.20	11.06	13.75	(+) 24.32
योग		**1,479.82**	**4,461.86**	**2,208.20**	**2,658.46**	**2,738.18**	

विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताऐ गये :

(1) **अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म :** 21.81 प्रतिशत की वृद्धि का कारण कोयले पर राज्यांश का पुनरीक्षित होना तथा विभाग की सतत् निगरानी को बताया गया ।

(2) **वानिकी एवं वन्य जीवन :** 13.49 प्रतिशत की वृद्धि का कारण वनोपज की बिक्री में वृद्धि को बताया गया ।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं

(क) कर एवं कर–भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों में वर्ष 2007–08 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नताएं नीचे दर्शाई गई हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+) या कमी (–)	बजट अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत
क.	**कर राजस्व**				
1.	विक्रय कर	5,700.00	6,045.07	(+) 345.07	(+) 6.05
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,750.00	1,853.83	(+) 103.83	(+) 5.93
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	1,400.00	1,531.54	(+) 131.54	(+) 9.40
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	832.00	626.08	(-) 205.92	(-) 24.75
5.	भू–राजस्व	130.00	129.15	(-) 0.85	(-) 0.65

ख. कर–भिन्न राजस्व					
1.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1,080.00	1,125.39	(+) 45.39	(+) 4.20
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	543.00	608.89	(+) 65.89	(+) 12.13

वर्ष 2007–08 के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के कारण संबंधित विभागों द्वारा निम्नानुसार बताये गये :

(1) **विद्युत पर कर एवं शुल्क :** 24.75 प्रतिशत की कमी का कारण म.प्र.रा.वि.मं. का वर्ष 2007–08 से संबंधित 495 करोड़ रुपये का समायोजित न होना बताया गया ।

(2) **वानिकी एवं वन्य जीवन :** 12.13 प्रतिशत की वृद्धि का कारण वनोपज की लक्ष्य से अधिक बिक्री को बताया गया ।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर संबंधित विभागों द्वारा बताया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किए गए ऐसे व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2006–07 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार था :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2006–07 में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
1.	विक्रय कर	2005-06	4,508.42	50.41	1.12	0.82
		2006-07	5,261.41	48.20	0.92	
		2007-08	6,045.07	60.36	1. 0	
2.	वाहनों पर कर तथा माल एवं यात्रियों पर कर	2005-06	1,134.60	7.54	0.66	2.47
		2006-07	1,378.90	6.41	0.46	
		2007-08	702.62	7.60	1.08	
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2005-06	1,370.38	289.53	21.13	3.30
		2006-07	1,546.68	303.79	19.64	
		2007-08	1,853.83	396.04	21.36	

4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2005-06 2006-07 2007-08	1,009.48 1,251.10 1,531.54	28.63 36.48 44.54	2.83 2.91 2.90	2.33

इस प्रकार विक्रय कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से उल्लेखनीय रूप से अधिक था तथा शासन द्वारा इस संबंध में ध्यान देने की जरूरत है । राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के संबंध में जहां संग्रहण की लागत असाधारण रूप से राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से अधिक है, विभाग द्वारा संग्रहण पर व्यय की अधिकता का कारण यह बताया गया कि विनिर्माताओं को मदिरा की कीमत का भुगतान व्यय हेतु प्रावधानित बजट में से किया जाता है जो वर्ष 2007–08 के दौरान 320.20 करोड़ रुपये था ।

1.4 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2008 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में बकाया राजस्व की राशि 786.54 करोड़ रुपये थी जिसमें से 239.62 करोड़ रुपये (परिवहन विभाग को छोड़कर) की राशि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2008 को बकाया राशि	31 मार्च 2008 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाहनों पर कर	39.54	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	58.63	48.41
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	22.81	5.90
4.	विक्रय कर	571.53	154.52
5.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	12.23	12.23
6.	सहकारिता	10.29	5.34
7.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	71.51	13.22
योग		786.54	**239.62**

अनुरोध के बावजूद (सितम्बर 2008) अन्य बिभागों के संबंध में वर्ष 2007–08 के अन्त में राजस्व के बकाया की स्थिति शासन द्वारा प्रेषित नहीं की गई (दिसम्बर 2008)। इसके अतिरिक्त, विभागों द्वारा यह भी उपलब्ध नहीं कराया गया कि बकाया राजस्व का संग्रहण किन स्तरों पर लंबित है (दिसम्बर 2008)।

1.5 निर्धारण का बकाया

विक्रय कर, व्यवसाय कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

कर का नाम		प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 4 से 5 का प्रतिशत
1		2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक कर विभाग							
विक्रय कर	2006-07	2,60,792	4,02,291	6,63,083	2,99,596	3,63,487	45.18
	2007-08	3,63,487	2,81,575	6,45,062	3,41,769	3,03,293	52.98
वृत्ति कर	2006-07	1,11,924	1,10,091	2,22,015	1,06,502	1,15,513	47.97
	2007-08	1,15,513	1,45,481	2,60,994	1,33,479	1,27,515	51.14
प्रवेश कर	2006-07	1,41,158	2,40,983	3,82,141	1,97,047	1,85,094	51.56
	2007-08	1,85,094	2,23,297	4,08,391	2,19,980	1,88,411	53.87
विलासिता कर	2006-07	590	819	1,409	711	698	50.46
	2007-08	698	1,007	1,705	1,007	698	59.06
निर्माण संविदाओं पर कर	2006-07	1,721	5,487	7,208	3,707	3,501	51.43
	2007-08	3,501	3,211	6,712	2,965	3,747	44.17
योग	**2006-07**	**5,16,185**	**7,59,671**	**12,75,856**	**6,07,563**	**6,68,293**	
	2007-08	**6,68,293**	**6,54,571**	**13,22,864**	**6,99,200**	**6,23,664**	

इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में निर्माण संविदाओं पर करों से संबंधित निर्धारणों को छोड़कर कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण में वृद्धि हुई है ।

1.6 कर अपवंचन

विक्रय कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस विभागों द्वारा प्रतिवेदित कर अपवंचन के विवरणों की जानकारी निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2007को लंबित प्रकरण	2007–08 के दौरान पकड़े गए प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2008को निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ रु. में)	
1.	विक्रय कर	283	347	630	277	55.92	353
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	4	39	43	36	0.02	7
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	7,185	4,015	11,200	4,035	20.03	7,165

इस प्रकार विक्रय कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई ।

1.7 वापसियां

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2007–08 के प्रारंभ में लंबित वापसी प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2007–08 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	राज्य उत्पाद शुल्क		विक्रय कर		मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित दावे	21	1.30	1,603	10.17	787	1.37[2]
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	32	0.40	10,401	114.27	912	3.01
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	32	0.43	10,484	108.40	787	1.95
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	21	1.27	1,520	16.04	912	2.43

[2]. विभाग द्वारा अंतिम आंकड़े प्रस्तुत किए जाने के कारण विगत वर्ष के अंतिम शेष के आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है ।

इस प्रकार वर्ष के अंत में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस विभाग से संबंधित वापसी के प्रकरणों की संख्या एवं राशि में वृद्धि हुई ।

1.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 में विक्रय कर, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच में 4,48,574 प्रकरणों में 1,069.85 करोड़ रुपये की राजस्व राशि का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि प्रकट हुई । वर्ष के दौरान विभागों द्वारा 3,16,179 प्रकरणों में 327.83 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण तथा अन्य हानियों को स्वीकार किया गया जिनमें से 317.30 करोड़ रुपये से सन्निहित 3,14,562 प्रकरण वर्ष 2007–08 के दौरान इंगित किए गए तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो में इंगित किए गए । वर्ष के दौरान विभिन्न वर्षो से संबंधित 456 प्रकरणों में 135.61 करोड़ रुपये की वसूली की गयी ।

इस प्रतिवेदन में 623.43 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव से अन्तर्निहित दो समीक्षायें तथा 53 कंड़िकायें सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने 421.89 करोड़ रुपये की लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 4.86 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी थी । विभाग द्वारा स्वीकार न की गई अभ्युक्तियों के संबंध में, संबंधित कंड़िकाओं में ही विभाग की अस्वीकृति के कारणों को सम्मिलित किया गया है।

1.9 उत्तरदायित्व लागू करने एवं शासकीय हितों की रक्षा कर पाने में विफलता

महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा शासकीय विभागों के लेन देन की नमूना जांच तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन तथा अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है । इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं जिनमें निरीक्षण के दौरान संसूचित ऐसी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है । इन्हें निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जारी किया जाता है तथा उच्च प्राधिकारियों को इनकी प्रतिलिपियां प्रेषित की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित अभ्युक्तियों का अनुपालन कर कमियों तथा चूकों में त्वरित सुधार करने के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने के दिनांक से 6 सप्ताह के भीतर प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन के संबंध में महालेखाकार को प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है । गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को विभाग प्रमुखों तथा शासन को पृथक रूप से प्रतिवेदित किया जाता है । वाणिज्यिक कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा अन्य विभागों के विभिन्न कार्यालयों से संबंधित दिसम्बर 2007 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि 1997–98 से दिसम्बर 2007 के अंत तक 5,938 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 17,654 कंडिकाऐं लंबित थीं ।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण काफी संख्या में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह इंगित होता है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई कमियों, चूकों तथा अनियमितताओं में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने में विफल रहे । यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व की वसूली करने के लिए कार्रवाई कालातीत न हो, यह सिफारिश की जाती है कि शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का त्वरित तथा उपयुक्त प्रत्युत्तर दिया जाए, निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर भेजने में विफल रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की जाए तथा एक समयबद्ध प्रक्रिया से हानि/लंबित मांगों की वसूली के लिए कार्रवाई की जाए ।

1.10 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं को सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिए निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को भेजा गया था । इनमें से भू–राजस्व तथा वन विभाग ने कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया। इन विभागों से संबंधित कंडिकाओं को विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है । समीक्षाओं में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठकें दिनांक 24 अक्टूबर एवं 06 नवम्बर 2008 को संपन्न हुईं । प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, म.प्र. ने 24 अक्टूबर 2008 को सम्पन्न हुई बैठक में भाग लिया तथा प्रमुख सचिव, खनिज विभाग ने प्रमुख सचिव, वित्त के साथ 06 नवम्बर 2008 को सम्पन्न हुई बैठक में भाग लिया ।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) 19 मार्च 2008 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था । वर्ष 2005–06 तक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा चर्चा की जा चुकी है तथा वर्ष 2006–07 के प्रतिवेदन पर भी आंशिक रूप से चर्चा की जा चुकी है । विभिन्न वर्षों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति की अनुशंसाएं प्राप्त हो चुकी हैं ।

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1992–93 तक के अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त हो चके हैं। वर्ष 1993–94 तथा आगामी वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित विभागों से

अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं यद्यपि म.प्र. शासन संसदीय कार्य विभाग द्वारा नवम्बर 1994 में जारी अनुदेशों में निर्देशित किया गया है कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के दिनांक से 6 माह के भीतर इन्हें जारी किया जाना चाहिए।

1.12 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2002–03 तथा 2006–07 के मध्य विभागों/शासन ने 601.65 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 31 मार्च 2007 तक केवल 5.08 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपये में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	प्रतिवेदन की कुल राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूली की गयी राशि
2002-03	295.70	240.98	0.16
2003-04	125.53	26.26	0.29
2004-05	41.96	13.24	0.28
2005-06	85.85	32.56	2.42
2006-07	318.57	288.61	1.93
योग	**867.61**	**601.65**	**5.08**

1.13 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वर्ष 2007–08 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा समिति की तीन बैठकें हुईं जिनमें 29.85 करोड़ रुपये की राशि से अन्तर्निहित 64 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 341 कंडिकाएं निराकृत की गईं ।

अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित कर निर्धारण प्रकरणों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 1,002 प्रकरणों में अंतर्निहित 55.99 करोड़ रुपये की राशि के अवनिर्धारण, कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत दर लागू किये जाने आदि से सम्बंधित प्रकरण दृष्टिगत हुए, जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर का अनारोपण/ कम आरोपण	307	13.29
2.	कर की गलत दर का लागू किया जाना	172	10.49
3.	छूट/कटौती/मुजराई की गलत स्वीकृति	129	6.18
4.	कर योग्य टर्न ओवर का गलत निर्धारण	66	3.21
5.	अन्य अनियमिततायें	328	22.82
	योग	**1,002**	**55.99**

वर्ष 2007–08 के दौरान, विभाग ने 519 प्रकरणों में अंतर्निहित 12.12 करोड़ रुपये के कर अवनिधा।रण को स्वीकार किया। ये समस्त प्रकरण वर्ष 2007–08 से संबंधित थे । वर्ष के दौरान 22 प्रकरणों में 47 लाख रुपये की राशि वसूल की गई थी।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 98.69 करोड़ रुपये की राशि अंतर्निहित है, की विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है ।

2.2 बंद हुई इकाईयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न होना

दिनांक19 फरवरी 1991 की अधिसूचना सहपठित दिनांक 16 अक्टूबर 1986 तथा 6 अक्टूबर 1994 की अधिसूचनाओं के अनुसार, कर भुगतान से मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाण पत्र धारक व्यवसाई को पात्रता अवधि के दौरान तथा पात्रता की अवधि की समाप्ति के दिनांक से पांच वर्षो की अवधि के लिए भी अपनी औद्योगिक इकाई को चालू रखना होगा, जिसमें असफल रहने पर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत जिला स्तरीय समिति/राज्य स्तरीय समिति द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा । व्यवसाई द्वारा कर में ली गई छूट की राशि की वसूली भी की जा सकेगी ।

जुलाई 2006 तथा फरवरी 2008 के मध्य ग्वालियर तथा इंदौर के दो क्षेत्रीय कार्यालयों तथा इंदौर के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि कर भुगतान से मुक्ति हेतु पात्रता प्रमाण पत्र धारक चार व्यवसाईयों में से दो व्यवसाई पात्रता की अवधि के दौरान अपनी इकाईयों को चालू रखने में विफल रहे, जबकि दो व्यवसाईयों ने पात्रता अवधि की समाप्ति के पश्चात पांच वर्षो के भीतर इकाईयों को बंद कर दिया । लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारियों ने पात्रता प्रमाण पत्र निरस्त करवाने के लिए प्रकरण को जिला स्तरीय समिति/राज्य स्तरीय समिति को भेजने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप 2002–03 तथा 2005–06 की अवधि के मध्य व्यवसाईयों द्वारा लिए गए 75.34 करोड़ रुपये के कर लाभ की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्य प्रदेश ने बताया (जुलाई 2008) कि पात्रता प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण तथा भूतलक्षी प्रभाव से कर लाभ की वसूली करने के लिए दो प्रकरणों को उद्योग विभाग को प्रेषित किया गया था । दो अन्य प्रकरणों[1] में यह प्रतिवेदित किया गया कि कार्रवाई अभी निर्धारित की जानी है ।

प्रकरण अगस्त 2006 तथा अप्रैल 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.3 कर का अनारोपण/कम आरोपण

2.3.1 मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसाई, जो अपने व्यापार के दौरान ऐसी वस्तुओं (माल) का क्रय करता है जिस पर कर नहीं लगाया गया है, और यदि ऐसे क्रय के पश्चात वस्तुओं (माल) का उपयोग अथवा खपत विक्रय हेतु अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाता है तो वह चार प्रतिशत की रियायती दर से क्रय कर के भुगतान का दायी होगा । इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि इस प्रकार क्रय की गई वस्तुओं/माल (अनुसूची III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर) का उपयोग अथवा खपत अन्य

[1]. क्षे.स.आ.,ग्वालियर – 02

वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाता है जिनका निवर्तन विक्रय द्वारा न कर अन्यथा किया जाता है तो चार प्रतिशत की रियायती दर का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

मई 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य पांच क्षेत्रीय कार्यालयों[2] तथा तीन वृत्त कार्यालयों[3] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2001–02 से 2004–05 तक की अवधियों हेतु जनवरी 2005 तथा जनवरी 2007 के मध्य कर निर्धारित 15 व्यवसाईयों में से, 10 प्रकरणों में 20.48 करोड़ रुपये का कच्चा माल/पैकिंग मटेरियल बिना कर भुगतान के क्रय किया गया परन्तु उस पर कर का निर्धारण नहीं किया गया था जबकि पांच प्रकरणों में 15.95 करोड़ रुपये मूल्य की अनुसूची III में सम्मिलित वस्तुओं पर क्रय कर रियायती दर पर गलत ढंग से आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 3.25 करोड़ रुपये के कर तथा कर निर्धारण से बच जाने के कारण 43.36 लाख रुपये की शास्ति और 6.46 लाख रुपये के ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण हुआ । प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम प्रकरणों की संख्या कर निर्धारण की अवधि/माह	क्रय मूल्य आरोपित न किए गए/कम आरोपित किए गए कर की राशि	प्रेक्षण संक्षेप में	आयुक्त, वाणिज्यिक कर का उत्तर (जुलाई 2008)	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त (क्षे.स.आ.), ग्वालियर 02 2003–04 नवम्बर 2006 तथा जनवरी 2007	13.72 1.52	एच.एस.डी/एल.डी. ओ[4]. पर 28.75/13.8 प्रतिशत के बजाय 6.9 प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया गया ।	विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि कार्रवाई प्रगति पर है ।	अंतिम कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

[2]. ग्वालियर –03, इंदौर, सागर ।

[3]. गुना, ग्वालियर तथा जबलपुर ।

[4]. एच.एस.डी. –हाई स्पीड डीजल
एल.डी.ओ. –लाईट डीजल ऑयल

	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, सागर 01 2003–04 जुलाई 2006	0.43 0.09	तदैव	प्रकरण का पुनः कर निर्धारण किया गया तथा 9.41 लाख रुपये की मांग सृजित कर छूट की राशि के विरूद्ध समायोजन किया गया है ।	—
2.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, ग्वालियर 01 2002–03 जनवरी 2006	1.21 0.25	हाई स्पीड डीजल पर 28.75 प्रतिशत की बजाय 4.6 प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया गया ।	विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि कार्रवाई प्रगति पर है।	अंतिम कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।
	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, ग्वालियर 01 2003–04 दिसम्बर 2006	0.58 0.20	तदैव	तदैव	तदैव
3.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, ग्वालियर 02 2003–04 जनवरी 2007	2.73 0.63	कर का भुगतान किए बिना क्रय किए गए हाई स्पीड डीजल/ कच्चे माल/पैकिंग मटेरियल पर क्रय कर आरोपित नहीं किया गया ।	विभाग ने बताया कि कार्रवाई प्रगति पर है ।	अंतिम कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।
4.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, ग्वालियर 03 2002–03 तथा 2003–04 अगस्त 2005 नवम्बर 2005 जनवरी 2006 नवम्बर 2006	14.24 0.84	कर का भुगतान किए बिना क्रय किए गए हाई स्पीड डीजल/ कच्चे माल/पैकिंग मटेरियल पर क्रय कर आरोपित नहीं किया गया ।	वर्ष 2002–03 से संबंधित प्रकरण में 2.09 लाख रुपये की मांग सृजित कर छूट की राशि के विरूद्ध समायोजन किया गया ।	शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

	वाणिज्यिक कर अधिकारी, गुना 02 2003–04 दिसम्बर 2006 तथा जनवरी 2007	2.25 0.10	तदैव	विभाग ने बताया कि कार्रवाई प्रगति पर है ।	अंतिम कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।
	वाणिज्यिक कर अधिकारी, , ग्वालियर 01 2004–05 जून 2006	0.30 0.02	तदैव	तदैव	तदैव
	वाणिज्यिक कर अधिकारी , जबलपुर 2001–02 जनवरी 2005	0.15 0.01	तदैव	अपंजीयत व्यवसायी से क्रय की गई बोतलें कर मुक्त मदिरा की पैकिंग में उपयोग की गई।	यदि निर्मित वस्तुऐं कर मुक्त हों तो भी धारा 10 के अंतर्गत कर की देयता बनती है ।
5.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, इंदौर 01 2003–04 दिसम्बर 2006	0.81 0.06	स्टॉक में स्थानान्तरित अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल पर, क्रय कर आरोपित नहीं किया गया था।	विभाग ने बताया कि कार्रवाई प्रगति पर है ।	अंतिम कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

2.3.2 मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दिनांक 15 जनवरी 1992 तथा 6 अक्टूबर 1994 को जारी अधिसूचनाओं के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र धारक किसी व्यवसाई द्वारा विनिर्मित वस्तुओं पर आरोपणीय कर पात्रता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट छूट की राशि के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा ।

अप्रैल 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य पांच क्षेत्रीय कार्यालयों[5] तथा दो वृत्त कार्यालयों[6] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 1999–2000 से 2003–04 की अवधि हेतु फरवरी 2004 तथा जनवरी 2007 के मध्य कर निर्धारित किए गए सात पात्रता प्रमाण पत्र धारक

[5]. ग्वालियर – 02, इंदौर – 02, मुरैना ।

[6]. गुना एवं विदिशा ।

व्यवसाईयों में से पांच व्यवसाईयों के प्रकरण में 31.43 करोड़ रुपये मूल्य की विनिर्मित वस्तुओं के विक्रय/स्टॉक स्थानान्तरण (राज्य के भीतर) पर आरोपणीय कर आरोपित नहीं किया गया जबकि दो प्रकरणों में यद्यपि 1.45 करोड़ रुपये का कर आरोपित किया गया , लेकिन पात्रता प्रमाण पत्रों में निर्दिष्ट छूट की राशि के विरूद्ध उसे समायोजित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 3.80 करोड़ रुपये के कर लाभ की गलत स्वीकृति प्रदान की गई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि तीन प्रकरणों में 1.58 करोड़ रुपये की मांग सृजित कर संबंधित व्यवसाईयों की छूट की राशि के विरूद्ध समायोजित की गई थी । शेष चार[7] प्रकरणों में यह प्रतिवेदित किया गया कि कार्रवाई प्रगति पर है ।

प्रकरण अप्रैल 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.4 कर मुक्ति की गलत स्वीकृति

2.4.1 मध्य प्रदेश सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1958 के अंतर्गत जारी दिनांक 06 अक्टूबर 1994 की कर मुक्ति अधिसूचना के अनुसार, वस्तुओं (माल) की पुनः पैंकिंग में संलग्न किसी नई औद्योगिक इकाई को छूट की पात्रता नहीं है । अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि अपनी वर्तमान औद्योगिक इकाई में उसकी मूल क्षमता के 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन की क्षमता विस्तारित करने वाला व्यवसायी अधिक उत्पादन के लिये छूट का पात्र होगा । दिनांक 19 फरवरी 1991, 6 अक्टूबर 1994 तथा 6 जून 1995 की कर मुक्ति अधिसूचनाओं में विनिर्मित वस्तुओं के संबंध में उनके अंतर्गत जारी पात्रता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट कर की अधिकतम मात्रा की सीमा तक कर छूट का प्रावधान है ।

जुलाई 2006 तथा फरवरी 2008 के मध्य 6 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अगस्त 2005 तथा जनवरी 2007 के मध्य 2000–01 से 2003–04 की अवधियों हेतु कर निर्धारित/पुनः कर निर्धारित आठ व्यवसाईयों को गलत कर मुक्ति प्रदान की गई जिसमें निम्नानुसार 4.74 करोड़ रुपये का कर प्रभाव एवं 1.40 करोड़ रूपये का ब्याज सन्निहित था :

क्र. सं.	इकाई का नाम	अवधि कर निर्धारण का माह	प्रेक्षण का सार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	क्षे.स.आ., इंदौर	2002–03 अगस्त 2005	बड़े कंटेनरों से द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस की बोतल भराई में संलग्न तीन व्यवसाईयों को उनको जारी

[7] वा.क.अ., गुना–01, क्षे.स.आ., ग्वालियर–02, क्षे.स.आ., इंदौर–01

	क्षे.स.आ., सागर	2002–03 दिसम्बर 2005	किए गए पात्रता प्रमाण पत्रों के आधार पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई । यह सही नहीं था क्योंकि कर मुक्ति अधिसूचना के अनुसार, वस्तुओं की पुनः पैकिंग में संलग्न व्यवसाईयों को कर मुक्ति की पात्रता नहीं है । इससे 1.60 करोड़ रुपये के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।
	वा.क.अ.. – VI, भोपाल	2002–03 जनवरी 2006	
प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, आयुक्त वाणिज्यिक कर ने दो प्रकरणों[8] में उत्तर दिया (जुलाई 2008) कि शासन (वाणिज्यिक कर विभाग) द्वारा जारी दिनांक 16 जून 1998 के पत्र के अनुसार, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) की रिफिलिंग विनिर्माण की एक प्रक्रिया है अतः इस प्रकार दी गई छूट सही थी । न्यायिक निर्णयों[9] को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं जिनमें यह तय किया गया है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) की रिफिलिंग एक विनिर्माण प्रक्रिया नहीं है बल्कि वास्तव में माल की पुनः पैंकिंग है । एक प्रकरण में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।			
2.	क्षे.स.आ., ग्वालियर	2003–04 अक्टूबर 2006	जारी किए गए पात्रता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यवसाई को 60.33 लाख रुपये की सीमा तक कर मुक्ति की पात्रता थी जिसका लाभ उसके द्वारा 1997–98 तक ले लिया गया था, लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी ने अवधि 2003–04 हेतु कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय उसे 1.56 करोड़ रुपये की और छूट प्रदान की । इसके परिणामस्वरूप उक्त राशि के कर तथा 72.48 लाख रुपये के ब्याज की वसूली नहीं हुई ।
प्रकरण को इंगित किए जाने पर, आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि कार्रवाई प्रगति पर है ।			

[8]. क्षे.स.आ., इंदौर तथा क्षे.स.आ. ,सागर ।

[9]. गुजरात राज्य बनाम कोसन गैस क्र. 1992–एस.टी.सी.–237 (गुजरात उच्च न्यायालय) एवं मोदी गैस सर्विस, इंदौर बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य 2006–8–एस.टी.जे.–536 (म.प्र. उच्च न्यायालय) ।

1	2	3	4
3.	क्षे.स.आ., ग्वालियर	2002–03 जनवरी 2006	व्यवसाईयों के पात्रता प्रमाण पत्रों में टायर फैब्रिक तथा अनमशीन्ड कास्टिंग्स को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक प्रकरण में टायर फैब्रिक के विनिर्माण में प्रयोग किए गए 6.38 करोड़ रुपये के कच्चे माल के क्रय पर आरोपणीय कर से छूट प्रदान की तथा एक अन्य प्रकरण में 19.57 करोड़ रुपये की अनमशीन्ड कास्टिंग्स के विक्रय पर गलत ढंग से 75.28 लाख रुपये के कर आस्थगन की अनुमति प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप 1.28 करोड़ रुपये के कर तथा 67.75 लाख रुपये के ब्याज की प्राप्ति नहीं हुई ।
	क्षे.स.आ., इंदौर	2003–04 दिसम्बर 2006	
प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, टायर फैब्रिक के प्रकरण (क्षे.स.आ. ग्वालियर) में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (जुलाई 2008) कि कार्रवाई प्रगति पर है तथा क्षे.स.आ., इंदौर के एक अन्य प्रकरण में यह बताया गया कि पात्रता प्रमाण पत्र में उल्लिखित आयरन कास्टेड पार्ट्स तथा अनमशीन्ड कारिटंग्स एक ही वस्तु है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर निर्धारण आदेश में माल को अनमशीन्ड कास्टिंग्स मानते हुए चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था, जबकि पात्रता प्रमाण पत्र के अनुसार व्यवसाई मोटर वाहनों के आयरन कास्टिड पार्टस और काम्पोनेन्ट्स का व्यापार करता है जो 13.8 प्रतिशत की दर से कर योग्य है । अतः दोनो वस्तुएं अलग अलग हैं ।			
4.	क्षे.स.आ., ग्वालियर	2002–03 जनवरी 2006	दो व्यवसाईयों को जारी किए गए पात्रता प्रमाण पत्रों के अनुसार उन्हें अपनी वर्तमान इकाईयों में विस्तार करने के कारण 11.30 करोड़ रुपये तथा 7.68 करोड़ रुपये के टर्न ओवर के लिये कर मुक्ति की पात्रता थी जबकि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने क्रमशः 14.60 करोड़ रुपये तथा 8.68 करोड़ रुपये के टर्न ओवर के लिये कर मुक्ति की अनुमति प्रदान की । इसके परिणामस्वरूप 4.31 करोड़ रूपये की अतिरिक्त विक्रय राशि पर 30.10 लाख रुपये के कर प्रभाव से सन्निहित गलत छूट प्रदान की गई ।
	क्षे.स.आ., इंदौर	2000–01 नवम्बर 2006	
प्रकरणों को इंगित किए जाने पर आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि कार्रवाई प्रगति पर है ।			

2.4.2 मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत जारी दिनांक 13 अप्रैल 2000 एवं 12 अक्टूबर 2000 की अधिसूचनाओं के अनुसार क्रमशः किसी लघु स्तरीय उद्योग द्वारा विनिर्मित एवं म.प्र. लघु उद्योग निगम को विक्रय की गई वस्तुएं तथा विशिष्ट ग्राम उद्योग जिनका टर्न ओवर 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है, कर मुक्त हैं।

अप्रैल 2007 तथा अगस्त 2007 के मध्य शहडोल तथा विदिशा के वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि अवधि 2002–03 तथा 2003–04 हेतु जनवरी 2006 तथा दिसम्बर 2006 में कर निर्धारित दो व्यवसाईयों में से एक प्रकरण में जिसमें व्यवसाई लघु स्तरीय उद्योग में संलग्न नहीं था तथा ग्राम उद्योग के प्रकरण में जिसका टर्न ओवर 10 लाख रुपये से अधिक था, 73 लाख रुपये के कुल कर योग्य टर्न ओवर पर आरोपणीय कर की गलत ढंग से छूट प्रदान की गई । इसके परिणामस्वरूप 4.28 लाख रुपये के कर तथा 2.43 लाख रुपये की शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि कर राशि 4.28 लाख रुपये के साथ साथ 2.43 लाख रुपये की शास्ति की मांग सृजित की गई थी जिसमें से 50,000 रुपये की राशि वसूल की जा चुकी थी ।

प्रकरण मार्च 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.5 व्यवसाय कर की वसूली न होना

व्यवसाय कर अधिनियम, 1995 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो मध्य प्रदेश में स्वयं अथवा किसी एजेंट अथवा प्रतिनिधि द्वारा किसी व्यापार का संचालन करता है अथवा कृषि को छोड़कर कोई व्यवसाय अथवा पेशा करता है, अधिनियम की अनुसूची में ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के विरूद्ध निर्दिष्ट 1,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रतिवर्ष तक की दर से कर के भुगतान का दायी होगा । कथित अधिनियम की धारा 8(2) में यह भी प्रावधान है कि कर का भुगतान करने हेतु दायी ऐसे व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में व्यवसाय कर निर्धारण प्राधिकारी से एक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

30 वाणिज्यिक कर अधिकारियों[10] से संग्रहीत जानकारी का राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई मदिरा के अनुज्ञप्तिधारकों, सिनेमा घरों, वीडियों पार्लरों तथा केबिल ऑपरेटरों की सूची तथा कस्टम्स एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकृत ब्यूटी पार्लरों की सूची के साथ प्रति सत्यापन करने पर पता चला कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 हेतु 666 मदिरा अनुज्ञप्तिधारक, 220 सिनेमा घर, 14 वीडियो पार्लर, 5,822 केबिल ऑपरेटर तथा 1,938 ब्यूटी पार्लर अधिनियम के अंतर्गत अपंजीकृत रहे,

[10] . वा.क.अ., भोपाल (6), वा.क.अ., इंदौर (15), वा.क.अ. ,जबलपुर (4), वा.क.अ. ,रतलाम (2) तथा वा.क.अ., उज्जैन (3)

यद्यपि वे व्यवसाय कर का भुगतान करने के दायी थे । इसके परिणामस्वरूप 2.07 करोड़ रुपये के व्यवसाय कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण अप्रैल एवं मई 2008 में वाणिज्यिक कर आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.6 कर की गलत दर लागू किया जाना

मध्य पदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम सह पठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं में विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरों को निर्दिष्ट किया गया है ।

जुलाई 2006 तथा फरवरी 2008 के मध्य सात क्षेत्रीय कार्यालयों[11] तथा नौ वृत्त कार्यालयों[12] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 1999–2000 से 2004–05 हेतु नवम्बर 2003 तथा जनवरी 2008 के मध्य कर निर्धारित 18 व्यवसाईयों के प्रकरणों में 26.39 करोड़ रुपये के टर्न ओवर पर गलत दरों से कर आरोपित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 1.50 करोड़ रुपये के कर तथा 76,000 रुपये के ब्याज का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि छः प्रकरणों में 40.95 लाख रुपये की मांग कायम की गई थी, जिसमें से 1.90 लाख रुपये की वसूली की गई थी तथा आठ प्रकरणों में कार्रवाई प्रगति पर थी । शेष चार प्रकरणों में विभागीय उत्तरों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति का नीचे उल्लेख किया गया है :

सं. क्र.	इकाई का नाम	वस्तु	आ.वा.क.का उत्तर (जुलाई 2008)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	क्षे.स.आ., जबलपुर	टॉवर	राजस्व बोर्ड (14 सी.टी. जे. 98) ने निर्णय दिया है कि उच्च वोल्टेज पारेषण टॉवर स्टील संरचना है ।	राजस्व बोर्ड का कथित निर्णय वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं है क्योंकि 'टॉवर' को 1 जनवरी 2000 से अधिनियम की अनुसूची II[13] में शामिल किया गया था, जबकि उक्त निर्णय उस दिनांक से पूर्व दिया गया था।
2.	क्षे.स.आ., ग्वालियर	क्लोरीनेटेड पैराफिन वैक्स	वस्तु रसायनिक है ।	मैसर्स बी.सी.एम. ऑर्गेनिक कैमीकल्स, इंदौर के प्रकरण में जारी आ.वा.क.म.प्र. के आदेशों के

[11] . ग्वालियर –03, इंदौर – 02, जबलपुर तथा सतना ।

[12] . ग्वालियर – 02, इंदौर – 02, जबलपुर – 03, मंडला तथा शहडोल ।

[13] . अधिनियम की अनुसूची II में विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं पर कर की दरों को निर्दिष्ट किया गया है ।

				अनुसार, कथित वस्तु एक रसायनिक यौगिक है तथा निर्दिष्ट न की गई वस्तु के रूप में कर योग्य है ।
3.	वा.क.अ., शहडोल	तदैव	इकाई बंद है; पात्रता प्रमाण पत्र के निरस्ती करण हेतु प्रकरण उद्योग विभाग को भेजा गया है ।	उत्तर में कर की राशि वसूल करने के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख नहीं है ।
4.	वा.क.अ. III , जबलपुर	क्राफ्ट पेपर	दिनांक 1.10.1978 की अधिसूचना के अनुसार क्राफ्ट पेपर पैकिंग मटेरियल के रूप में 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है ।	म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 लागू होने के दिनांक से कथित अधिसूचना प्रभावी नहीं रही है । क्राफ्ट पेपर म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत "सभी प्रकार के पेपरों" में सम्मिलित किया गया है ।

प्रकरण अगस्त 2006 तथा अप्रैल 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.7 गलत ढंग से कर मुक्त माने गए विक्रयों पर कर का अनारोपण

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम तथा उसके अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट वस्तुओं तथा अधिसूचनाओं के माध्यम से कर मुक्त की गई वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरें निर्धारित की गई हैं ।

2.7.1 अप्रैल 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य सात क्षेत्रीय कार्यालयों[14] तथा दो वृत्त कार्यालयों[15] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि दिसम्बर 2005 तथा जनवरी 2007 के मध्य 2002–03 तथा 2003–04 की अवधियों हेतु कर निर्धारित 13 व्यवसाईयों के प्रकरणों में 22.08 करोड़ रुपये मूल्य की उच्च घनत्व पॉली एथिलीन/पॉली प्रॉपीलीन (एच.डी.पी.ई. /पी.पी.) फैब्रिक को कर मुक्त वस्तुएं मानते हुए उन पर कर आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 1.15 करोड़ रुपये के कर तथा कर निर्धारण से बच जाने के कारण 28.63 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

[14]. इंदौर (4), ग्वालियर (3)

[15]. ग्वालियर तथा इंदौर ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, आयुक्त वाणिजियक कर ने एक प्रकरण (वा.क.अ., ग्वालियर) में बताया (जुलाई 2008) कि 5.45 लाख रुपये की मांग सृजित की गई थी, जबकि 10 प्रकरणों[16] में यह बताया गया कि दिनांक 24 अगस्त 2000 की अधिसूचना के अंतर्गत उक्त माल कपड़े के रूप में कर मुक्त था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दिनांक 24 अगस्त 2000 की अधिसूचना द्वारा सभी प्रकार के कपड़े कर मुक्त हैं तथा एच.डी.पी.ई. फैब्रिक के लिए, जो एक प्लास्टिक वस्तु है, यह अधिसूचना लागू नहीं है । विभाग के कथन में भी असंगति थी । दो प्रकरणों[17] में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.7.2 नवम्बर 2007 में धार के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2003–04 हेतु दिसम्बर 2006 में कर निर्धारित एक व्यवसाई के प्रकरण में 36.58 लाख रुपये मूल्य की प्लास्टिक निवाड़[18] को कर मुक्त वस्तु मानकर उस पर कर आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 3.37 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर, आयुक्त वाणिज्यिक कर ने उत्तर दिया (जुलाई 2008) कि व्यवसाई ने इलास्टिक टेप का विनिर्माण एवं विक्रय किया जो मैसर्स कोहिनूर प्लास्टिक (पी.) लिमिटेड इंदौर के प्रकरण में जारी आयुक्त वाणिज्यिक कर के आदेश दिनांक 23 अप्रैल 1999 को दृष्टिगत रखते हुए कर मुक्त था । वस्तु स्थिति यह है कि कथित आदेश 15 मार्च 2000 से पूर्व की अवधि से संबंधित है जब संशोधित अनुसूची अस्तित्व में आई । इस प्रकार कथित आदेश अप्रसांगिक हो चुका है ।

2.7.3 अप्रैल 2007 में ग्वालियर के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2002–03 हेतु जून 2005 में कर निर्धारित एक व्यवसाई के प्रकरण में 22.18 लाख रुपये मूल्य के फुटवियर (जूतों एवं चप्पलों) को कर मुक्त वस्तुएं मानकर उन पर कर आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 1.67 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि 2.10 लाख रुपये की मांग सृजित कर कर मुक्ति की राशि के विरूद्ध समायोजन किया जा चुका है ।

2.7.4 अक्टूबर 2007 में इंदौर के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2003–04 की अवधि हेतु जनवरी 2006 में कर निर्धारित एक व्यवसाई के प्रकरण में 16.06 लाख रुपये मूल्य के नॉन–बायोडिग्रेडेबिल कंपोजिट रिसाइकिल बोर्ड

[16]. क्षे.स.आ., ग्वालियर–2 प्रकरण, क्षे.स.आ. , इंदौर (4)–7 प्रकरण, वा.क.अ., इंदौर –1 प्रकरण

[17]. क्षे.स.आ., ग्वालियर – 2

[18]. चारपाईयों को बुनने में प्रयोग किया जाने वाला टेप ।

(एन.डी.सी.आर.बी.) को कर मुक्त वस्तु मानकर उस पर कर आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.48 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि 1.48 लाख रुपये की मांग सृजित की चुकी है ।

2.7.5 दिसम्बर 2007 में जबलपुर के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2002–03 तथा 2003–04 की अवधियों हेतु जनवरी 2006 तथा दिसम्बर 2006 में कर निर्धारित एक व्यवसाई के प्रकरण में 51.90 लाख रुपये मूल्य के पॉल्ट्री फीड को कर मुक्त माल मानकर उस पर कर आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1.19 लाख रुपये के कर का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर, आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि 1.19 लाख रुपये की मांग सृजित की जा चुकी है । पूर्वोक्त प्रकरणों में वसूली से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008)।

प्रकरण जून 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.8 शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत यदि आयुक्त अथवा अपीलेट या निगरानी प्राधिकारी संतुष्ट है कि व्यवसाई ने अपने टर्न ओवर को छिपाया है अथवा अपने विक्रय या क्रय के गलत विवरण प्रस्तुत किए हैं अथवा किसी भी अवधि हेतु विवरणियों के अनुसार दर्शाया गया कुल देय कर तथा उसके द्वारा भुगतान किया गया कर कुल निर्धारित कर के 80 प्रतिशत से कम है तो आयुक्त उस पर शास्ति आरोपित कर सकता है जिसकी राशि अपवंचित कर की राशि के तीन गुने से कम नहीं होगी ।

सितम्बर 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य ग्वालियर के दो क्षेत्रीय कार्यालयों तथा इंदौर के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि पांच व्यवसाईयों के प्रकरणों में यद्यपि टर्न ओवर को छिपाने के कारण 47.73 लाख रुपये का कर अपवंचन निर्धारित किया गया था, फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, 1.42 करोड़ रुपये की न्यूनतम शास्ति आरोपित करने में असफल रहे :

क्र. सं.	इकाई का नाम	अवधि कर निर्धारण का माह	प्रेक्षण का सार
1.	क्षे.स.आ., ग्वालियर	1999–2000 जनवरी 2007	यद्यपि हाई स्पीड डीजल ऑयल के छिपाये गये टर्न ओवर के कारण 19.95 लाख रुपये का कर आरोपित किया गया था लेकिन धारा 69 के अंतर्गत 59.86 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई थी ।
2.	क्षे.स.आ., ग्वालियर	2003–2004 दिसम्बर 2006	यद्यपि 14.47 लाख रुपये के प्रवेश कर का अपवंचन निर्धारित किया गया था लेकिन 43.42 लाख रुपये की न्यूनतम शास्ति अधिरोपित नहीं की गई थी ।
3.	क्षे.स.आ., ग्वालियर	2003–2004 दिसम्बर 2006	व्यवसाई द्वारा भुगतान किए गए कर की राशि (5.13 लाख रूपये) निर्धारित कर की राशि 10.70 लाख रुपये के 50 प्रतिशत से भी कम थी। इस प्रकार कर अपवंचन की राशि 5.57 लाख रुपये की तीन गुनी अर्थात् 16.71 लाख रुपये की न्यूनतम राशि आरोपणीय थी, लेकिन आरोपित नहीं की गई।
4.	क्षे.स.आ., ग्वालियर	2003–2004 जनवरी 2008 (निगरानी आदेश का माह)	यद्यपि अधिनियम की धारा 69(3) के अनुसार 7.17 लाख रुपये का कर अपवंचन था; फिर भी अपवंचित कर के तीन गुने के बराबर अर्थात 21.52 लाख रुपये की शास्ति आरोपित नहीं की गई थी।
5.	वा.क.अ.VII, इंदौर	1995–96 दिसम्बर 2006	1.72 लाख रुपये की न्यूनतम शास्ति के विरूद्ध, निर्धारण प्राधिकारी ने केवल 1.15 लाख रुपये की शास्ति आरोपित की । इसके परिणामस्वरूप 57,000 रुपये की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि कार्रवाई प्रगति पर है ।

प्रकरण दिसम्बर 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.9 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचनाओं के अंतर्गत खपत, उपयोग अथवा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर निर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय है ।

मई 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य नौं क्षेत्रीय कार्यालयों[19] तथा दो वृत्त कार्यालयों[20] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2002–03 से 2005–06 की अवधि हेतु दिसम्बर 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य कर निर्धारित 16 व्यवसाईयों के प्रकरणों में 31.92 करोड़ रुपये मूल्य की सीमेंट, इमारती लकड़ी, भट्टी तेल, मोटर वाहन, लोहा एवं स्टील, बियरिंग आदि वस्तुओं पर स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया था/कम आरोपित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 34.39 लाख रुपये के प्रवेश कर तथा 2.89 लाख रुपये के ब्याज/शास्ति का अनारोपण/ कम आरोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि नौं प्रकरणों में 99000 रुपये की शास्ति सहित 17.22 लाख रुपये की मांग सृजित की गई थी । दो प्रकरणों[21] में यह प्रतिवेदित किया गया कि कार्रवाई प्रगति पर है ।

शेष पांच प्रकरणों में उत्तर निम्नानुसार थे :

एक प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने उत्तर दिया (जुलाई 2008) कि भट्टी तेल एक स्थानीय पंजीकृत व्यवसाई से क्रय किया गया था, अतः कर योग्य नहीं है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यद्यपि कथित वस्तु एक स्थानीय पंजीकृत व्यवसाई से क्रय की गई थी, लेकिन वह स्थानीय मूल की नहीं थी और इस प्रकार अधिनियम की अनुसूची III के अंतर्गत कर योग्य थी ।

एक प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने उत्तर दिया (जुलाई 2008) कि ब्रॉयलर ब्रीडर लेयर का क्रय कर मुक्त था। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि अधिनियम की अनुसूची I के अंतर्गत कथित वस्तु शामिल नहीं है।

लोहा एवं स्टील पर प्रवेश कर के कम आरोपण के एक प्रकरण में, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने उत्तर दिया कि लोहे तथा स्टील का उपयोग स्टील संरचनाओं के विनिर्माण में किया गया था, इस प्रकार आरोपित कर सही था। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि विनिर्मित वस्तुऐं टॉवर थीं जो

[19]. ग्वालियर (3), इंदौर (2), जबलपुर (2) तथा सतना (2)

[20]. धार तथा इंदौर

[21]. क्षे.स.आ., ग्वालियर – 02

स्टील संरचनाओं से भिन्न हैं। इसलिए उनके विनिर्माण में प्रयोग किए गए लोहे एवं स्टील पर एक प्रतिशत के बजाय 1.5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था।

सॉफ्ट ड्रिंक के प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने उत्तर दिया (जुलाई 2008) कि सॉफ्ट ड्रिंक पर कर का भुगतान किया गया था। उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि विनिर्माता इकाई द्वारा जारी बीजकों से यह स्पष्ट था कि उसमें प्रवेश कर प्रभारित नहीं किया गया था।

एक प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने उत्तर दिया (जुलाई 2008) कि मैसर्स जय प्रकाश ऐसोसिएट्स के प्रकरण में एक न्यायालयीन निर्णय के अनुसार रेलवे की भूमि पर स्थित फैक्टरी "स्थानीय क्षेत्र" के अंतर्गत नहीं आती । उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि कथित निर्णय का विषय "कर निर्धारण को दोबारा करना" था, तथा यह निर्णय करना नहीं था कि रेलवे के पास की भूमि स्थानीय क्षेत्र है अथवा नहीं । इसके अतिरिक्त, म.प्र. राजस्व बोर्ड ने 2002 के अपने निर्णय[22] में तय किया है कि रेलवे के पास की भूमि तथा रेलवे लाइनें स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं ।

प्रकरण जून 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.10 कर प्रदत्त विक्रय की गलत कटौती

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम तथा उसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचनाओं के अंतर्गत, जिन कर प्रदत्त मालों पर कर का भुगतान राज्य के भीतर किया गया है, कर योग्य टर्न ओवर का निर्धारण करते समय उन पर कर प्रदत्त विक्रय राशि की कटौती की छूट देने का प्रावधान है । अधिनियम के अंतर्गत पैंकिंग मटेरियल (संवेष्ठन सामग्री) पर कर की वही दर लागू होगी जो उसमें पैक किए गये माल पर लागू होती है ।

2.10.1 मार्च 2007 तथा दिसम्बर 2007 के मध्य इंदौर के दो क्षेत्रीय कार्यालयों तथा दो वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जनवरी 2004 तथा जनवरी 2007 के मध्य 2000–01 से 2003–04 तक की अवधियों हेतु कर निर्धारित पांच व्यवसाईयों ने 2.61 करोड़ रुपये मूल्य के पैंकिंग मटेरियल (संवेष्ठन सामग्री) को उसमें पैक किए गये कर योग्य माल के साथ विक्रय किया । लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी ने ऐसे कर प्रदत्त पैंकिंग मटेरियल (संवेष्ठन सामग्री) पर कटौती की छूट प्रदान की, जो अनुमत्य नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप 18.68 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, आयुक्त वाणिज्यिक कर ने चार प्रकरणों में बताया (जुलाई 2008) कि मैसर्स रेमंड सीमेंट वर्क्स (1997–30–वी.के.एन.219) के प्रकरण में म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्णय तथा मैसर्स प्योर फार्मा लिमिटेड, इंदौर के प्रकरण में म.प्र.

[22] . लार्सेन एण्ड टुब्रो लिमिटेड बनाम आ.वा.क. (2002) 35 वी.के.एन. 50 (एम.पी.बोर्ड)

वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए दी गई कटौती की छूट की अनुमति सही थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मैसर्स प्रीमियर ब्रेवरीज लिमिटेड बनाम केरल राज्य (1999–23–टी.एल.डी–241) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि "माल के टर्न ओवर की गणना करते समय, पैकिंग मटेरियल (संवेष्ठन सामग्री) को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए । पैकिंग मटेरियल पर उसी दर तथा उसी समय पर कर लगाया जाएगा जिस पर उसमें पैक की गई वस्तुओं/माल पर कर लगाया जाता है। यह माल के टर्न ओवर की गणना का नियम है" । एक प्रकरण[23] में आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया कि कार्रवाई को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

2.10.2 मार्च 2007 में बुरहानपुर के एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2000–01 हेतु दिसम्बर 2003 में कर निर्धारित एक व्यवसाई द्वारा 26.22 लाख रुपये की सीमेंट के राज्य के भीतर विक्रय को गलत ढंग से कर प्रदत्त माना गया और उस पर कोई कर आरोपित नहीं किया गया । चूंकि सीमेंट का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य से 1 नवम्बर 2000 अर्थात उस दिनांक के पश्चात किया गया था जिसको मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, अत: विक्रय कर योग्य था । इसके परिणामस्वरूप 3.62 लाख रुपये के कर तथा 2.30 लाख रुपये के ब्याज का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर, आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि 5.10 लाख रुपये की मांग सृजित की जा चुकी है ।

प्रकरण अप्रैल 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.11 कर की गणना में त्रुटि

जून 2007 तथा अगस्त 2007 के मध्य इंदौर के एक क्षेत्रीय कार्यालय तथा एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2003–04 की अवधि हेतु सितम्बर 2006 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य कर निर्धारित दो व्यवसाईयों के प्रकरणों में कर की गणना में त्रुटि थी जिसके परिणामस्वरूप 19.35 लाख रुपये के कर तथा 8.89 लाख रुपये की शास्ति का कम आरोपण हुआ जिसका उल्लेख निम्नानुसार है :

[23] . क्षे.स.आ., ग्वालियर – 01

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर की राशि	आरोपित कर की गलत राशि	कम आरोपण की राशि
1.	क्षे.स.आ, इंदौर	लेसीथिन, डिऑयल्ड केक	4.44	4.60	0.20	0.19	0.01
		सोया तेल	9.41	4.00	0.38	0.34	0.04
		सोया आटा, फ्लैक्सा, स्लज	8.84	9.2	0.81	0.76	0.05
2.	वा.क.अ., इंदौर	रबर के सामान	1.68	13.8	0.25	0.16	0.09
		कच्चे माल का क्रय	0.50	4.6			

प्रकरण अगस्त 2007 तथा दिसम्बर 2007 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किए गये; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.12 अधिभार का अनारोपण

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई पंजीकृत व्यवसाई, जो उसके द्वारा की गई कार्य संविदा के निष्पादन के दौरान पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से माल की आपूर्ति का कार्य करता है, तो उसके द्वारा देय कर के बदले में उसे ऐसी एक मुश्त दर पर भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है जो अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित हो । अधिनियम तथा उसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत, कर की राशि पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार आरोपणीय है ।अधिनियम के अंतर्गत अधिभार देय कर की राशि के अतिरिक्त है ।

अगस्त 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य चार क्षेत्रीय कार्यालयों[24] तथा तीन वृत्त कार्यालयों[25] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जुलाई 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य 2002–03 से 2005–06 की अवधि हेतु कर निर्धारित 16 प्रकरणों में 11 निर्माण संविदा व्यवसाईयों ने कर के बदले में निर्धारित एक मुश्त दर पर 1.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया । लेकिन उन्होंने इस प्रकार अदा किए गये कर की राशि पर 15 प्रतिशत की दर से अधिभार का भुगतान नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप 26.94 लाख रुपये के अधिभार की वसूली नहीं हुई ।

[24] . ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर तथा सेंधवा ।

[25] . मंदसौर, मुरैना तथा विदिशा ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने बताया (जुलाई 2008) कि धारा 19 के अंतर्गत एक मुश्त में भुगतान की गई राशि कर से भिन्न है, अतः धारा 10–क के अंतर्गत अधिभार देय नहीं हैं । उत्तर सही ढंग से अधिनियम की व्याख्या नहीं करता है । धारा 19 के अंतर्गत किसी व्यवसाई द्वारा भुगतान की गई राशि कर से भिन्न नहीं कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त, धारा 10–क में धारा 19 के अंतर्गतदेय कर के संबंध में किसी छूट का प्रावधान नहीं है । इसके अतिरिक्त कुछ वाणिज्यिक कर कार्यालय धारा 19 के अंतर्गत निर्दिष्ट एक मुश्त दरों पर अधिभार प्रभारित कर रहे हैं, अस्तु विभागीय कथन में एक रूपता नहीं है ।

मामला सितम्बर 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.13 कर योग्य टर्न ओवर का गलत निर्धारण

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम के अंतर्गत, किसी अवधि के संबंध में कर योग्य टर्न ओवर का आशय किसी व्यवसाई की विक्रय राशि के उस भाग से है जो उसमें से निर्धारित कटौतियों की छूट प्रदान करने के पश्चात शेष बचता है ।

जुलाई 2007 तथा अगस्त 2007 के मध्य दो क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एक वृत्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि तीन व्यवसाइयों के संबंध में कर योग्य टर्न ओवर के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 21.65 लाख रुपये के कर तथा 1.02 लाख की शास्ति का कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	अवधि कर निर्धारण का माह	कर निर्धारण से वंचित टर्न ओवर का भाग	वस्तु कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपण की राशि	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	क्षे.स.आ., इंदौर	2000–01 (प्रत्यावर्तित) अगस्त 2006	170.54	औषधियां 9.2	15.69	स्टॉक स्थानान्तरण के कारण 3.41 करोड़ रुपये की पात्र कटौती के विरूद्ध, 5.11 करोड़ रुपये की कटौती की गलत छूट प्रदान की गई ।

1	2	3	4	5	6	7
2.	क्षे.स.आ., सतना	2003–04 दिसम्बर2006	42.22 7.67	कनवेयर बेल्ट मटेरियल 9.2 रीट्रीडिंग मटेरियल 13.8	4.94	कनवेयर बेल्टों की मरम्मत के कार्य में संलग्न एक व्यवसाई के सबंध में, बेल्टों की मरम्मत में प्रयोग किए गए कनवेयर बेल्ट मटेरियल तथा रबडीकरण (रीट्रीडिंग) सामग्री को गलत ढंग से खपत किए जाने योग्य माल के रूप में मान कर उसके मूल्य को कर योग्य टर्न ओवर में सम्मिलित नहीं किया गया था ।
3.	वा.क.अ.V, इंदौर	2003–04 जनवरी 2007	26.52	लोहा एवं स्टील 4	1.02 + 1.02	व्यवसाई के व्यापारिक लेखे के अनुसार यद्यपि विक्रय कर योग्य था, फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी ने उसे कर प्रदत्त मानते हुए कर आरोपित नहीं किया ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि एक प्रकरण में 2.04 लाख रुपये की मांग सृजित की गई थी । एक प्रकरण में यह प्रतिवेदित किया गया कि कार्रवाई प्रगति पर है ।

शेष बचे प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने बताया कि कनवेयर बेल्ट तथा टायरों की मरम्मत की प्रक्रिया में कनवेयर बेल्ट मटेरियल तथा रीट्रीडिंग मटेरियल अपनी पहचान खो देते हैं । लेकिन लेखापरीक्षा की यह राय है कि कनवेयर बेल्ट मटेरियल तथा रीट्रीडिंग मटेरियल के गुण तैयार की गई वस्तुओं में रथानान्तरित हो जाते हैं जैसा कि दो न्यायालयीन निर्णयों[26] में तय किया गया है कि धागे की साइजिंग की प्रक्रिया में साइजिंग मटेरियल जैसे स्टार्च तथा रसायन केवल प्रयोग ही नहीं किए जाते हैं बल्कि उनके गुण भी स्थानान्तरित हो जाते हैं, अतः वे कर योग्य हैं ।

प्रकरण सितम्बर 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

26. नीलम टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाम अपर वि.क.अ. (2000) 33 वी.के.एन.107 (म.प्र.) तथा एस.पी.टूल्स एण्ड प्रोसेसर्स बनाम वि.क.आ.,म.प्र. (2001) 27 टी.एल.डी. 223(राजस्व मण्डल) ।

2.14 गलत कटौती की अनुमति के कारण कर का कम आरोपण

म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 2 (डब्ल्यू) (पांच) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8(ए) में कर योग्य टर्न ओवर प्राप्त करने के लिए एक सूत्र निर्धारित किया गया है । इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कर की राशि विक्रय मूल्यों के योग में सम्मिलित नहीं की जाती है तो सूत्र के आधार पर किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

मार्च 2004 तथा फरवरी 2008 के मध्य पांच क्षेत्रीय कार्यालयों[27] तथा चार वृत्त कार्यालयों[28] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 2002 से जनवरी 2007 के मध्य 1999–2000 से 2004–05 तक की अवधियों हेतु कर निर्धारित 14 व्यवसाईयों के प्रकरण में विक्रय मूल्यों में वाणिज्यिक कर सम्मिलित न किए जाने से कुल 2.84 करोड़ रुपये की कटौती की गलत ढंग से अनुमति प्रदान की गई । इसके परिणामस्वरूप 20.10 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर आयुक्त, वाणिज्कि कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि नौ व्यवसाईयों के प्रकरण में 6.15 लाख रुपये की मांग सृजित की गई एवं छूट की राशि के विरूद्ध समायोजित की गई । चार प्रकरणों[29] में यह प्रतिवेदित किया गया कि कार्रवाई प्रगति पर है ।

एक प्रकरण में यह उत्तर दिया गया कि विक्रय कम्पनियों द्वारा पृथक रूप से प्रभारित कर तथा अधिभार टर्न ओवर में सम्मिलित किया गया था, अतः कटौती की अनुमति सही थी । उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि व्यवसाई के लेखापरीक्षित तुलन पत्रक से यह स्पष्ट था कि विक्रय मूल्य में कर सम्मिलित नहीं किया गया था।

प्रकरण मई 2004 तथा अप्रैल 2008 के मध्य शासन को प्रत्तिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.15 मूल्य संवर्धित कर (वेट) का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम की धारा 9–बी के अंतर्गत मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम की अनुसूची–II के भाग II से VI में निर्दिष्ट मालों के पुनर्विक्रय के संवर्धित मूल्य पर निर्धारित दरों से आरोपणीय है ।

[27] . ग्वालियर (2), इंदौर, खण्डवा तथा उज्जैन ।

[28] . इंदौर (2), जबलपुर तथा खरगौन ।

[29] . क्षे.स.आ., ग्वालियर – 03, क्षे.स.आ., इंदौर –01

अक्टूबर 2004 तथा फरवरी 2008 के मध्य चार क्षेत्रीय कार्यालयों[30] तथा दो वृत्त कार्यालयों[31] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 1999–2000 से 2003–2004 तक की अवधियों हेतु मई 2002 तथा जनवरी 2007 के मध्य कर निर्धारित छः व्यवसाइयों के मामले में, 71.76 लाख रुपए के संवर्धित मूल्य के अनिर्धारण/अवनिर्धारण तथा 1.07 करोड़ रुपए के बट्टे तथा विक्रय वापसी की गलत कटौती की स्वीकृति के कारण वैट का अनारोपण/कम आरोपण हुआ। इसके परिणामस्वरूप 14.61 लाख रुपये के वैट की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि तीन प्रकरणों में 5.53 लाख रुपये की मांग सृजित की गई थी जिसमें से 57,918 रुपये की वसूली की गई जबकि दो प्रकरणों[32] में यह बताया गया कि कार्रवाई को अभी अंतिम रुप दिया जाना है । एक प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने बताया कि 56.31 लाख रूपए की वास्तविक राशि के विरुद्ध 40.31 लाख रूपए के प्रारंभिक शेष के निर्धारण से वैट की प्रस्तावित अतिरिक्त देयता उत्पन्न हुई । उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षित तुलन पत्रक में ही प्रारंभिक शेष 40.31 लाख रूपए अभिलेखित था ।

प्रकरण दिसम्बर 2004 तथा अप्रैल 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.16 राज्य के भीतर विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम के अनुसार, यदि विक्रय में माल का प्रचालन एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है अथवा इस प्रचालन के दौरान माल के अधिकार के दस्तावेजों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है तो माल का विक्रय अंतर्राज्यीय माना जाएगा । इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि माल का प्रचालन किसी राज्य से प्रारंभ होकर उसी राज्य में समाप्त हो जाता है तो इसे एक राज्य से दूसरे राज्य को प्रचालन नहीं माना जाएगा ।

अगस्त 2007 में एक क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अक्टूबर 2006 तथा जनवरी 2007 में अवधि 2003–2004 हेतु कर निर्धारित दो व्यवसाइयों ने स्थानीय पंजीकृत व्यवसाइयों को 1.99 करोड़ रूपए मूल्य के सीमेंट पाइप बेचे । लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कथित स्थानीय क्रेता व्यवसाइयों द्वारा जारी सी–फार्मों के आधार पर स्थानीय विक्रय को गलत ढंग से अंतर्राज्यीय विक्रय मानकर चार प्रतिशत की रियायती दर पर कर के आरोपण की अनुमति प्रदान की । इसके

[30] . ग्वालियर (2), इंदौर(2)

[31] छिंदवाड़ा, मंदसौर

[32] . क्षे.स.आ., ग्वालियर – 02

परिणामस्वरूप 9.8 प्रतिशत की विभेदक दर से 18.72 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने एक व्यवसाई अर्थात् मेसर्स कलानी इंडस्ट्रीज के संबंध में बताया (जुलाई 2008) कि व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत बिलों एवं बिल्टियों की प्रतियों से साबित होता है कि व्यापारिक लेनदेन अंतर्राज्यीय था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कथित बिल मेसर्स कलानी इंडस्ट्रीज के बजाय मेसर्स कलानी एस्बेस्टास के थे। आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रेषित की गई बिल्टियों की प्रतियों के अनुसार माल प्राप्त करने वाला व्यवसाई स्वयं है । इस प्रकार उत्तर भ्रामक प्रतीत होता है । दूसरे व्यवसाई के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

प्रकरण अक्टूबर 2007 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2.17 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक विक्रेता व्यवसाई, जो क्रेता व्यवसाइयों से प्राप्त एवं उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सी–फार्म प्रदान करने में विफल रहता है, माल के अंतर्राज्यीय विक्रयों के संबंध में कर का भुगतान रियायती दर के बजाय 10 प्रतिशत या निर्दिष्ट दर से, जो भी अधिक हो, करने का दायी होगा ।

सितम्बर 2006 तथा जनवरी 2008 के मध्य तीन क्षेत्रीय कार्यालयों[33] तथा चार वृत्त कार्यालयों[34] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 11 व्यवसाइयों के प्रकरण में 16.37 करोड़ रुपए के माल के अंतर्राज्यीय विक्रय पर, जिसके संबंध में सी–फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये थे, रियायती/गलत दर से कर आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप 1.15 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम/प्रकरणों की संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु टर्न ओवर	लागू की गई कर की दर (प्रतिशत)	लागू करने योग्य की की दर (प्रतिशत)	कर का कम आरोपण
1	2	3	4	5	6	7
1.	क्षे.स.आ.,इंदौर 03	2002–03 अगस्त 2005 से नवम्बर 2005	पी.वी.सी. चादरें एवं दरवाजे 7.08	4	13.8	0.72

[33] . ग्वालियर, इंदौर (2)

[34] गुना, ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर

1	2	3	4	5	6	7
			एल्यूमीनियम सेक्शन एवं प्रोफाइल 0.22	4	10	
			औषधियां एवं दवाएं 0.17	4	10	
2.	क्षे.स.आ., इंदौर 01	2003–04 जनवरी 2007	दवाएं 3.49	6	10	0.14
3.	क्षे.स.आ., ग्वालियर 02	2002–03 एवं 2003–04 नवम्बर 2005, जनवरी 2007	पी.वी.सी. चादरें 2.53	10	13.8	0.10
			जैली बैली एवं मिल्क बार 0.42	4	13.8	0.05
4.	वा.क.अ.-IV, जबलपुर 01	2002–03 जनवरी 2006	रेडीमेड वस्त्र 0.83	4	10	0.05
5.	वा.क.अ.-III, ग्वालियर 01	2002–03 दिसम्बर 2005	कार्बन ब्रुश एवं ब्लॉक 0.72	4	10	0.04
6.	वा.क.अ.,-गुना 01	2003–04 दिसम्बर 2006	धनिया दाल 0.45	4	10	0.03
7.	वा.क.अ.-VIII, इंदौर 02	2002–03 जनवरी 2006	लीफ स्प्रिंग 0.46	4	10	0.03

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, आयुक्त वाणिज्यिक कर ने सूचित किया (जुलाई 2008) कि तीन प्रकरणों में 19.38 लाख रुपये की मांग सृजित की गई थी, जिसमें से 14.43 लाख रुपये की राशि छूट की सीमा के विरूद्ध समायोजित की गई थी तथा शेष प्रकरणों[35] में कार्रवाई प्रगति पर थी ।

प्रकरण नवम्बर 2006 तथा मार्च 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

[35] . वा.क.अ.गुना–01, वा.क.अ. III , ग्वालियर–01, वा.क.अ.VIII, इंदौर–02, क्षे.स.आ., इंदौर – 04

अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में 12,185 प्रकरणों में 88.06 करोड रूपये की राशि का अनिर्धारण, अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण प्रकट हुआ जिसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अतिरिक्त छीजन पर शुल्क का अनारोपण /वसूली न होना	10,070	25.06
2.	देशी स्पिरिट/परिशोधित स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न करने पर शास्ति का अनारोपण	272	5.54
3.	लाइसेंस की शर्तो के उल्लंघन पर शास्ति का अनारोपण	348	4.74
4.	आबकारी दुकानों से लाइसेंस फीस की वसूली न होना	127	2.05
5.	आबकारी दुकानों की पुनर्नीलामी/बोली लगाने में हानि	23	1.88
6.	अन्य	1,345	48.79
	योग	**12,185**	**88.06**

वर्ष 2007–08 के दौरान, विभाग ने 9,520 प्रकरणों में अंतर्निहित 24.73 करोड रूपये के कर के अवनिर्धारण को स्वीकार किया । इनमें से 21.76 करोड रूपये की अंतर्निहित राशि के 9,489 प्रकरणों को वर्ष 2007–08 के दौरान तथा शेष प्रकरणों को पूर्ववर्ती वर्षो में इंगित किया गया था। 31 प्रकरणों में 2.72 करोड रूपये की राशि की वसूली की गई है ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 7.95 करोड रूपये की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

3.2 निर्यात की गई विदेशी मदिरा/बीयर की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में प्रावधान है कि भारत के अंदर विदेशी मदिरा/बीयर का निर्यात सन्निहित शुल्क का भुगतान कर या शुल्क की राशि के लिए बैंक गारन्टी प्रस्तुत कर या शोधनक्षम प्रतिभूतियों के साथ अनुबंध पत्र निष्पादित करने पर किया जा सकेगा । लाइसेंसधारक को आयातक इकाई से एक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर इसे अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिन के भीतर अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए । यदि लाइसेंसधारक ऐसा करने में विफल रहता है तो उससे निर्यात की गई मदिरा पर, नियमों के अंतर्गत किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त, आरोपणीय शुल्क की वसूली की जाएगी ।

जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य छः जिलों[1] की आसवनियों तथा यवासवनियों एवं जबलपुर जिले में कैंटीन भण्डार विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि सितम्बर 2006 तथा जनवरी 2008 के मध्य लाइसेंसधारकों ने 66 अनुज्ञापत्रों पर 1,68,616.35 प्रूफ लीटर[2] विदेशी मदिरा तथा 1,37,661 बल्क लीटर बीयर का निर्यात किया । अनुज्ञापत्रों की वैधता अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक से 12 माह तक व्यतीत हो जाने के बाद भी सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे; लेकिन 4.02 करोड रूपये की शुल्क की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 4.02 करोड रूपये की आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि अनुज्ञापत्रों की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में 12 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा 51 प्रकरणों में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि ग्वालियर के एक प्रकरण में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण मदिरा की कम प्राप्ति के संबंध में कार्रवाई की जा रही है । रायसेन जिले के दो प्रकरणों से संबंधित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति न होने पर शुल्क की वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की गई । इसके अतिरिक्त, उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता है कि सत्यापन प्रतिवेदन समय पर प्राप्त हुए थे या नहीं । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर2008) ।

1 भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना तथा रायसेन ।

2 साइक्स हाइड्रोमीटर या आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उपकरण द्वारा सुनिश्चित प्रूफ लीटर की शक्ति ।

3.3 स्पिरिट, शीरे तथा विदेशी मदिरा का निवर्तन न किए जाने के कारण आबकारी शुल्क की वसूली न होना

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम तथा मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 में प्रावधान है कि लाइसेंस या नामपत्रों की वैधता अवधि समाप्त होने, नवीनीकरण न होने तथा निरस्तीकरण होने पर लाइसेंसधारक स्पिरिट, शीरे तथा बोतलबंद विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण स्टॉक आबकारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन रखेगा । हालांकि, लाइसेंसधारक को ऐसी वैधता अवधि की समाप्ति या निरस्तीकरण के 30 दिन के भीतर ऐसे स्टॉक को किसी अन्य लाइसेंसधारक को निस्तारित/निवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु इसमें असफल रहने पर आबकारी आयुक्त राज्य के किसी अन्य पात्र लाइसेंसधारक को ऐसे स्टॉक को क्रय करने के लिए कह सकता है या स्टॉक के निवर्तन हेतु आवश्यक निर्देश दे सकता है जिससे आबकारी शुल्क की वसूली की जा सके ।

जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य चार जिलों[3] में एक आसवनी[4], एक विदेशी मदिरा बोतल भराई संयंत्र[5] तथा दो यवासवनियों[6] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि फरवरी 2005 तथा सितम्बर 2007 के मध्य लाइसेंस/नामपत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के समय संयंत्र में 11,335.3 प्रूफ लीटर बोतल बंद विदेशी मदिरा, 42,833.675 बल्क लीटर बीयर तथा 74,554.9 प्रूफ लीटर स्पिरिट स्टॉक में थी, जिसमें 1.26 करोड रूपये का शुल्क अंतर्निहित था। पांच से 32 माह तक व्यतीत हो जाने के बाद भी लाइसेंसधारकों/विभाग द्वारा स्टॉक को निवर्तित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 1.26 करोड रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि इंदौर तथा रतलाम जिलों से संबंधित स्पिरिट के स्टॉक का निवर्तन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है जबकि छतरपुर जिले से संबंधित बीयर के स्टॉक को नष्ट करने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं । भिण्ड जिले से संबंधित विदेशी मदिरा मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है जिसको नष्ट करने के आदेश जारी नहीं किये जा सके क्योंकि प्रकरण न्यायालय में लंबित है । इस प्रकार विदेशी मदिरा का निवर्तन करने में विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई । आगामी प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ हैं (दिसम्बर 2008)। शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

3 भिण्ड, छतरपुर, इंदौर तथा रतलाम ।

4 रतलाम अल्कोहल संयंत्र ।

5 मैसर्स गोल्ड वाटर ब्रेवरीज, मालनपुर ।

6 मैसर्स जगपिन ब्रेवरीज, नौगांव तथा एम.पी. बीयर, इंदौर ।

3.4 आसवनी में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किया जाना

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों के अन्तर्गत लाइसेंसधारक द्वारा आसवनी में स्पिरिट के निर्धारित न्यूनतम स्टॉक का संधारण किया जाना अपेक्षित है । ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्टॉक से कम पाई गई मात्रा पर पांच रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनधिक की दर से शास्ति आरोपित की जा सकेगी । यह शास्ति, इस तथ्य पर विचार किये बिना कि शासन को इससे वास्तव में कोई हानि हुई है या नहीं, लायसेंसधारक द्वारा देय होगी ।

जनवरी 2008 में रायसेन जिले की एक आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि सितम्बर 2006 तथा नवम्बर 2007 के मध्य आसवक द्वारा 105 अवसरों पर स्पिरिट का निर्धारित न्यूनतम स्टॉक संधारित नहीं किया गया लेकिन प्राधिकारी ने न्यूनतम निर्धारित स्टॉक से कम पाई गई 22.94 लाख प्रूफ लीटर की मात्रा पर 1.14 करोड रूपये की शास्ति आरोपित नहीं की थी ।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि लेखापरीक्षा द्वारा स्टॉक की गणना/निर्धारण करते समय एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई.एन.ए.) को सम्मिलित नहीं किया गया था । उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि ई.एन.ए. का स्टॉक आसवनी के साथ उसी परिसर में कार्यरत विदेशी मदिरा के बोतल भराई संयंत्र में पृथक लाइसेंस के अंतर्गत रखा जाता है । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008)।

3.5 पुनर्आसवन में स्पिरिट की छीजन की गलत छूट

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) के विनिर्माण के लिए पुनर्आसवन के दौरान परिशोधित स्पिरिट (आर.एस.) की छीजन के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं है ।

मार्च 2008 में जिला राजगढ़ की एक आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मार्च तथा सितम्बर 2007 के मध्य ई.एन.ए. का उत्पादन करने के लिए 39.47 लाख प्रूफ लीटर परिशोधित स्पिरिट का पुनर्आसवन किया गया तथा 74,242.1 प्रूफ लीटर परिशोधित स्पिरिट की छीजन की छूट प्रदान की गई जो अनुमत्य नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप 1.02 करोड[7] रूपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि मध्य प्रदेश आसवनी नियम के नियम 6(2) में पुनर्आसवन हेतु दो प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है तथा

[7] 12,918.6 x 125 रू. = 16,14,825 रू.
61,323.5 x 140 रू. = 85,85,290 रू.
1,02,00,115 रू.

इस प्रकार छूट अनुमत्य थी । उत्तर सही ढंग से नियमों की व्याख्या नहीं करता है । लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति ई.एन.ए.के उत्पादन हेतु आर.एस.के पुनर्आसवन के बारे में है, जबकि नियम 6(2) अवमानक या मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई गई स्पिरिट के पुनर्आसवन के प्रकरणों में छीजन की छूट से संबंधित है, जो इस प्रकरण में लागू नहीं होता है । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

3.6 विदेशी मदिरा का निवर्तन न किये जाने के कारण आबकारी शुल्क प्राप्त न होना

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत नामपत्र के अंतर्गत बेची जाने वाली मदिरा अवमानक पाई जाती है या आबकारी आयुक्त को यह विश्वास है कि नामपत्र अश्लील, निंदनीय तथा मानसिक आघातकारी है, तो वह उस नामपत्र के पंजीयन को निरस्त करने का आदेश दे सकता है । ऐसे निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप आबकारी आयुक्त किसी लाइसेंसधारक द्वारा धारित निरस्त किये गये नामपत्र के स्टॉक का पुनर्आसवन द्वारा निवर्तन किये जाने के संबंध में उपयुक्त आदेश भी जारी कर सकता है ।

फरवरी तथा मार्च 2008 के मध्य जबलपुर तथा राजगढ़ जिले की दो आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2007–08 से ई.एन.ए. से भारत में बनी विदेशी मदिरा के विनिर्माण का प्रावधान होने के फलस्वरूप, परिशोधित स्पिरिट से बनाई गई विभिन्न नामपत्रों की 25,724.01 प्रूफ लीटर बोतलबंद विदेशी मदिरा, जिसमें 46.30 लाख रूपये का शुल्क अंतर्निहित था, विदेशी मदिरा मालगोदामों से आसवनियों को वापस लौटाई गई थी । यह स्टॉक 9 से 10 माह बाद भी अप्रैल से जून 2007 तक अनिवर्तित पड़ा हुआ था । विभाग ने निवर्तन हेतु विदेशी मदिरा के स्टॉक के पुनर्आसवन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप 46.30 लाख रूपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि जबलपुर जिले से संबंधित मदिरा के स्टॉक का निवर्तन करने की कार्रवाई की जा रही है जबकि राजगढ़ जिले में, 20916.4 प्रूफ लीटर बोतल बंद विदेशी मदिरा में से 17,231 प्रूफ लीटर मालगोदामों को भेज दी गई है तथा शेष 3,685.4 प्रूफ लीटर मांग करने पर मालगोदामों को भेजी जाएगी । इस प्रकार शासन को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है । उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि 20,916.4 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा परिशोधित स्पिरिट से निर्मित की गई थी तथा 01 अप्रैल 2007 से केवल ई.एन.ए. से भारत में बनाई गई विदेशी मदिरा के विनिर्माण हेतु प्रावधान के परिणामस्वरूप परिशोधित स्पिरिट से बनाई गई विदेशी मदिरा राज्य में नहीं बेची जा सकती थी । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

3.7 विदेशी मदिरा की अमान्य छीजन

विभिन्न चरणों में स्पिरिट की छीजन पर छूट नियमों में निर्धारित की गई है, लेकिन विदेशी मदिरा के बोतल भराई संयंत्रों में रखी गई बोतलबंद विदेशी मदिरा की दुर्घटना के कारण या अन्यथा हुई छीजन की छूट हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं है ।

जनवरी 2008 में रायसेन जिले की एक आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जून 2007 में विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई में आग लगने के कारण 20,993.22 प्रूफ लीटर बोतल बंद विदेशी मदिरा की हानि/छीजन हुई जिसमें 38.41 लाख रूपये का शुल्क अंतर्निहित था । चूंकि बोतल बंद मदिरा की हानि नियमों में अनुमत्य नहीं थी, अतः शुल्क लाइसेंसधारक से वसूली योग्य था । परन्तु विभाग ने लाइसेंसधारक से शुल्क की वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप 38.41 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि गोदाम में आग लगने के कारण मदिरा की हानि की सूचना कार्यालयाध्यक्ष तथा कलेक्टर को दी गई थी । उत्तर में लाइसेंसधारक से वसूली करने के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख नहीं है । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

3.8 विदेशी मदिरा के निर्यात तथा परिवहन में अमान्य हानि तथा उसका कम लेखांकन

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में प्रावधान है कि बोतल बंद विदेशी मदिरा के सभी निर्यातों के लिए अधिकतम हानि की छूट, दूरी पर बिना विचार किए, निर्यात की गई मदिरा का 0.25 प्रतिशत होगी । परिवहन के दौरान यह 0.1 प्रतिशत होगी, यदि विक्रेता लाइसेंसधारक तथा क्रेता लाइसेंसधारक एक ही जिले के हों और यदि वे अलग–अलग जिले के हों तो यह 0.25 प्रतिशत होगी । यदि बोतल बंद विदेशी मदिरा के निर्यात या परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन/हानि होती है तो ऐसी अतिरिक्त छीजन पर निर्धारित शुल्क लाइसेंसधारक से वसूल किया जाएगा ।

जुलाई 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य तीन जिलों[8] की चार विदेशी मदिरा विनिर्माणकारी इकाईयों, तीन यवासवनियों तथा दो विदेशी मदिरा 10 क अनुज्ञप्तिधारकों[9] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मई 2006 तथा दिसम्बर 2007 के मध्य की अवधि में विदेशी मदिरा के निर्यात तथा परिवहन के दौरान 652 प्रकरणों में लाइसेंसधारकों द्वारा 6,324.28 प्रूफ लीटर स्पिरिट तथा 10,990.25 बल्क लीटर बीयर नियमों के अंतर्गत अनुमत्य सीमा से अधिक हानि के रूप में दर्शाई गई थी जिसके लिए 19.78 लाख रूपये का आबकारी शुल्क वसूली योग्य था। इसके अतिरिक्त, भोपाल जिले के दो लाइसेंसधारकों द्वारा 19 प्रकरणों में विदेशी मदिरा माल

8 भोपाल, ग्वालियर, तथा मुरैना ।

9 विनिर्माणकर्ता के केन्द्रीय गोदाम लाइसेंस के बाहर ।

गोदाम से प्राप्त 1,185.43 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा, जिसमें 3.19 लाख रूपये का आबकारी शुल्क अंतर्निहित था, स्पिरिट स्टॉक लेखे में लेखांकित नहीं की गई थी । हालांकि, सत्यापन प्रतिवेदन पूर्ण मात्रा के लिए भेजा गया था । विभाग ने शुल्क को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की । इसके परिणामस्वरूप 22.97 लाख रूपये आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि जुलाई 2007 तथा मई 2008 के मध्य 132 प्रकरणों में भोपाल की सात इकाईयों से 3.91 लाख रूपये तथा ग्वालियर की दो इकाईयों से 8.94 लाख रूपये की राशि वसूल की गई है । ग्वालियर के एक प्रकरण में 1.37 लाख रूपये का आबकारी शुल्क दिल्ली राज्य में जमा किया गया है लेकिन चालान संख्या तथा दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है । ग्वालियर जिले के 13 प्रकरण धौलपुर न्यायालय में लंबित हैं तथा न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्रवाई के संबंध में सूचित किया जाएगा । मुरैना जिले के 4.39 लाख रूपये की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है जिसे वसूली के पश्चात सूचित किया जाएगा । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008)।

3.9 अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों में प्रावधान है कि आसवक न्यूनतम किण्वन एवं आसवन क्षमताएं क्रमशः 84 एवं 97 प्रतिशत बनाये रखेंगें । विभागीय प्रयोगशाला प्रतिवेदनों के अनुसार शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के प्रत्येक क्विंटल से 91.8 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए । इस उद्देश्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे के मिश्रित नमूने लेकर विभागीय प्रयोगशाला को जांच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है । आसवक के निर्धारित क्षमता बनाये रखने एवं अल्कोहल उतारी में असफल रहने की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकतम 30 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की शास्ति आरोपित की जा सकती है ।

मार्च 2008 में दो आसवनियों[10] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि विभागीय प्रयोगशाला के विश्लेषण प्रतिवेदनों के अनुसार, जून 2007 तथा अक्टूबर 2007 के मध्य उपयोग किये गये 13,678.5 क्विंटल शीरे से अल्कोहल का उत्पादन 5,62,765 प्रूफ लीटर होना चाहिए था, जबकि वास्तविक उत्पादन 5,46,936 प्रूफ लीटर था जिसके परिणामस्वरूप 15,829 प्रूफ लीटर की कमी हुई । परिणामस्वरूप (140 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से) 22.16 लाख रूपये का आबकारी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ । फिर भी जिला आबकारी अधिकारियों (आसवनी) ने शास्ति के आरोपण हेतु इन प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को प्रेषित नहीं किया।

[10] मैसर्स कॉक्स इंडिया लिमिटेड, नौगांव (छतरपुर) तथा मैसर्स विंध्याचल डिस्टीलरी पिलूखेड़ी (राजगढ़)।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि छतरपुर जिले के प्रकरण में कार्रवाई की जा रही है, जबकि राजगढ़ जिले के संबंध में यह बताया गया कि अल्कोहल का उत्पादन मानकों के अनुसार था यदि इसकी गणना उस शीरे की सम्पूर्ण मात्रा के आधार पर की जाती है जिसके लिए मिश्रित नमूना रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक आसवनी में उत्पादन विभागीय प्रयोगशाला के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुसार नहीं था । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

3.10 बोतल बंद देशी मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर शुल्क की वसूली न करना

मध्य प्रदेश देशी स्पिरिट नियमों के अंतर्गत लाइसेंसधारक द्वारा निर्यात की जा रही बोतल बंद देशी स्पिरिट की सम्पूर्ण मात्रा पर निर्धारित आरोपणीय शुल्क जमा किया जाना या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी स्थानीय शाखा से समान राशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है । उसे आयातक इकाई से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर लेना चाहिए और यदि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो लाइसेंसधारक से आरोपणीय शुल्क की वसूली की जाएगी ।

जनवरी 2008 में रायसेन जिले की एक आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि लाइसेंसधारक द्वारा सितम्बर 2006 तथा नवम्बर 2007 के मध्य की अवधि के दौरान 654 अनुज्ञापत्रों पर 30.77 लाख प्रूफ लीटर बोतल बंद देशी मदिरा छत्तीसगढ़ राज्य को निर्यात की गई । आयातक इकाईयों द्वारा जारी सत्यापन प्रतिवेदनों में इसमें से 30.61 लाख प्रूफ लीटर की अभिस्वीकृति दी गई । इस प्रकार अभिस्वीकृति न दिये गये 16,429.69 प्रूफ लीटर पर आरोपणीय 21.70 लाख रूपये के शुल्क की वसूली निर्यातक लाइसेंसधारक से नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप 21.70 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि देशी मदिरा निर्धारित निर्यात शुल्क की वसूली के उपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य को निर्यात की गई है तथा पारगमन हानि पर शुल्क का अधिरोपण उस राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है । उत्तर नियमों के अनुरूप नहीं है क्योंकि प्राप्ति स्थान पर कम पाई गई मदिरा की मात्रा पर आबकारी शुल्क की वसूली निर्यातक से की जानी थी । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

3.11 स्पिरिट/देशी मदिरा की अमान्य छीजन

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों के अनुसार एक आसवनी/मालगोदाम से दूसरी आसवनी/मालगोदाम को परिवहित की गई या टैंकरों में निर्यात की गई स्पिरिट के रिसाव या वाष्पीकरण के कारण 0.1 से 0.2 प्रतिशत की छीजन अनुमत्य है । अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन होने की स्थिति में आबकारी आयुक्त या उस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी शारित अधिरोपित कर सकता है । नियमों में यह भी प्रावधान है कि परिवहन के दौरान बोतल

बंद देशी मदिरा की 0.5 प्रतिशत की अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन होने पर लाइसेंसधारकों से निर्धारित दरों पर शुल्क की वसूली की जाएगी ।

दिसम्बर 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य तीन आबकारी कार्यालयों[11] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि नवम्बर 2006 तथा जनवरी 2008 के मध्य परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक 38,805.16 प्रूफ लीटर स्पिरिट की छीजन के 49 प्रकरणों में 11.64 लाख रूपये की शास्ति आरोपणीय थी । जनवरी 2007 तथा जनवरी 2008 के मध्य बोतल बंद देशी मदिरा के परिवहन के 114 प्रकरणों में अनुमत्य सीमा से अधिक 1,107.645 प्रूफ लीटर देशी मदिरा की छीजन पर 1.50 लाख रूपये का शुल्क वसूली योग्य था, लेकिन आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 13.14 लाख रूपये के शुल्क/शास्ति का अनारोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि ग्वालियर, धार तथा मुरैना जिलों से संबंधित 1.88 लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई प्रगति पर है । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

3.12 लाटरी पद्धति के तहत दुकानों के पुनर्विक्रय से हुई हानि की वसूली का प्रावधान न होना ।

निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मदिरा दुकानों की विक्रय शर्तों में प्रावधान है कि यदि कोई उच्चतम बोलीदाता अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है, आधारभूत लाइसेंस फीस का भुगतान प्रतिभूति जमा राशि समय पर जमा करने में विफल रहता है अथवा विक्रय की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो दुकान का पुनर्विक्रय कर दिया जाएगा । पुनर्विक्रय के कारण शासन को हुई किसी हानि की वसूली चूककर्ता से की जाएगी । वर्ष 2005–06 के लिए लाटरी पद्धति के माध्यम से फुटकर मदिरा दुकानों के विक्रय की शर्तों के अनुसार, लाटरी पद्धति के माध्यम से विक्रय न की जा सकी दुकानों को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाना था। लाटरी पद्धति के तहत शासन द्वारा अधिसूचित विक्रय की शर्तों में दुकानों के पुनर्विक्रय के दौरान शासन को हुई हानि की वसूली के लिए प्रावधान नहीं है ।

अगस्त 2007 में जिला आबकारी कार्यालय, अशोक नगर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 26.20 लाख रूपये के वार्षिक मूल्य पर तीन मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु लाटरी पद्धति के अंतर्गत दो आवेदकों को सफल घोषित किया गया । सफल आवेदक निर्धारित तिथि के भीतर आधारभूत लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति जमा राशि जमा करने में विफल रहे तथा दुकानों का 13.16 लाख रूपये में पुनर्विक्रय करना पड़ा । दुकानों के पुनर्विक्रय की इस प्रक्रिया में धरोहर राशि निक्षेप के रूप में जमा 42,000 रूपये की राशि के समपहरण को ध्यान में रखते

[11] ग्वालियर, मुरैना तथा उज्जैन।

हुए शासन को 12.62 लाख रूपये की हानि हुई । चूंकि लाटरी पद्धति में दुकानों के पुनर्विक्रय के कारण शासन को हुई हानि की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं था, अतः 12.62 लाख रूपये की विभेदक राशि को वसूल करने के लिए चूककर्ताओं के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि नई प्रस्तावित प्रणाली में दुकानों के मूल्यांकन का कार्य बहुत कठिन था तथा यह सर्वश्रेष्ठ सम्भव प्रयासों द्वारा पूर्ण किया गया लेकिन इसके बावजूद राज्य की कुछ दुकानों का मूल्यांकन सहीं ढंग से नहीं किया जा सका । इन परिस्थितियों में अशोक नगर की देशी मदिरा दुकानों से संबंधित आपत्ति सही नहीं है । उत्तर में लाटरी प्रणाली की प्रक्रिया में प्रमुखता से उल्लिखित उपरोक्त कमियों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

अध्याय – 4 : वाहनों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान वाहनों पर कर से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 7,125 प्रकरणों में 49.18 करोड़ रूपये के कर का अनिर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट हुई जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं प्रशमन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	2,352	13.61
2.	माल वाहनों पर वाहन कर तथा शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	2,662	6.33
3.	अन्य अनियमिततायें	2,111	29.24
	योग	**7,125**	**49.18**

विभाग ने 7,125 प्रकरणों में 49.18 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण/हानि को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2007–08 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था । 42 प्रकरणों में आठ लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी थी ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 21.18 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

4.2 वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उपयोग में लाये गये या राज्य में उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटर वाहन पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर कर आरोपित किया जाएगा । यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह फरवरी 2003 तक प्रत्येक माह की चूक के लिए कर की भुगतान न की गई राशि के एक तिहाई की दर से तथा इसके पश्चात तीन माह तक दो प्रतिशत प्रति माह तथा इसके पश्चात सितम्बर 2004 तक चार प्रतिशत की दर से लेकिन कर की भुगतान न की गई राशि के दुगुने से अनधिक शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा । इसके पश्चात शास्ति की दर चार प्रतिशत प्रति माह थी । भुगतान न करने की स्थिति में, कराधान प्राधिकारी एक मांग सूचना–पत्र जारी कर देय राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में करेगा ।

जनवरी 2006 तथा जनवरी 2008 के मध्य 24 परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 4,228 वाहनों के संबंध में अप्रैल 2001 से मार्च 2007 की अवधि से संबंधित 12.08 करोड़ रूपये के वाहन कर का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा कर की वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई की गई । इसके अतिरिक्त, 7.14 करोड़ रूपये की शास्ति यद्यपि आरोपणीय थी, आरोपित नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप नीचे दिये गये विवरणानुसार 19.23 करोड़ रूपये के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	कार्यालयों की संख्या	वाहनों की श्रेणी वाहनों की संख्या	अंतर्निहित अवधि	भुगतान न किया गया कर	आरोपणीय शास्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	23[1]	रिजर्व स्टेज वाहन के रूप में रखे गये लोक सेवा वाहन 809	6/01 से 3/07	4.26	2.58	6.84

[1] क्षे.प्.का., भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन, सहा. क्षे.प. का., गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, सतना, सिवनी तथा शहडोल एवं जि.प.का., झाबुआ, मंडला, नरसिंहपुर, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर तथा विदिशा ।

1	2	3	4	5	6	7
2.	24[2]	माल वाहन 2,575	4/01 से 3/07	3.99	2.54	6.53
3.	19[3]	नियमित स्टेज वाहन अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोक सेवा वाहन 402	5/03 से 3/07	2.93	1.53	4.46
4.	09[4]	मैक्सीकेब 414	4/05 से 3/07	0.65	0.37	1.02
5	03[5]	अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोक सेवा वाहन 09	3/05 से 3/07	0.13	0.07	0.20
6	04[6]	निजी सेवा वाहन 19	4/04 से 3/07	0.12	0.06	0.18
	योग	**4,22[9]**		**12.08**	**7.15**	**19.23**

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जनवरी 2006 से अगस्त 2008 के बीच बताया गया कि 166 प्रकरणों में 36 लाख रूपये की वसूली हो चुकी है तथा शेष प्रकरणों के बारे में बताया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों को मांग सूचना पत्र जारी कर दिये गये हैं या जारी किये जा रहे हैं ।

प्रकरण मार्च 2006 तथा अप्रैल 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

2 क्षे.प.का., भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन, सहा. क्षे.प.का, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, सतना, सिवनी तथा शहडोल एवं जि.प.का., देवास, झाबुआ, मण्डला, नरसिंहपुर, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर तथा विदिशा ।

3 क्षे.प.का., भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन, सहा. क्षे.प.का, गुना, कटनी, खण्डवा, खरगोन, सतना, सिवनी तथा शहडोल एवं जि.प.का., मण्डला, राजगढ़, शाजापुर तथा विदिशा ।

4 क्षे.प.का., भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, रीवा तथा उज्जैन, सहा. क्षे.प.का., खण्डवा, खरगोन तथा सिवनी एवं जि.प.का., राजगढ़ ।

5 क्षे.प.का., इंदौर तथा जबलपुर एवं जि.प.का., राजगढ़ ।

6 क्षे.प.का., ग्वालियर, इंदौर तथा मुरैना एवं जि.प.का., शाजापुर ।

4.3 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित मैक्सीकेब से जीवन काल कर की शेष राशि एवं शास्ति की वसूली करने में विभाग की विफलता

अधिनियम के अनुसार, राज्य में उपयोग में लाये गये या उपयोग के लिए रखे गये अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित प्रत्येक मैक्सीकेब पर कर का आरोपण 150 रूपये प्रति सीट प्रति माह की दर से अथवा नये वाहन के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से एक मुश्त कर आरोपित किया जाएगा जो एक वर्ष में दो समान किस्तों में वसूली योग्य है । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि जीवन काल कर का भुगतान नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी देय कर के भुगतान के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के व्यतिक्रम/चूक के लिये जीवन काल कर के एक दशमांश की दर से किन्तु जीवन काल कर से अनधिक शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा ।

जुलाई 2006 तथा सितम्बर 2007 के मध्य तीन कार्यालयों[7] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि नवीन रूप से पंजीकृत 137 मैक्सीकेब के स्वामियों ने, जिन्हें सितम्बर 2002 तथा मार्च 2005 के मध्य अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया था, नये वाहन के मूल्य के पांच प्रतिशत की एक किस्त का एक मुश्त कर के रूप में भुगतान किया था । मार्च 2003 तथा मार्च 2006 के मध्य देय कर की दूसरी किस्त का वाहन स्वामियों द्वारा न तो भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 28.66 लाख रूपये के जीवन काल कर की कम वसूली हुई । इसके अतिरिक्त, 26.26 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी, लेकिन आरोपित नहीं की गई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, क्षे.प.अ., इंदौर, उज्जैन तथा सहा.क्षे.प.अ., शहडोल ने जुलाई 2006 तथा जनवरी 2008 के मध्य बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त वसूली की कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण जुलाई 2006 तथा मार्च 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया । परिवहन आयुक्त ने उत्तर दिया कि क्षे.प.अ., इंदौर द्वारा दो प्रकरणों में 64,000 रूपये की राशि वसूल की जा चुकी है । शेष प्रकरणों में उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

4.4 निम्नतर दरों पर कर जमा करने के कारण लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर की कम वसूली तथा शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य में उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग हेतु रखे गये प्रत्येक लोक सेवा वाहन पर प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दरों से कर आरोपित किया जाएगा। कर की गणना वाहन की बैठक क्षमता तथा अनुमत्य मार्ग की दूरी के आधार पर की जाएगी ।

[7] क्षे.प.का., इंदौर तथा उज्जैन एवं सहा. क्षे.प.का., शहडोल ।

आरक्षित वाहनों हेतु निर्धारित निम्नतर दर पर कर का आरोपण केवल कराधान प्राधिकारी की अनुमति से वाहन स्वामी द्वारा अनुज्ञापत्र का उपयोग न करने की घोषणा के साथ अनुज्ञापत्र जमा करने की स्थिति में किया जाएगा ।

जुलाई 2006 तथा जनवरी 2008 के मध्य 12 कार्यालयों[8] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि यद्यपि कर की निम्नतर दर लागू किये जाने के कारण वाहन संचालकों द्वारा 89 लोक सेवा वाहनों का अक्टूबर 2003 तथा मार्च 2007 के मध्य की अवधि से संबंधित वाहन कर कम जमा कराया गया, फिर भी विभाग कर की गलत दर के लागू किए जाने का पता लगाने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 19.86 लाख रूपये के वाहन कर की कम वसूली हुई । इसके अतिरिक्त, कर की भुगतान न की गई राशि पर 13.33 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी, लेकिन आरोपित नहीं की गई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, चार कराधान प्राधिकारियों[9] ने जून 2007 तथा अगस्त 2008 के मध्य बताया कि मांग सूचना–पत्र जारी किए जा चुके हैं तथा सहा.क्षे.प.अ., सिवनी एवं जि.प.अ., राजगढ़ ने बताया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों को सूचना मांग–पत्र जारी किये जा रहे हैं, जबकि छः कराधान प्राधिकारियों[10] ने बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा करने के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण जुलाई 2006 तथा अप्रैल 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

4.5 संविदा वाहनों पर वाहन कर की कम वसूली तथा शास्ति का अनारोपण

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(7) के अनुसार संविदा वाहन से तात्पर्य ऐसे मोटर वाहन से है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन करता है और जो ऐसे सम्पूर्ण वाहन के उपयोग के लिए नियत या तय हुई दर पर किसी अभिव्यक्त या निहित संविदा के अधीन यात्रियों के वहन में लगा है, जबकि "शिक्षा संस्थान बस" से तात्पर्य किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान की ओमनी बस से है जो कथित अधिनियम में परिभाषित इसकी गतिविधियों में से किसी के संबंध में शैक्षणिक संस्थान के छात्रों या स्टाफ को लाने एवं ले जाने के एक मात्र उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है ।

वाहन कर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से आरोपणीय है । संविदा वाहन के संबंध में कर की दर संस्थान बस की दर से अधिक है ।

8 क्षे.प.का., भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, सागर तथा उज्जैन, सहा.क्षे.प.का., खण्डवा, सतना तथा सिवनी एवं जि.प.का., राजगढ़, शाजापुर तथा विदिशा ।

9 क्षे.प.का., जबलपुर, मुरैना तथा सागर, सहा. क्षे.प.का. सतना ।

10 क्षे.प.का., भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सहा. क्षे.प.का., खण्डवा तथा जि.प.का., शाजापुर, विदिशा ।

जून 2007 तथा अगस्त 2007 के मध्य तीन कार्यालयों[11] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जुलाई 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य की अवधि के दौरान 14 वाहन संचालकों को 29 अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किए गये थे तथा वाहनों को संविदा वाहन के रूप में उपयोग किया गया था; यद्यपि ये वाहन न तो पट्टा अनुबंध के अंतर्गत रखे गये थे और न ही संस्था के प्राचार्य के नाम से पंजीकृत थे, लेकिन संचालकों द्वारा निजी/शैक्षणिक संस्थान बसों के लिए लागू दर से कर जमा किया गया । इसके परिणामस्वरूप 24.32 लाख रूपये के कर की कम वसूली तथा 6.46 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, क्षे.प.अ., भोपाल ने जुलाई 2007 में बताया कि वाहन स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गये हैं । क्षे.प.अ., मुरैना तथा सहा. क्षे.प.अ., सतना ने अगस्त 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण अगस्त 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (दिसम्बर 2008) ।

4.6 पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत प्रति हस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर संचालित अन्य राज्यों के मोटर वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दूसरे राज्य के किसी मोटर वाहन को अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के 85 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने पर पारस्परिक परिवहन करार के अन्तर्गत प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञापत्रों पर मध्य प्रदेश राज्य में संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है, देय कर का भुगतान न करने पर वाहन स्वामी अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा। यदि वाहन स्वामी कर या शास्ति या दोनों का भुगतान नहीं करता है तो कराधान प्राधिकारी एक मांग सूचना पत्र जारी कर देय राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगा ।

मई 2007 में परिवहन आयुक्त, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत अप्रैल 2005 तथा मार्च 2007 के मध्य की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में संचालित किए गये उत्तर प्रदेश के 68 माल वाहनों के वाहन स्वामियों ने कर का भुगतान नहीं किया । अभिलेखों में इस आशय की कोई जानकारी नहीं थी जो यह दर्शा सके कि अनुज्ञापत्र निरस्त किए गये थे। फिर भी कराधान प्राधिकारी द्वारा मांग सृजित करने के लिए कोई कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरूप 12.83 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ । इसके अतिरिक्त, 6.35 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी ।

[11] क्षे.प.का., भोपाल, मुरैना तथा सहा. क्षे.प.का., सतना ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, परिवहन आयुक्त ने मई 2007 में बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ।

प्रकरण अगस्त 2007 तथा मार्च 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

4.7 वाहन कर की हानि

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के अंतर्गत जारी अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित किए जा रहे लोक सेवा वाहनों पर अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से कर आरोपित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, यदि कराधान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र जमा करने की अनुमति दी गई है, तो उस अवधि के लिए, जिसके दौरान वाहन उपयोग नहीं किया गया हैं, निम्नतर दर पर कर आरोपणीय है ।

परिवहन आयुक्त ने अगस्त 2000, जून 2002 तथा अप्रैल 2004 में निर्देश जारी किए कि परिवहन आयुक्त की पूर्व अनुमति के पश्चात ही कोई अनुज्ञापत्र एक माह से अधिक के लिए अभ्यर्पित किया जा सकता है तथा कराधान प्राधिकारी, इस बात से स्वयं संतुष्ट होने के बाद कि अनुज्ञापत्र का उपयोग न करने के लिए बताये गये कारण वास्तविक तथा परिवहन आयुक्त द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार हैं, वाहन स्वामियों को अनुज्ञापत्र जमा करने की अनुमति प्रदान करेगा । यह भी कि वाहन स्वामियों द्वारा डीजल पर किए गये व्यय, अदा किए गये बीमा प्रीमियम आदि के विवरण को सुनिश्चित करने के पश्चात कराधान प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण किया ज़ाना अपेक्षित है ।

सितम्बर 2007 में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों वाले 19 स्लीपर कोच/डीलक्स बसें तथा आठ अन्य स्लीपर कोच/डीलक्स बसें जिनके लिए कोई अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किया गया, तीन से 12 माह की अवधि तक आरक्षित वाहनों के रूप में रखी गईं । क्षे.प.का., इंदौर (अक्टूबर 2007) तथा क्षे.प.का., ग्वालियर (सितम्बर 2007) के उड़नदस्तों के अभिलेखों के साथ प्रतिसत्यापन करने पर पता चला कि इन 27 वाहनों में से 12 वाहन, उस अवधि के दौरान जिसमें ये आरक्षित रखे गये थे, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के प्रावधानों के उल्लंघन में विभिन्न मार्गों पर चलते हुए पकड़े गये । परिणामस्वरूप शासन 14.27 लाख रूपये के राजस्व से वंचित हो गया । शेष 15 वाहनों के संबंध में कराधान प्राधिकारी द्वारा विभागीय अनुदेशों के अनुसार, लंबी अवधियों हेतु आरक्षित रखे गये इन वाहनों की वास्तविकता को उचित सिद्ध करने तथा अप्राधिकृत संचालन को सत्यापित करने लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर क्षे.प.अ., ग्वालियर ने बताया (सितम्बर 2007) कि अनुज्ञापत्र नियम के अनुसार जमा किए गये थे तथा अधिनियम के अंतर्गत कराधान प्राधिकारी में ये

शक्तियां निहित हैं तथा कार्यवाही न्यायिकवत हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ये वाहन अप्राधिकृत रूप से चलते हुए पाये गये तथा कराधान प्राधिकारियों द्वारा, जैसा कि नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत वांछित है, अनुज्ञापत्र का उपयोग न करने के कारणों की वास्तविकता का निर्धारण नहीं किया गया । क्षे.प.का., इंदौर तथा ग्वालियर के उड़नदस्तों द्वारा अप्राधिकृत रूप से संचालित ऐसे 12 वाहनों का पकड़ा जाना विभागीय उत्तर का खण्डन करता है ।

प्रकरण अक्टूबर 2007 तथा फरवरी 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

4.8 संविदा वाहनों के रूप में उपयोग किए गये निजी वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम के अंतर्गत, राज्य के भीतर संविदा वाहन के रूप में किराये अथवा पारिश्रमिक पर संचालित तथा यात्रियों के परिवहन हेतु उपयोग किए गये प्रत्येक मोटर वाहन पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से कर आरोपित किया जाएगा ।

मार्च 2008 में मुख्य अभियंता, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. (मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड) ग्वालियर क्षेत्र के कार्यालय से भाड़े पर रखे गये वाहनों से संबंधित जानकारी का चार परिवहन कार्यालयों[12] के अभिलेखों के साथ प्रतिसत्यापन करने पर पता चला कि निजी वाहनों के रूप में पंजीकृत तीन से 11 सीटों की बैठक क्षमता वाले 36 वाहन (कार : 4; जीप : 32) मार्च 2004 तथा मार्च 2008 के मध्य की अवधि में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत संविदा वाहन के रूप में संचालित किए गये । इसके परिणामस्वरूप 4.97 लाख रूपये के वाहन कर का अनारोपण हुआ । इसके अतिरिक्त, कर की भुगतान न की गई राशि पर 5.63 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर कराधान प्राधिकारियों, मुरैना तथा गुना ने अप्रैल तथा अगस्त 2008 के मध्य बताया कि मांग सृजित की गई है तथा क्षे.प.अ. ग्वालियर तथा जि.प.अ. शिवपुरी ने बताया (मार्च 2008) कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण अप्रैल 2008 में परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

4.9 वाहन कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति आरोपण में विफलता

अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी मोटर वाहन के संबंध में देय कर का भुगतान धारा 5 में विनिर्दिष्ट किए अनुसार नहीं किया जाता है, तो वाहन स्वामी, देय कर के भुगतान के अतिरिक्त, कर की भुगतान न की गई राशि पर चार प्रतिशत प्रति माह की दर से

[12] क्षे.प.का., ग्वालियर तथा मुरैना, स.क्षे.प.का., गुना तथा जि.प.का., शिवपुरी ।

शास्ति के भुगतान का दायी होगा । म.प्र. मोटरयान कराधान नियम के नियम 10(1) में यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि वाहन स्वामी द्वारा शास्ति का भुगतान कर की राशि के साथ किया जाएगा।

जुलाई 2006 तथा जनवरी 2008 के मध्य सात कार्यालयों[13] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 208 लोक सेवा वाहनों के संबंध में मई 2003 तथा मार्च 2007 के मध्य की अवधि के लिए वाहन स्वामियों द्वारा वाहन कर का भुगतान एक से 33 माह तक के विलंब के पश्चात किया गया था। न तो वाहन स्वामियों द्वारा कर के साथ शास्ति का भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियें द्वारा इसकी मांग की गई । इसके परिणामस्वरूप 9.40 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर पांच कराधान प्राधिकारियों[14] ने जुलाई 2006 तथा अगस्त 2008 के मध्य बताया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों को मांग सूचना पत्र या तो जारी किए जा चुके हैं या जारी किए जा रहे हैं जबकि क्षे.प.अ., उज्जैन तथा सहा. क्षे.प.अ., खण्डवा ने बताया कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त वसूली की कार्रवाई की जाएगी ।

प्रकरण जुलाई 2006 तथा अप्रैल 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया । परिवहन आयुक्त ने उत्तर दिया कि क्षे.प.अ., सागर तथा सहा. क्षे.प.अ., छतरपुर द्वारा दो प्रकरणों में 57,000 रूपये की राशि वसूल की गई है । शेष प्रकरणों में उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

4.10 अनुज्ञापत्र के बिना/अनुज्ञापत्र की शर्तो का उल्लंघन कर संचालित किए गये लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर तथा प्रशमन शुल्क की वसूली न होना/कम वसूली होना

मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञापत्र के बिना अथवा अनुज्ञापत्रों की शर्तो का उल्लंघन कर वाहनों का संचालन एक अपराध है । हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अनुसूची में निर्धारित प्रशमन शुल्क का भुगतान कर अपराध निराकृत किया जा सकता है ।

जुलाई 2006 तथा दिसम्बर 2007 के मध्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, इंदौर तथा जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि यद्यपि विभाग की जांच एजेंसी द्वारा अप्रैल 2004 तथा मार्च 2007 के मध्य की अवधियों के दौरान 28 लोक सेवा वाहन अनुज्ञापत्रों/दस्तावेजों/कर के बगैर तथा क्षमता से अधिक सवारियों के साथ चलते हुये पकड़े गये, लेकिन कर/प्रशमन शुल्क या तो वसूल नहीं किया गया या कम वसूल किया गया ।

[13] क्षे.प.का., मुरैना, सागर तथा उज्जैन, सहा. क्षे.प.का., छतरपुर, खण्डवा तथा खरगोन एवं जि.प.का., राजगढ़।

[14] क्षे.प.का., मुरैना, सागर, सहा. क्षे.प.का., छतरपुर, खरगोन तथा जि.प.का., राजगढ़ ।

कराधान प्राधिकारियों ने बकाया देय राशियों की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप 8.76 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, क्षे.प.अ., इंदौर ने अक्टूबर 2007 में बताया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों से वसूली की जाएगी, जबकि क्षे.प.अ., जबलपुर ने अगस्त 2008 में बताया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों को मांग सूचना पत्र जारी कर दिये गये हैं ।

प्रकरण जुलाई 2006 तथा मार्च 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

4.11 माल वाहनों की ओवर लोडिंग पर प्रशमन शुल्क की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपने पंजीकृत लदान भार से अधिक भार से लदे माल वाहनों का संचालन एक अपराध है । दिनांक 20 जून 2001 की अधिसूचना के अनुसार, तीन मीट्रिक टन तक 600 रूपये तथा तीन मीट्रिक टन से अधिक पर अतिरिक्त भार के प्रत्येक टन पर 200 रूपये का भुगतान करने पर अपराध निराकृत किया जा सकता था । दिनांक 23 अगस्त 2005 की अधिसूचना द्वारा दरें संशोधित की गई थीं ।

जून तथा नवम्बर 2006 के मध्य जांच चौकी, मुलतई (जिला परिवहन कार्यालय, बैतूल) तथा चिरूला (जिला परिवहन कार्यालय, दतिया) के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अगस्त तथा सितम्बर 2005 के मध्य की अवधि के दौरान 441 माल वाहनों पर माल की ओवर लोडिंग के 441 प्रकरण निराकृत किये गये, लेकिन प्रशमन शुल्क संशोधन पूर्व दरों पर वसूल किये जाने के परिणामस्वरूप 7.90 लाख रूपये के प्रशमन शुल्क की कम वसूली हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जि.प.अ., दतिया ने नवम्बर 2006 में बताया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों से वसूली की जाएगी जबकि कराधान प्राधिकारी, बैतूल ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

प्रकरण जुलाई 2006 तथा मार्च 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

4.12 अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालित किए गये अन्य राज्यों के लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

अधिनियम के अनुसार, पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत अन्य राज्य के किसी मोटर वाहन को अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से निर्दिष्ट प्राधिकारी को वाहन कर के भुगतान पर राज्य के अंदर संचालित करने की अनुमति दी जाती है । कर के भुगतान में असफल होने पर वाहन स्वामी अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

अक्टूबर 2006 तथा अगस्त 2007 के मध्य कराधान प्राधिकारियों, दतिया तथा सागर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 14 वाहन संचालकों ने सितम्बर 2003 तथा मार्च 2007, के मध्य की अवधि के लिए पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालन हेतु अनुमति प्राप्त 16 लोक सेवा वाहनों के संबंध में वाहन कर का भुगतान नहीं किया था । कराधान प्राधिकारियों द्वारा राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 3.34 लाख रूपये के वाहन कर एवं 2.25 लाख रूपये की शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, क्षे.प.अ., सागर ने अगस्त 2008 में बताया कि चूककर्ता वाहन स्वामियों को मांग–सूचना पत्र जारी किये गये हैं जबकि जि.प.अ., दतिया ने नवम्बर 2006 में बताया कि वसूली हेतु कार्रवाई करने के उपरान्त लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा ।

प्रकरण नवम्बर 2006 तथा फरवरी 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

अध्याय – 5 : अन्य कर प्राप्तियां

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

मुद्रांक शुल्क, पंजीयन फीस, मनोरंजन शुल्क तथा भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2007–08 के दौरान की गई नमूना जांच में 2,41,624 प्रकरणों में 231.72 करोड़ रूपये के राजस्व के अनिर्धारण/अवनिर्धारण एवं मांग जारी न करने के प्रकरण दृष्टिगत हुए जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
	क : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
1.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण एवं आरोपण (समीक्षा)	1	91.57
2.	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब	918	4.59
3.	संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली	804	4.43
4.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व हानि	176	2.79
5.	सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों के कारण राजस्व हानि	784	2.56
6.	अन्य	339	1.73
	योग	**3,022**	**107.67**
	ख : मनोरंजन शुल्क		
1.	मनोरंजन शुल्क के भुगतान से गलत छूट	32	11.35
2.	मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	129	1.22
3.	वी.सी.आर. तथा वी.सी.पी. के संचालकों द्वारा मनोरंजन शुल्क जमा न किया जाना/कम जमा किया जाना ।	486	0.63

4.	टिकटों के अलेखांकन के कारण मनोरंजन शुल्क का अपवंचन	133	0.02
5	अन्य	265	0.02
	योग	**1,045**	**13.24**
	ग : भू–राजस्व		
1.	राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के पंजीयन एवं उनके विरूद्व राजस्व वसूली में विलम्ब	10,246	69.43
2.	नजूल प्रब्याजि एवं भू–भाटक का अनिर्धारण/अवनिर्धारण	40,993	16.73
3.	व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थदण्ड/शास्ति की मांग सृजित न करना	76,339	7.18
4.	प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना	9,666	2.32
5.	दस्तावेजों का पंजीयन न होने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि	22	0.42
6.	अन्य	1,00,291	14.73
	योग	**2,37,557**	**110.81**
	महायोग (क+ख+ग)	**2,41,624**	**231.72**

वर्ष 2007–08 के दौरान विभाग ने 2,41,218 प्रकरणों में अंतर्निहित 122.98 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया जिनमें से 117.46 करोड़ रूपये के 2,39,673 प्रकरण वर्ष 2007–08 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए तथा शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षो से संबंधित है । 268 प्रकरणों में 52 लाख रूपये की वसूली हो चुकी थी ।

"मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण एवं आरोपण" की समीक्षा सहित कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 96.90 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

क : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

5.2.1 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण तथा आरोपण

प्रमुख विशेषताऐं

- मांग स्थापित होने के बाद राजस्व वसूली प्रमाण पत्र की कार्यवाही आरंभ करने की समय सीमा बाबत स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण 5.08 करोड़ रूपये का राजस्व वसूल न होना ।

(कंडिका 5.2.8)

- अन्य विभागों से सामन्जस्य में कमी के कारण 53.28 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का वसूल न होना/कम वसूल होना ।

(कंडिका 5.2.9)

- 7.67 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अवनिर्धारण/कम आरोपण होना ।

(कंडिका 5.2.12)

- गलत दरें लागू करने के कारण 4.21 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम वसूल होना ।

(कंडिका 5.2.13)

- पट्टा विलेख का पंजीयन न होने के परिणामस्वरूप 4.13 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का वसूल न होना ।

(कंडिका 5.2.14)

- एन.वी.डी.ए. द्वारा प्रतिपूर्ति न किये जाने के कारण 3.49 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का वसूल न होना ।

(कंडिका 5.2.15)

- विलेखों के न्यून मूल्यांकन के कारण 1.85 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण होना ।

(कंडिका 5.2.16)

- दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण 1.81 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम वसूल होना ।

(कंडिका 5.2.17)

- गलत छूट प्रदान करने के कारण 1.29 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण होना ।

(कंडिका 5.2.18)

5.2.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से प्राप्तियों का विनियमन भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, मध्यप्रदेश लिखतों का न्यून–मूल्यांकन निवारण नियम, 1975 तथा मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश/अधिसूचनाओं के अधीन होता है । विभाग की प्राप्तियां मुख्यतः मुद्रांक शुल्क, पंजीयन फीस एवं शास्तियों से मिलती हैं ।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं आरोपण की कार्यप्रणाली की समीक्षा में प्रणाली एवं अनुपालन संबंधी बहुत सी कमियां दृष्टिगत हुई जिनका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

5.2.2 संगठनात्मक संरचना

मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश (आई.जी.आर.) विभाग प्रमुख है । दो संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन, एक उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं एक जिला पंजीयक मुख्यालय पर कार्यरत हैं । प्रत्येक पंजीयन जिले (44) में एक जिलापंजीयक कार्यालय है तथा तहसील स्तर पर 226 उपपंजीयक कार्यालय हैं । दस्तावेजों का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालयों में होता है ।

5.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

44 में से नौ जिलापंजीयक कार्यालयों एवं 226 में से 30 उपपंजीयक कार्यालयों के वर्ष 2003–04 से 2007–08 के अभिलेखों की नमूना जांच जून 2007 से मई 2008 के मध्य की गई। इन चयनित इकाइयों में ऊपर उल्लेखित वर्षों में कुल पंजीयत दस्तावेजों का 46.97 प्रतिशत एवं कुल राजस्व वसूली का 57.97 प्रतिशत भाग शामिल था । इन इकाइयों का चयन सामान्य अनियमित नमूना रीति से किया गया था ।

5.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गई थी कि क्या

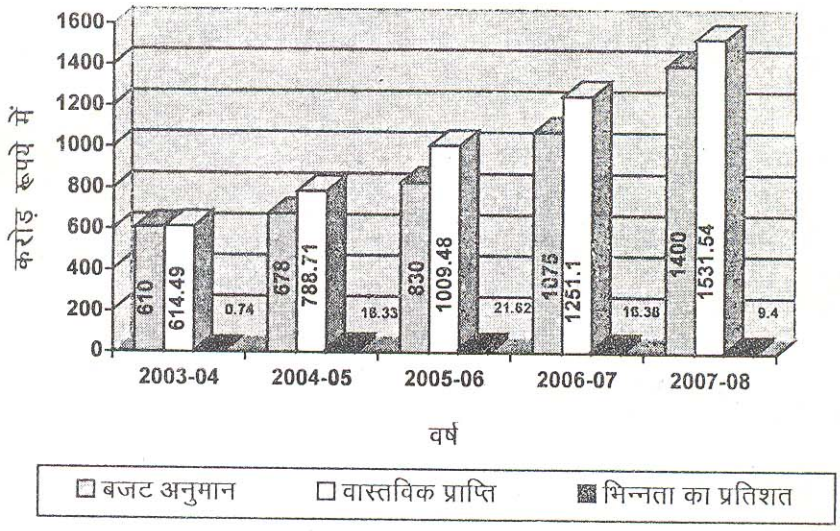
- अधिनियम/नियमों एवं विभागीय निर्देश पर्याप्त हैं और वे राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए समुचित रूप से लागू किये गये हैं; और
- विभाग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावी थी और विलेखों पर शुल्क एवं फीस संग्रहण की सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध थे ।

5.2.5 अभिस्वीकृति

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को जानकारियां उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करने के लिये भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग धन्यवाद व्यक्त करता है । अभिलेखों की नमूना जांच के फलस्वरूप लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को मई 2008 में शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया गया था । अक्टूबर 2008 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में समीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई । विभाग का प्रतिनिधित्व आई.जी.आर. ने किया तथा शासन के प्रतिनिधि के रूप में प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग उपस्थित हुए । उनके उत्तर समुचित रूप में समीक्षा में सम्मिलित किये गये हैं ।

5.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

31 मार्च 2008 को समाप्त विगत पांच वर्षों में राजस्व की प्रवृत्ति निम्नानुसार रही :



वर्ष 2004–05 से राजस्व संग्रहण में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके मुख्य कारण रजिस्ट्रीकरण योग्य दस्तावेजों में बढ़ोत्तरी होना, हाइपोथिकेशन के विलेखों में शुल्क आरोपण के संबंध में संशोधन होना तथा सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा निष्पादित विलेखों पर शुल्क भुगतान से छूट को समाप्त करना है ।

5.2.7 बकाया राजस्व की स्थिति

31 मार्च 2008 को समाप्त विगत पांच वर्षों में राजस्व बकाया की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रकरणों की संख्या	राशि
2003-04	31,744	51.52
2004-05	35,544	75.17
2005-06	37,957	65.36
2006-07	38,304	77.18
2007-08	36,769	71.51

इस प्रकार, 31 मार्च 2008 को 71.51 करोड़ रूपये का बकाया राजस्व लंबित था जिसमें से 13.22 करोड़ रूपये पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित था । बकाया वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई समयबद्ध कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है । तथापि, वर्ष 2006–07 से बकाया राजस्व की वसूली हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । उपमहानिरीक्षक पंजीयन ने सितंबर 2008 में बताया कि वसूली मुख्यतः बकायादारों के सही विवरण/पते न होने के कारण नहीं हुई है । यद्यपि, आई.जी.आर. द्वारा फरवरी 2007 में निष्पादकों की पहचान के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने बावत् कार्यपालिक निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु इससे बकाया की स्थिति में सुधार नहीं हो सका क्योंकि अधिनियम/नियमों में निष्पादकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के समय स्थायी निवास के पते का प्रमाण प्रस्तुत करने और उपपंजीयक कार्यालय में इसका सत्यापन करने के बाबत कोई प्रावधान नहीं है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणालीगत कमियां

5.2.8 मांग स्थापित होने के बाद राजस्व वसूली प्रमाण पत्र की कार्यवाही आरंभ करने की समय सीमा का प्रावधान न होने के कारण राजस्व की वसूली न होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां, जो किसी व्यक्ति द्वारा देय हो, उसकी चल संपत्ति की जब्ती और विक्रय द्वारा अथवा भू–राजस्व के बकाया की वसूली के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेंगीं । तथापि, मांग स्थापित होने के बाद राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा विभाग द्वारा निर्धारित नहीं की गई है ।

पांच जिलों[1] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि जनवरी 2002 से मार्च 2007 के मध्य जिला पंजीयकों द्वारा 4.89 करोड़ रूपये के राजस्व से सन्निहित 477 प्रकरण निर्णित किये गये थे किन्तु विभाग द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के बाद वसूली के प्रयत्न

[1] भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर और मुरैना

की आगामी कार्यवाही की पहल नहीं की गई । इसके कारण 4.89 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई । उक्त 477 प्रकरणों में से जिला पंजीयक ग्वालियर में मार्च 2002 से फरवरी 2007 के मध्य पंजीयत 24 प्रकरणों में यह दृष्टिगत हुआ कि राजस्व वसूली प्रमाण पत्र[2] पंजी में प्रकरण निर्णय के दिनांक से चार से 29 माह बाद पंजीबद्ध किये गये थे । इनमें से सात प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र पंजी में पंजीबद्ध करने के बाद मांग पत्र जारी नहीं किये गये थे । तीन प्रकरणों में कुर्की वारंट[3] फरवरी से अगस्त 2005 के मध्य जारी किये गये थे किन्तु संपत्ति के कोर्ट अटैचमेंट एवं उसके निराकरण की आगामी कार्यवाही की पहल नहीं की गई ।

मुरैना एवं सागर के जिला पंजीयक कार्यालयों में सितम्बर 2003 से मई 2007 के मध्य 18.55 लाख रूपये राशि के निर्णित 141 प्रकरणों में नौ से 53 माह व्यतीत होने के पश्चात भी वसूली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई ।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने पर आई.जी.आर. एवं शासन ने बताया (अक्टूबर 2008) कि म.प्र. का विशिष्ट मुद्रांक अधिनियम, जो शासन के समक्ष विचाराधीन है, में मुद्रांक शुल्क को सम्पत्ति पर भार बनाया जावेगा ।

शासन द्वारा मांग स्थापित होने के पश्चात राजस्व वसूली प्रमाण पत्र कार्यवाही करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने हेतु विचार किया जा सकता है ।

5.2.9 लोक कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में असफल होना तथा अन्य विभागों से सामन्जस्य में कमी

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 के अनुसार प्रत्येक लोक अधिकारी[4] द्वारा असम्यक रूप से मुद्रांकित विलेखों को परिबद्ध करना एवं उपरोक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन कार्यवाही करना बाध्यकारी है । लेखापरीक्षा जांच में यह दृष्टिगत हुआ कि पंजीयन विभाग ने लोक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या एवं असम्यक रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों इत्यादि के बारे में विवरणी निर्धारित नहीं की गई हैं। ऐसी विवरणी की अनुपस्थिति में पंजीयन विभाग को पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या और चुकाये गये शुल्क की प्रामाणिकता ज्ञात नहीं थी । कार्यपालिक अनुदेश की कंडिका 469 के अनुसार यह देखने के लिये कि मुद्रांक शुल्क

2 देय राशियों की भू–राजस्व की भांति वसूली के लिए जिला पंजीयक अतिरिक्त तहसीलदार की भांति कार्य करते हैं । आर.आर.सी. पंजी में देय राशियां अंकित होने के बाद म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत वसूली प्रक्रिया शुरू की जाती है ।

3 अचल संपत्ति के कोर्ट अटैचमेंट हेतु सूचना पत्र

4 भारतीय मुद्रांक अधिनियम के उद्धेश्यों के लिए शासकीय विभाग, गृह निर्माण मंडल, स्थानीय निकाय, निगम, बैंक आदि अधिसूचना क्रमांक 196–छह–एस.आर.–80 दिनांक 20 मार्च 1980 द्वारा लोक कार्यालय घोषित किये गये ।

सही चुकाया गया है और पंजीयन योग्य दस्तावेज उपपंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं, जिला पंजीयक ,द्वारा लोक कार्यालयों के अभिलेखों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है । यह पाया गया कि जिला पंजीयक द्वारा लोक कार्यालयों के निरीक्षण के लिये विभाग ने कोई मापदण्ड या लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये । इसके अलावा, जिला पंजीयक द्वारा किये गये निरीक्षणों को मॉनीटर करने के लिये विभाग द्वारा कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई है । परिणामस्वरूप काफी बड़ा राजस्व वसूल होने से रह गया जिसका वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

5.2.9.1 आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल (म.प्र.गृ.नि.मं.) के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि शासन द्वारा म.प्र.गृ.नि.मं. को 23,885 वर्ग मीटर (व.मी.) भूमि व्यावसायिक प्रयोजन के लिए स्थायी पट्टे पर आवंटित की गई थी (अक्टूबर 2006) । म.प्र.गृ.नि.मं. ने परियोजना के विकास और निर्माण एवं तदन्तर योजना भूमि को पट्टे पर देने के लिये शर्तें विनिश्चित करने के लिए एक कंपनी के साथ सौ रूपये के मुद्रांक पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया । म.प्र.गृ.नि.मं. द्वारा यह भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिये 64.56 करोड़ रूपये प्रब्याजि पर उपलब्ध कराई गई और प्रब्याजि का 7.5 प्रतिशत भाटक भी आरक्षित था । यह दस्तावेज पट्टा विलेख के समान मुद्रांकित एवं पंजीकृत किया जाना अपेक्षित था, पर ऐसा नहीं किया गया । यद्यपि म.प्र.गृ.नि.मं. को लोक कार्यालय घोषित किया गया है, तथापि वह विलेख पर उपयुक्त शुल्क के आरोपण एवं उसके उपपंजीयक कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने संबंधी दायित्व का निर्वाह करने में असफल रहा । जिसके परिणामस्वरूप 7.46 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क कम वसूल हुआ तथा 5.59 करोड़ रूपये की पंजीयन फीस की वसूली नहीं हुई । म.प्र.गृ.नि.मं. कार्यालय का निरीक्षण भी जिला पंजीयक द्वारा नहीं किया गया था ।

प्रकरण को लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, उपायुक्त, म.प्र.गृ.नि.मं. ने जुलाई 2008 में बताया कि अनुबंध पट्टा अनुबंध न होकर लायसेंस अनुबंध की प्रवृत्ति का था तथा संपूर्ण नीलाम राशि के भुगतान के बाद डेवलपर द्वारा पट्टा विलेख निष्पादन करना अपेक्षित था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रब्याजि/भाटक और पट्टे से संबधित सभी उपबंध एवं शर्तें दस्तावेज में विनिश्चित कर दी गई थी । निर्माण हेतु कब्जा भी दे दिया गया था तथा पट्टेदार वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि बंधक करने के लिए प्राधिकृत था । इस प्रकार दस्तावेज पट्टा विलेख के समान मुद्रांकित एवं उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करना अपेक्षित था ।

5.2.9.2 संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (म.प्र.स.वि.नि.) उज्जैन के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि सडक के रखरखाव और पथ कर के संग्रहण की 65.19 करोड़ रूपये की परियोजना के लिये नवम्बर 2001 में मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम (म.प्र.रा.से.नि.नि.) एवं एक ठेकेदार के मध्य 5,440 दिनों की अवधि के लिये एक अनुबंध निष्पादित हुआ था । उपरोक्त अनुबंध सौ रूपये के मुद्रांक पेपर पर निष्पादित किया गया था

और पंजीयन नहीं कराया गया था। इस प्रकरण में 4.89 करोड़ रूपये मुद्रांक शुल्क और 3.67 करोड़ रूपये पंजीयन फीस आरोपणीय थी[7] । यद्यपि निगम, भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रयोजनों के लिये लोक कार्यालय घोषित किये गये थे, तथापि वे यह सुनिश्चित करने के दायित्व निर्वहन में विफल रहे कि उन्हें प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सम्यक रूप से मुद्रांकित थे। इसके परिणामस्वरूप 4.89 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क कम वसूल हुआ तथा 3.67 करोड़ रूपये की पंजीयन फीस वसूल नहीं हुई । कार्यालय का जिला पंजीयक द्वारा निरीक्षण भी नहीं किया गया था ।

5.2.9.3 कार्यपालन यन्त्री, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) संभाग क्रमांक 2 इन्दौर के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि 2,419 दिनों की अवधि के लिए सड़क रखरखाव एवं पथकर संग्रहण[8] के संबंध में 8.34 करोड़ मूल्य की परियोजना के बारे में लो.नि.वि. एवं एक ठेकेदार के मध्य दिसम्बर 1999 में एक अनुबंध निष्पादित किया गया था । कार्यपालन यन्त्री द्वारा अनुबंध के पंजीयन के संबंध में न तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही जिला पंजीयक द्वारा कोई निरीक्षण किया गया था । परिणामतः 1.09 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस यद्यपि आरोपणीय था, आरोपित नहीं हुआ ।

5.2.9.4 लो.नि.वि. रतलाम के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रान्सफर (बी.ओ.टी.) स्कीम के अन्तर्गत तीन सडकों[9] के रखरखाव, मध्यम एवं लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण तथा मरम्मत, मेहराबदार नाली/पुलिया, चौड़ीकरण, अपग्रेडेशन आदि के बारे में 10.55 करोड़ रूपये के निश्चित किये गये मूल्य पर, पथकर संग्रह के प्राधिकार सहित मई 2003 से दिसम्बर 2006 के लिए नीलामी संभाग द्वारा स्वीकार की गई थी । और संविदादाता के साथ अगस्त 2002 में एक अनुबंध निष्पादित किया गया । यह अनुबंध पंजीयन योग्य दस्तावेज था जिस पर 21.10 लाख रूपये मुद्रांक शुल्क तथा 15.83 लाख रूपये की पंजीयन फीस प्रभार्य थी । कार्यालय का निरीक्षण जिला पंजीयक द्वारा नहीं किया गया था और ना ही लो.नि.वि. द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि दस्तावेज सम्यक रूप से मुद्रांकित था, कोई कार्यवाही की गई । इस प्रकार, कार्यपालन यन्त्री द्वारा लोक अधिकारी के दायित्वों के निर्वाह में असफलता के साथ साथ निरीक्षण की कमी के कारण 36.93 लाख रूपये राशि का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस वसूल नहीं हुई ।

5.2.9.5 लो.नि.वि. सतना के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि मई 2000 में लो.नि.वि. एवं एक ठेकेदार के मध्य बी.ओ.टी. स्कीम के अंतर्गत उद्योगी की स्वयं की पूंजी से सतना बायपास सड़क के निर्माण और रखरखाव के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया था जिसमें

7 मुद्रांक शुल्क 65.19 करोड़ रुपये का 7.5 प्रतिशत तथा पंजीयन फीस, मुद्रांक शुल्क का तीन चौथाई ।

8 इन्दौर–सांवेर–उज्जैन

9 नागदा–लेबड रोड, रतलाम जावरा रोड तथा रतलाम बायपास रोड कुल लम्बाई 125.40 कि.मी.

3,190 दिन की अवधि के लिए पथकर संग्रहण प्राधिकार शामिल था । संविदा का अनुमानित मूल्य 3.27 करोड़ रूपये था । यह अनुबंध पंजीयन योग्य दस्तावेज था जिस पर 42.92 लाख रूपये मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस प्रभार्य थी । तथापि, यह पाया गया कि न तो दस्तावेज मुद्रांकित था और न विभाग द्वारा इसका पंजीयन ही कराया गया था । परिणामस्वरूप 42.92 लाख रूपये का राजस्व वसूल नहीं हुआ ।

5.2.9.6 राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) खण्ड 4 भाग–1 की कंडिका 28 के अनुसार पट्टे का पंजीयन उचित समय के अन्दर हो जाना चाहिये । पुनश्च, 12 माह से अधिक अवधि के पट्टे अनिवार्यतः पंजीयन योग्य दस्तावेज हैं ।

नजूल कार्यालय झाबुआ तथा राजधानी परियोजना, भोपाल के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि सितम्बर 2003 से सितम्बर 2006 के मध्य दस स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं को 3.98 करोड़ रूपये मूल्य के स्थायी पट्टे प्रदान किये गये थे । इन पट्टा विलेखों का पंजीयन कराया जाना अपेक्षित था और 57.29 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस प्रभार्य था। तथापि यह देखा गया कि 14 से 51 माह व्यतीत होने के बाद भी इन पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं हुआ । पंजीयन कराने में विभागीय विफलता के कारण 57.29 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की वसूली नहीं हुई ।

5.2.9.7 भारतीय मुद्रांक अधिनियम में प्रावधान है कि कोई लिखत, जहां सहस्वामी संपत्ति का बंटवारा करते हैं या बंटवारें के लिए सहमत होते हैं या राजस्व अधिकारी संपत्ति के विभाजन, दान या निर्मुक्ति आदि को लागू करने के बारे में आदेश पारित करते हैं, ऐसी लिखतों पर अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुसार शुल्क देय है । पुनश्च, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत इन दस्तावेजों का पंजीयन भी अपेक्षित है ।

इंदौर तथा कुरवई (विदिशा) तहसीलों के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि अक्टूबर 2003 और सितम्बर 2005 के मध्य 5.42 करोड़ रूपये मूल्य के भूमि और भवनों के दान, विभाजन और निर्मुक्ति के 15 प्रकरणों में नामान्तरण आदेश पारित किये गये थे जिनका पंजीयन कराया जाना अपेक्षित था तथा 32.57 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस प्रभार्य थी । तथापि, यह देखा गया कि न तो कोई मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया और ना ही दस्तावेजों को पंजीयन हेतु उपपंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया । परिणामस्वरूप 32.57 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस वसूल नहीं हुआ । इन कार्यालयों का जिला पंजीयक द्वारा निरीक्षण भी नहीं किया गया ।

5.2.9.8 मध्यप्रदेश शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा 15 मार्च 1993 को जारी निर्देशों के अनुसार खनि–पट्टों के अनुबंधों के प्रकरणों में, आवेदन पत्र या खनि योजना में दर्शायी गई अनुमानित खनिज की मात्रा पर देय राज्यांश, अनिवार्य किराया, विगत तीन वर्षो में पट्टेदार द्वारा किये गये राज्यांश भुगतान का औसत, इनमें जो भी अधिक है, भारतीय मुद्रांक अधिनियम

की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 33 के अधीन मुद्रांक शुल्क की संगणना के लिये मान्य किया जाता है ।

चार खनन कार्यालयों[10] के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि अनुमानित राज्यांश के गलत निर्धारण के कारण छह खनन पट्टों में 12.12 करोड़ रूपये के बजाय 10 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित हुई । जिसके परिणामस्वरूप 1.21 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क और 90.67 लाख रूपये की पंजीयन फीस कम आरोपित हुई । कार्यालय का निरीक्षण भी जिला पंजीयक द्वारा नहीं किया गया था ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद फरवरी और अप्रैल 2008 के मध्य खनन अधिकारी, अनूपपुर एवं रीवा ने बताया कि प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला पंजीयक को संदर्भित किये जावेंगे । खनन अधिकारी, कटनी एवं सीधी ने मार्च और अप्रैल 2008 के मध्य बताया कि जांच पश्चात कार्यवाही की जावेगी ।

5.2.9.9 मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 35(1) के अनुसार कोई भी पट्टेदार सक्षम प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना अपना पट्टा किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा न उसे पट्टे पर देगा और ऐसा अनुबंध भी किसी के साथ नहीं करेगा जिससे पट्टा क्षेत्र के अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से भी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होते हों । उप नियम 3 में यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने पर ऐसे आदेशों के तीन माह के भीतर, फार्म XIV में पट्टा विलेख निष्पादित किया जावेगा ।

खनन अधिकारी, होशंगाबाद के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम ने, जिसको मध्यप्रदेश शासन ने रेत निकालनें के अधिकार सुरक्षित किये हुए थे, बिना राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त किये 59.18 करोड़ रूपये में 35 उत्खनि के संबंध में यह अधिकार 36 माह के लिये एक प्राइवेट ठेकेदार को उप–पट्टे पर दे दिया था । उसके लिये कोई पट्टा विलेख निष्पादित और पंजीकृत नहीं कराया गया था, जिसके कारण 1.38 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस वसूल नहीं हुई ।

5.2.9.10 खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 24 ए(6) के अनुसार यदि मध्यप्रदेश शासन द्वारा खनिज पट्टे के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन का खनिज पट्टे की अवधि समाप्ति के दिनांक के पूर्व निराकरण नहीं किया जाता है तो उस पट्टे की अवधि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशों तक स्वतः बढी हुई समझी जावेगी ।

दो खनन कार्यालयों[11] के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि जुलाई 1997 से जुलाई 2002 के मध्य चार खनन पट्टों के नवीनीकरण हेतु विभाग में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । छह से दस वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इनमें से एक प्रकरण खनन अधिकारी एवं तीन प्रकरण नवीनीकरण

10 अनूपपुर, कटनी, रीवा और सीधी

11 छिन्दवाड़ा और सतना

हेतु मध्यप्रदेश शासन स्तर पर लंबित थे । कथित अवधि में ये पट्टेदार लगातार कार्यरत रहे थे । इसके परिणामस्वरूप 10.91 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस वसूल नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद खनन अधिकारी छिंदवाडा ने बताया (जनवरी 2008) कि प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे और मध्यप्रदेश शासन को भेजे जावेंगे । खनन अधिकारी सतना ने बताया कि प्रकरण मध्यप्रदेश शासन के पास लंबित है और मध्यप्रदेश शासन के आदेश प्राप्त होने पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस वसूल की जावेगी ।

5.2.9.11 खनिज रियायत नियम के नियम 31(1) के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टे के पट्टेदार को पट्टा स्वीकृति/नवीनीकरण के छह माह के भीतर फार्म 'के' में पट्टा विलेख निष्पादित करना होता है । पुनश्च, उपरोक्त नियम के उपनियम (2) के अनुसार पट्टे की अवधि उस दिनांक से होगी जब पट्टा निष्पादित/पंजीकृत हुआ हो ।

खनन कार्यालय, शहडोल के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2003 के द्वारा खनिज रियायत नियमों के अंतर्गत स्वीकृत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के 14 खनन पट्टे 30 वर्ष की अवधि के लिये नवीनीकृत किये गये थे । पट्टेदार ने नवीनीकृत पट्टा विलेख निष्पादित/पंजीकृत नहीं कराया और खानों पर लगातार कार्य कर रहा था । न तो जिला खनन अधिकारी द्वारा पट्टा विलेख पंजीयन के लिए किसी कार्यवाही की पहल की और ना ही जिलापंजीयक द्वारा कोई निरीक्षण किया गया जिसके कारण यह त्रुटि अज्ञात रह गयी । इसके परिणामस्वरूप 14 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस वसूल नहीं हुई ।

5.2.9.12 उपपंजीयक, ओबेदुल्लागंज के अभिलेखों की जांच में यह प्रकट हुआ कि अक्टूबर 1984 में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (ए.के.वी.एन.) ने एक उद्योगपति को भूमि का 99 वर्ष के लिये पट्टा प्रदान किया था । उद्योगपति ने भूमि पर एक फैक्ट्री का निर्माण किया । यह फैक्ट्री प्लांट एवं मशीनरी के साथ किसी अन्य उद्योगपति को विक्रय कर दी गई तथा विक्रय विलेख सितम्बर 2005 में पंजीकृत हुआ । चूंकि भूमि ए.के.वी.एन. की थी अतः बकाया 78 वर्ष की अवधि के लिए एक पट्टा विलेख ए.के.वी.एन. और फैक्ट्री क्रय करने वाले उद्योगपति के मध्य निष्पादित किया जाना था तथा उसका पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय में कराया जाना अपेक्षित था । परन्तु उपपंजीयक कार्यालय के अभिलेखों से यह प्रकट हुआ कि फैक्ट्री विक्रय दिनांक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी पट्टा विलेख पंजीकृत नहीं हुआ था । इसके परिणामस्वरूप 45.54 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस आरोपित/वसूल नहीं हुआ ।

उपरोक्तानुसार यह विदित होता है कि इन प्रकरणों का पंजीयन न होनें के कारण मध्यप्रदेश शासन न केवल 53.28 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से वंचित रहा बल्कि 2.98 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष[12] ब्याज से भी वंचित रहा ।

इन प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. एवं मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई और अक्टूबर 2008 के मध्य बताया कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 33 के अधीन लोक अधिकारी मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु प्रकरण कलेक्टर, मुद्रांक को संदर्भित करने के लिये पहले से ही बाध्य है । तथापि यह प्रावधान अधिक प्रभावकारी सिद्ध नही हुआ है । यह भी बताया गया कि इन तथ्यों पर उचित ध्यान देते हुए जिला पंजीयकों को लोक कार्यालयों का और अधिक निरीक्षण करने के लिये निर्देशित किया गया है । तथापि प्रकरणों की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

शासन द्वारा लोक कार्यालयों को प्रस्तुत दस्तावेजों की संख्या एवं असम्यक रूप से मुद्रांकित पाये गये विलेखों के बारे में एक सावधिक विवरणी निर्धारित करने पर विचार किया जा सकता है । इन कार्यालयों को मुद्रांक शुल्क के कम भुगतान के प्रकरणों के लिए जवाबदेह बनाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त जिला पंजीयक द्वारा लोक कार्यालयों के नियमित निरीक्षणों के लिए मानदण्ड निर्धारित किये जा सकते हैं ।

5.2.9.13 वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जून 2005 में जारी अधिसूचना के अनुसार बीमार उद्योग के विक्रय विलेख शुल्क भुगतान से मुक्त हैं बशर्ते यह छूट केवल एक बार के लिये उपलब्ध है और क्रेता द्वारा इकाई को 18 माह के अन्दर चालू कर दी जाती है इसमें असफल होने पर छूट की राशि 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज सहित वसूल की जावेगी । यह अधिसूचना वसूली प्रक्रिया के संबंध में मौन है और उद्योग के पुनः चालू होने की तिथि सुनिश्चित करने हेतु मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग तथा उद्योग विभाग में समन्वय हेतु कोई विहित तन्त्र नहीं है ।

उपपंजीयक ओबेदुल्लागंज के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि सितम्बर 2005 में एक फैक्ट्री के विक्रय विलेख पर 45.50 लाख रूपये के शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की गई थी । विभाग के पास विक्रय विलेख निष्पादन से 29 माह व्यतीत होने के बाद भी इकाई पुनः चालू होने के बारे में कोई अधिकारिक जानकारी नहीं थी । इस अवधि के लिये मुद्रांक शुल्क और ब्याज की राशि 55.40 लाख रूपये संगणित होती है ।

प्रकरण इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई और अगस्त 2008 के मध्य बताया कि राशि भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत वसूल की जावेगी । आगे यह भी बताया गया कि जिला पंजीयकों को उद्योग विभाग से यह

12 शासन द्वारा अवधि 2002–03 से 2006–07 के दौरान बाजार से उधार लिये ऋणों पर देय ब्याज न्यूनतम दर 5.6 प्रतिशत की दर से संगणित किया गया ।

सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उद्योग ने 18 माह के अन्दर कार्य करना शुरू कर दिया था, निर्देशित किया जा रहा है ।

विहित अवधि में उद्योग चालू करने में असफल होने पर मुद्रांक शुल्क एवं ब्याज की वसूली सुनिश्चित करने के लिये पंजीयन एवं उद्योग विभाग के बीच समन्वय हेतु एक तन्त्र निर्धारित करने के बारे में शासन को विचार करना चाहिये ।

5.2.10 उपपंजीयक द्वारा न्यूनमूल्यांकन के प्रकरणों को जिला पंजीयक को भेजने की समय सीमा निर्धारित न होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मुद्रांक संग्राहक को संबंधित उपपंजीयक द्वारा संदर्भित न्यून मूल्यांकन के प्रकरणों में सम्पत्ति का बाजार मूल्य एवं उस पर देय शुल्क की राशि का निर्धारण करने के लिये प्राधिकृत किया गया है ।

जांच में यह प्रकट हुआ कि अधिनियम/नियमों में उपपंजीयक द्वारा प्रकरणों को मुद्रांक संग्राहक को आगामी कार्यवाही हेतु संदर्भित करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । उपपंजीयक कार्यालय द्वारा संदर्भित किये गये प्रकरणों और जिला पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध किये गये प्रकरणों की वास्तविक संख्या की निगरानी हेतु भी कोई प्रणाली नहीं है । छतरपुर एवं जबलपुर में, संबंधित उपपंजीयकों द्वारा नवम्बर 2003 और दिसम्बर 2005 के मध्य संदर्भित किये गये आठ प्रकरण जिनमें 1.83 लाख रूपये का राजस्व निहित था, मुद्रांक संग्राहक के न्यायालय में पंजीबद्ध नहीं पाये गये ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई और अक्टूबर 2008 के मध्य बताया कि स्पष्ट विभागीय निर्देशों के अनुसार ऐसे प्रकरण उपपंजीयक द्वारा लंबित नहीं रखे जाने चाहिये । आगे कहा गया कि उपपंजीयक द्वारा संदर्भित प्रकरणों और जिला पंजीयक द्वारा पंजीकृत/निराकृत किये गये प्रकरणों की संख्या दर्शाने वाली मासिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं (अक्टूबर 2008) । उपपंजीयक द्वारा अग्रेषित आठ प्रकरण, जो जिला पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं पाये गये थे, के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया था ।

5.2.11 आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र प्रणाली

5.2.11.1 परित्यक्त राजस्व का डाटा बेस

कुछ परिभाषित उद्देश्यों के अनुसरण में शासन मुद्रांक शुल्क में रियायत और छूट प्रदान करता है तथा इस प्रक्रिया में प्रचुर राजस्व परित्यक्त हो जाता है । यह पाया गया कि विभाग के पास छूट प्रदान करने के अपने निर्णयों की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिये कोई डाटा बेस नहीं रखा जाता है ।

यह इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई और अक्टूबर 2008 के मध्य बताया कि कम्प्यूटरीकरण कार्य चल रहा था और यह अपेक्षा भी समुचित रूप से शामिल कर ली जावेगी ।

शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि विकसित किये जा रहे वह सोफ्टवेयर में प्रदान की गई रियायत और छूट के डाटा को समाहित किया जायेगा ।

5.2.11.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

किसी विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा उसके आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र का एक अहम अंग होता है और विभाग को यह सुनिश्चित कराने में समर्थ होने के कारण कि सभी विहित प्रणालियां समुचित रूप से कार्य कर रही है उसे सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है ।

यह पाया गया कि यद्यपि विभाग में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा कार्यरत थी तथापि, शाखा की संगठनात्मक संरचना, लेखापरीक्षा की योजना का अस्तित्व, आन्तरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर की गई आगामी कार्यवाही संबंधी जानकारी आदि मांगने पर भी विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर और मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई और अक्टूबर 2008 के मध्य बताया कि यह कार्य स्टाफ की कमी के कारण प्रभावित हुआ है । यह भी बताया गया कि प्रभावी आन्तरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी । अधिनियम/नियमों का अनुपालन और राजस्व रिसाव की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिये शासन आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाये जाने पर विचार कर सकता है ।

5.2.11.3 अपर्याप्त निरीक्षण

पंजीयन विभाग के कार्यपालिक अनुदेश की कंडिका 469 के अनुसार जिला पंजीयक द्वारा अपने जिले के उपपंजीयक कार्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष में दो बार अवश्य करना चाहिये। इसके अलावा, उसे इन कार्यालयों का समय समय पर आकस्मिक जांच भी करना चाहिये । तथापि, यह देखा गया कि अप्रैल 2003 से मार्च 2008 के मध्य 25 उपपंजीयक कार्यालयों से संबंधित जिला पंजीयकों ने 208 के विरूद्व 58 निरीक्षण किये । यह स्पष्ट है कि आंतरिक जांच एवं पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई और अगस्त 2008 में बताया कि सभी जिला पंजीयकों को उपपंजीयक कार्यालयों का निरीक्षण निर्धारित रोस्टर के अनुसार करने के लिए निर्देशित किया जा रहा था । शासन जिला

पंजीयकों द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व किये गये निरीक्षणों के परिणाम को दर्शाने वाले प्रतिवेदन/विवरणी निर्धारित करने पर विचार कर सकता है ।

अनुपालन विषय

5.2.12 पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत पट्टा विलेखों पर पट्टा अवधि अनुसार निर्धारित दरों से मुद्रांक शुल्क आरोपण का प्रावधान है । पुनश्च, पंजीयन अधिनियम के अधीन पंजीयन सारणी के अनुच्छेद–2 के अनुसार ऐसे दस्तावेजों पर पंजीयन फीस मुद्रांक शुल्क की तीन चौथाई प्रभार्य है ।

10 उपपंजीयक कार्यालयों[13] के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि नवम्बर 2002 और नवम्बर 2007 के मध्य पंजीकृत हुए पट्टा विलेखों के 52 दस्तावेजों में से 24 प्रकरणों में पट्टा अवधि को कम मानने और 28 प्रकरणों में संगणनात्मक त्रुटि के कारण 9.09 करोड़ रूपये के बजाय 1.42 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस आरोपित किये गये थे । यह भी देखा गया कि दस में पांच उपपंजीयक कार्यालयों में किये गये विभागीय निरीक्षणों में 43 प्रकरण इंगित नहीं किये गये थे । इसके परिणामस्वरूप 7.67 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण और प्राप्ति हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने अक्टूबर 2008 में बताया कि दस उपपंजीयक कार्यालयों के 52 प्रकरणों में से 22 प्रकरणों को जिला पंजीयकों ने पंजीयन पश्चात् निराकृत किया, इनमें से 21 प्रकरण सम्यक रूप से मुद्रांकित निर्णीत किये गये और एक प्रकरण में 1,650 रूपये वसूल हुए । यह भी बताया गया कि बाकी 30 प्रकरणों का निराकरण प्रगति पर था । तथापि, उत्तर में, जो विलेख सम्यक मुद्रांकित पाये गये उनका विलेखवार विवरण नहीं दिया गया था ।

5.2.13 मुख्तारनामा विलेखों में शुल्क और फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुसार मध्यप्रदेश में स्थित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी संक्रात करने हेतु एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बिना प्रतिफल, अभिकर्ता को प्राधिकृत करते हुए मुख्तारनामा दिया जाता है तो ऐसे विलेखों पर 100 रूपये शुल्क प्रभार्य है । यह भी कि जब ऐसा अधिकार प्रतिफल सहित अथवा बिना प्रतिफल एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रदान किया गया हो अथवा जब वह अपरिवर्तनीय हो अथवा जब वह किसी निश्चित अवधि से आशयित नहीं हो, तो ऐसे विलेखों पर वही शुल्क प्रभार्य है जो उस संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तान्तरण पत्र पर लगता है ।

[13] छिंदवाडा, दतिया, हरदा, इन्दौर, खण्डवा, मंदसौर, नीमच, ओबेदुल्लागंज, सतना और श्योपुर

16 उपपंजीयक कार्यालयों[14] के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि फरवरी 2006 से नवम्बर 2007 के मध्य पंजीबद्ध हुए 309 मुख्तारनामा विलेखों में स्थावर संपत्ति के विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी संक्रात करने के अधिकार प्रदान किये गये थे, किन्तु दस्तावेजों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था जिससे यह पता चल सके कि मुख्तारनामा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बिना प्रतिफल प्राप्त किये दिया गया था । यह भी पाया गया कि 12 विलेखों में मुख्तारनामा अपरिवर्तनीय था । इन सभी प्रकरणों में मुख्तारनामे बिना प्रतिफल एक वर्ष से अनधिक अवधि के विक्रय अधिकार सहित माने गये तथा तदनुसार शुल्क प्रभारित किया गया । इसके परिणामस्वरूप 4.21 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस कम आरोपित हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने अक्टूबर 2008 में बताया कि 16 उपपंजीयक कार्यालयों के 261 प्रकरणों में से जिला पंजीयकों द्वारा 69 प्रकरण पंजीबद्ध कर निराकृत किये गये । इन 69 प्रकरणों में से 50 प्रकरण सम्यक मुद्रांकित निर्णीत किये गये और 19 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये । वसूली की प्रगति, बाकी 192 प्रकरणों में की गई कार्यवाही और 48 प्रकरणों के बारे में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

5.2.14 पट्टा विलेख का पंजीयन न होने के कारण राजस्व वसूल न होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 33 के अनुसार, पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर पट्टा शामिल है, अथवा उप पट्टा तथा पट्टे या उप पट्टे को किराये या उप किराये पर देने के अनुबंध अथवा किसी पट्टे का नवीनीकरण उसमें निर्धारित दरों के अनुसार प्रभारित किया जाता है । पुनश्च, ऐसे विलेख जिनमें पट्टे की अवधि 12 माह से अधिक हो, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार अनिवार्यतः पंजीकृत होते है, और पंजीयन फीस मुद्रांक शुल्क की तीन चौथाई प्रभार्य होती है ।

उपपंजीयक कार्यालय इंदौर के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि मई 2007 में दो विक्रय विलेख के दस्तावेज एवं एक संशोधित अनुबंध का दस्तावेज पंजीबद्ध हुए थे । इन दस्तावेजों के वाचन से यह प्रकट हुआ कि मै. होप टैक्सटाइल लिमिटेड (एच.टी.एल.) के पास 22 एकड़ व्यावसायिक भूमि 2038 तक पट्टे पर कब्जे में थी । इन दस्तावेजों के वाचन से यह भी ज्ञात हुआ कि मै. एच.टी.एल. ने इस भूमि का 44,145 वर्ग मीटर का एक भाग, एक अनुबंध (अगस्त 2002) के तहत मै. प्रिंसेस अपोलो प्रा.लि. को उप पट्टे पर दे दिया था । उप पट्टा अनुबंध का यह दस्तावेज पंजीबद्ध होना था तथा उस पर 4.13 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस प्रभार्य थी । तथापि, उपपंजीयक कार्यालय के अभिलेखों के सत्यापन से

[14] भोपाल, बीना, छतरपुर, छिंदवाडा, ग्वालियर, इन्दौर, इटारसी, जबलपुर, खण्डवा, मुरैना, नीमच, रतलाम, सतना, सीहोर, श्योपुर और विदिशा

ज्ञात हुआ कि कथित उप पट्टा अनुबंध पंजीबद्ध नहीं हुआ था । उक्त दस्तावेज के पंजीबद्ध न होने के परिणामस्वरूप 4.13 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस वसूल नहीं हुई ।

प्रकरण इंगित किये जाने के बाद, आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने अक्टूबर 2008 में बताया कि जिला पंजीयक इंदौर द्वारा प्रकरण दर्ज कर निराकरण की कार्यवाही की जा रही थी । मामले में आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2008) ।

5.2.15 शुल्क और फीस की प्रतिपूर्ति न होना

शासन की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2002 के अनुसार, नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं (एन.वी.डी.पी.) के कारण विस्थापित परिवारों के सदस्यों के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु उनके पक्ष में निष्पादित पट्टा/विक्रय विलेखों पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एन.वी.डी.ए.) द्वारा संबंधित उपपंजीयक द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के आधार पर शासन को की जानी होती है ।

आठ उपपंजीयक कार्यालयों[15] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि एन.वी.डी.पी. के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में अप्रैल 2002 और मार्च 2008 के मध्य 5,795 दस्जावेज निष्पादित/पंजीबद्ध हुए थे । तथापि, 3.49 करोड़ रूपये का शासन को प्रतिपूर्ति योग्य मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नहीं हुई, और ना ही संबंधित उपपंजीयकों द्वारा एन.वी.डी.ए. के विरूद्व कोई मांग सृजित की गई । इसके परिणामस्वरूप 3.49 करोड़ रूपये का राजस्व वसूल नहीं हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने अक्टूबर 2008 में बताया कि 3,032 प्रकरणों में 1.09 करोड़ रूपये वसूल किये गये तथा शेष राशि की वसूली प्रगति पर थी । प्रकरण में आगे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2008) ।

5.2.16 बाजार मूल्य का गलत निर्धारण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47–क के अनुसार, किसी विलेख का पंजीयन करते समय पंजीयन अधिकारी यदि यह पाता है कि प्रस्तुत संपत्ति का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में दर्शाये मूल्य से कम है, तो उसे, ऐसे विलेख को पंजीयन के पूर्व उस संपत्ति के सही बाजार मूल्य और उस पर आरोपणीय शुल्क के निर्धारण के लिए कलेक्टर को संदर्भित कर देना चाहिये ।

15 भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खण्डवा, ओबेदुल्लागंज और सीहोर

24 उपपंजीयक कार्यालयों[16] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मई 2003 से सितम्बर 2007 के मध्य पंजीकृत हुए 261 विलेखों में, मार्गदर्शिका के अनुसार बाजार मूल्य 57.37 करोड़ रूपये के विरूद्व, पंजीकृत मूल्य 30.58 करोड़ रूपये था । उपपंजीयकों ने संपत्तियों के सही मूल्य एवं उस पर देय शुल्क निर्धारण हेतु इन विलेखों को संबंधित कलेक्टर को संदर्भित नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप 1.85 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस कम आरोपित हुई । यह भी देखा गया कि 24 में 16 उपपंजीयक कार्यालयों में किये गये विभागीय निरीक्षणों में इसे इंगित नहीं किया गया था ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने अक्टूबर 2008 में बताया कि 31 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिनमें से 11 प्रकरणों में 2.90 लाख रूपये वसूल किये जा चुके हैं, सात प्रकरण सम्यक रूप से मुद्रांकित निर्णीत हुए थे तथा 13 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये थे । वसूली की प्रगति और शेष प्रकरणों में की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2008) ।

5.2.17 गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अधीन विलेखों पर, उनके वाचन के अनुसार, अनुसूची 1–क में निर्दिष्ट या शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित दरों से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है ।

14 उपपंजीयक कार्यालयों[17] के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि 40.77 करोड़ रूपये मूल्य के, अगस्त 2002 और नवम्बर 2007 के मध्य पंजीबद्ध हुए 95 विलेख कब्जा सहित अनुबंध को कब्जा रहित, बंधक विलेख को सादा अनुबंध, सुभिन्न मामलों के विलेख को एक मामले का विलेख मानने जैसी त्रुटियों के कारण गलत वर्गीकृत किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप 1.81 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस कम आरोपित हुए ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने अक्टूबर 2008 में बताया कि नौ प्रकरणों का निराकरण हुआ था । इनमें से एक प्रकरण में 1.20 लाख रूपये वसूल किये गये, सात प्रकरण सम्यक रूप से मुद्रांकित निर्णीत किये गये तथा एक प्रकरण में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया था । शेष प्रकरणों में जिला पंजीयकों द्वारा निराकरण की कार्रवाई जारी थी । प्रकरण में आगे की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2008) ।

16 भोपाल, बीना, छतरपुर, छिंदवाडा, दतिया, देपालपुर, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, मुरैना, नीमच, ओबोदुल्लागंज, रतलाम, रीवा, सागर, सांवेर, सीहोर, श्योपुर, उज्जैन और विदिशा

17 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, मुरैना, रतलाम, रीवा, सांवेर, सीहोर, उज्जैन और विदिशा

5.2.18 प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा/के पक्ष में निष्पादित विलेखों में राजस्व वसूल न होना

शासन की दिनांक 24 अक्टूबर 1980[18] की अधिसूचना के अनुसार, प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों(समितियों) द्वारा या उनके पक्ष में, अपने सदस्यों के लिए गृह निर्माण के उद्देश्य हेतु भू–अर्जन करने के लिए निष्पादित किये गये विलेख मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से मुक्त किये गये थे । यह छूट 5 सितम्बर 2004[19] तक उपलब्ध थी ।

5.2.18.1 उपपंजीयक ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में यह प्रकट हुआ कि 97.56 लाख रूपये मूल्य के चार विलेखों में यह उल्लिखित नहीं था कि भूमि का क्रय अपने सदस्यों के गृह निर्माण प्रयोजन से था, जब कि 46.47 लाख रूपये मूल्य के एक अन्य विलेख में यद्यपि भूमि गृह निर्माण प्रयोजनार्थ क्रय की गई थी, किन्तु दस्तावेज 5 सितम्बर 2004 के बाद, जब समितियों को छूट उपलब्ध नहीं थी, निष्पादित/पंजीकृत किया गया था । इस प्रकार, 16.14 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से गलत छूट प्रदान की गई ।

5.2.18.2 उपपंजीयक कार्यालय भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 5.78 लाख रूपये मूल्य के एक विलेख में भूमि क्रय के प्रयोजन का उल्लेख नहीं था, जबकि 15 लाख रूपये मूल्य के विलेख में भूमि क्रय का प्रयोजन व्यावसायिक था । इस प्रकार यह देखा गया कि इन दोनों प्रकरणों में 2.33 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से गलत छूट प्रदान की गई थी ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने बताया (दिसम्बर 2008) कि प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रगति पर थी ।

5.2.18.3 उपपंजीयक भोपाल, ग्वालियर और इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि दिसम्बर 1999 से मई 2004 के मध्य 30 समितियों ने 52 विलेखों के माध्यम से गृह निर्माण प्रयोजनार्थ 10.40 करोड़ रूपये मूल्य की भूमि क्रय की थी, जो सदस्यों के गृह निर्माण प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं की गई और बाद में फरवरी 2003 और मार्च 2007 के मध्य समिति के सदस्यों के सिवाय अन्य व्यक्तियों जैसे भवन निर्माताओं तथा अन्य–अन्य व्यक्तियों आदि को विक्रय कर दी गई । इस प्रकार, इन विलेखों पर 1.11 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस वसूली योग्य थे । तथापि, पंजीयन अधिकारियों द्वारा वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने अक्टूबर 2008 बताया कि प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रगति पर थी ।

18 क्र. 773-1155-VI-R- दिनांक 24 अक्टूबर 1980

19 शासन की अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर 2004 द्वारा यह समाप्त की गई ।

5.2.19 अनियमित छूट

शासन ने अपनी अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2006 में बंधक पत्र के दस्तावेज, जो कृषि भूमि स्वामियों द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ 10 लाख रूपये से अनधिक के ऋण बैंकों से प्राप्त करने के लिए निष्पादित किये गये हों, चाहे उनके पास कितनी भी भूमि हो, मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त किये गये हैं। इससे पूर्व में, केवल उन्हीं भूमि स्वामियों को यह छूट उपलब्ध थी जो अनुसूचित/जनजाति से संबंधित थे या जिनके पास 10 हैक्टेयर से अनधिक भूमि थी । पुनश्च, शासन द्वारा कृषि प्रयोजन को भी परिभाषित किया गया था और दस्तावेज में ऋण प्राप्त करने के विशिष्ट प्रयोजन का उल्लेख किया जाना अपेक्षित था ।

20 उपपंजीयक कार्यालयों[20] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि फरवरी 2005 और मार्च 2008 के मध्य बैंकों से 16.21 करोड़ रूपये के ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि स्वामियों द्वारा निष्पादित किये गये बंधक पत्रों के 364 दस्तावेजों में 62.93 लाख रूपये के शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की गई थी । दस्तावेजों की संवीक्षा में देखा गया कि 331 दस्तावेजों में ऋण के विशिष्ट प्रयोजन का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि 12 दस्तावेजों में ऋण का प्रयोजन कृषि से भिन्न था तथा चार प्रकरणों में भूमि का रकवा 10 हैक्टेयर से अधिक था । इसके अलावा, सितम्बर 2006 और मार्च 2007 के मध्य निष्पादित 17 दस्तावेजों में प्रत्येक प्रकरण में ऋण की राशि 10 लाख रूपये से अधिक थी । तथापि, यह देखा गया कि कृषि आधारित प्रयोजन के लिये दिये गये ऋण की धन सीमा की अनदेखी करते हुए छूट प्रदान कर दी गई । इसके परिणामस्वरूप 364 दस्तावेजों पर 62.93 लाख रूपये के शुल्क भुगतान से अनियमित छूट प्रदान की गई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने बताया (अक्टूबर 2008) कि 356 प्रकरणों में से 210 प्रकरणों का निराकरण जिला पंजीयकों द्वारा किया गया है । इनमें से 203 प्रकरण सम्यक रूप से मुद्रांकित निर्णीत किये गये और सात प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये । वसूली की प्रगति, शेष प्रकरणों में की गई कार्रवाई और आठ प्रकरणों के बारे में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

5.2.20 उपपंजीयकों द्वारा संदर्भित प्रकरणों के निराकरण में विलंब

जुलाई 2004 के विभागीय निर्देशों में, उपपंजीयक कार्यालयों द्वारा कलेक्टर को संदर्भित किये गये प्रकरणों के निराकरण की अधिकतम अवधि तीन माह निर्धारित की गई है ।

चार जिलों[21] में, यह पाया गया कि संबंधित मुद्रांक संग्राहकों द्वारा जून 2000 और नवम्बर 2005 के मध्य पंजीबद्ध किये गये 2.46 करोड़ रूपये राजस्व से सन्निहित 132 प्रकरणों

20 बीना, छिंदवाडा, दतिया, देपालपुर, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, ओबेदुल्लागंज, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, श्योपुर और विदिशा

21 भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर और जबलपुर

को चार से 55 माह के विलंब के बाद, फरवरी 2002 से मार्च 2007 के मध्य निराकृत किया गया था।

13 उपपंजीयक कार्यालयों[22] में, पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा मार्च 2002 और दिसम्बर 2007 के मध्य, संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु संदर्भित किये गये 1,035 प्रकरण निर्णीत नहीं किये गये थे, यद्यपि तीन माह की अवधि पूर्व में ही व्यतीत हो चुकी थी । इन दस्तावेजों पर उपपंजीयकों द्वारा प्रस्तावों के आधार पर वसूली योग्य मुद्रांक शुल्क के अंतर की राशि 7.80 करोड़ रूपये संगणित होती है, जो अप्राप्त रही ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने अक्टूबर 2008 में बताया कि 1,035 प्रकरणों में से 762 प्रकरण निर्णीत किये गये । इनमें से 35 प्रकरण सम्यक रूप से मुद्रांकित निर्णीत हुए, 468 प्रकरणों में 99.54 लाख रूपये वसूल किये गये और 259 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये तथा 273 प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही प्रगति पर थी । प्रकरण में आगे कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2008) ।

5.2.21 भूमि के न्यून मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

नियमों के अन्तर्गत संगठित एक समिति द्वारा बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धान्त[23] (मार्गदर्शिका) तैयार किये जाते हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के पहले पंजीयन अधिकारियों को जारी किये जाते हैं । मार्गदर्शिकाएं जिलावार तैयार की जाती हैं जिनमें क्षेत्रवार स्थित संपत्तियों की दरें होती हैं । 2007–08 से पहले की मार्गदर्शिका के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में 0.40 हैक्टेयर तक की भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार करना है :

भूमि का क्षेत्रफल	विकसित भूखण्ड	व्यपवर्तित कृषि भूमि	अव्यपवर्तित कृषि भूमि
(क) 0.05 हैक्टेयर या कम	भूखण्ड की दरों से	भूखण्ड की दरों से	2004–05 एवं 2005–06 में भूखण्ड दर का 60 प्रतिशत: 2006–07 में भूखण्ड दर का 80 प्रतिशत

22 भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाडा, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, खण्डवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सतना, सीहोर और श्योपुर

23 मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम 2000 के अन्तर्गत, समय समय पर, संबंधित समितियों द्वारा राज्य में विभिन्न ग्रामों, नगरपालिकाओं, निगमों एवं अन्य स्थानीय क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के निर्धारित मूल्यों की सूची(सेट)

(ख) 0.05 हैक्टेयर से अधिक किन्तु 0.40 हैक्टेयर से कम	— तदैव —	प्रथम 0.05 हैक्टेयर का (क) अनुसार, शेष भूमि का कृषि भूमि के मूल्य का ढाई गुना	प्रथम 0.05 हैक्टेयर का (क) अनुसार, शेष भूमि का कृषि भूमि के मूल्य का दो गुना
(ग) 0.40 हैक्टेयर से अधिक	— तदैव —	कृषि भूमि के मूल्य का डेढ़ गुना	कृषि भूमि के अनुसार

वर्ष 2007–08 की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार, 0.40 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि, एक ही दस्तावेज के माध्यम से विभिन्न भूमि स्वामियों द्वारा प्रत्येक क्रेता या विक्रेता का हिस्सा दर्शाते हुए क्रय या विक्रय की जाती है तो प्रत्येक हिस्से को अलग संव्यवहार मानते हुए उपरोक्त दरों के अनुसार भूमि का मूल्यांकन किया जाता है । यह प्रावधान अप्रैल 2007 के पूर्व अस्तित्व में नहीं था तथा ऐसे प्रकरणों में भूमि का मूल्यांकन सपाट दरों पर किया जाना था ।

जनवरी और अप्रैल 2008 के मध्य पांच उपपंजीयक कार्यालयों[24] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि अगस्त 2004 और मार्च 2007 के मध्य पंजीबद्ध किये गये 13 विलेखों में 0.40 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की भूमि का विक्रय एकाधिक क्रेताओं को किया गया था । प्रत्येक क्रेता की भूमि के संगणित मूल्य 5.25 करोड़ रूपये के विरूद्व पंजीकृत मूल्य 1.93 करोड़ रूपये था । इसके परिणामस्वरूप 34.68 लाख रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आई.जी.आर. और मध्यप्रदेश शासन ने जुलाई और अगस्त 2008 में बताया कि वर्ष 2007–08 की मार्गदर्शिका में आवश्यक प्रावधान कर दिये गये हैं । अक्टूबर 2008 में यह भी बताया गया कि संबंधित जिला पंजीयकों ने प्रकरण दर्ज कर लिये थे और प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की जा रही थी ।

5.2.22 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं आरोपण हेतु संस्थागत प्रणालियां अपूर्ण थीं । अधिनियम/नियमों में स्पष्ट प्रावधानों के अभाव के कारण चूककर्ताओं से वसूली करने में विभाग को बाधा हुई । बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में प्रावधानों के अभाव के कारण राजस्व वसूली कम हुई । विभाग अन्य निकायों/विभागों से समय रहते पंजीयन योग्य दस्तावेजों के बारे में जानकारी लेने संबंधी समन्वय स्थापित करने में असफल रहा, जिसके कारण प्रचुर मात्रा में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानि हुई । इसके अतिरिक्त विभाग, अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहा

24 ग्वालियर, खण्डवा, मंदसौर, रतलाम और सतना

जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण राशियों के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनिर्धारण/कम निर्धारण हुआ एवं अवसूली/कम वसूलियां हुईं ।

5.2.23 सिफारिशों का सारांश

प्रणालीगत एवं अनुपालन संबंधी कमियों में सुधार करने के लिए शासन निम्नलिखित सिफारिशें लागू करने पर विचार कर सकता है :

- उपपंजीयक कार्यालयों में विलेख प्रस्तुतीकरण के समय निष्पादकों द्वारा स्थायी पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता का प्रावधान अधिनियम/नियमों में समावेश करना;
- मांग कायम होने के बाद राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा निर्धारित करना;
- राजस्व रिसाव की सुरक्षा के लिए, समय रहते अन्य निकायों/विभागों के साथ जानकारियों के आदान प्रदान के लिये संस्थागत प्रणाली विकसित करने पर विचार करना;
- निर्धारित अवधि में फैक्ट्री चालू करने में असफल रहने पर मुद्रांक शुल्क एवं ब्याज की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए पंजीयन एवं उद्योग विभाग में समन्वय हेतु प्रणाली निर्धारित करना;
- अधिनियम/नियमों के अनुपालन और राजस्व के रिसाव की रोकथाम को सुनिश्चित करने हेतु आन्तरिक लेखापरीक्षा को सशक्त करने के लिए तुरन्त कदम उठाया जाना ।

ख : मनोरंजन शुल्क

5.3 केबल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 तथा मध्यप्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम, 1999 में प्रावधान है कि केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक केबल टेलीविजन नेटवर्क और होटल या लाजिंग हाउस का मालिक निर्धारित दरों से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगा ।

फरवरी 2007 और मार्च 2008 के मध्य नौ जिला आबकारी कार्यालयों एवं सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालयों[25] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि केबल सेवा के माध्यम से अप्रैल 2002 से फरवरी 2008 के दौरान मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले 433 केबल आपरेटरों और 44 होटल या लाजिंग हाउस के मालिकों से 32.57 लाख रूपये का मनोरंजन शुल्क विभाग द्वारा वसूल नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 32.57 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि 27.31 लाख रूपये की राशि वसूल कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008)।

5.4 सिनेमा गृहों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण

मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम में प्रावधान है कि जहां किसी सिनेमा हॉल में सिनेमेटोग्राफिक प्रदर्शन किये जाते हैं, सिनेमा हॉल में प्रवेश दिए गए व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रभारित किये गये दो रूपये प्रति टिकट से अनधिक राशि पर शुल्क आरोपित नहीं किया जायेगा । प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण और उन पर किये गये व्यय की राशि चार्टर्ड अकाउन्टेंट (सी.ए.) से सत्यापित कराकर, सिनेमा हॉल के मालिक द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष को 30 जून तक सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करनी होगी और यदि कलेक्टर, प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है, तो वह सुविधाएं प्रदान करने के लिए मान्य की गई राशि के संबंध में सिनेमा मालिकों से शुल्क वसूल कर सकेंगे ।

[25] सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय–भोपाल, ग्वालियर इंदौर और रीवा
जिला आबकारी कार्यालय– अनूपपुर, छतरपुर, खरगौन, रतलाम और शहडोल

अक्टूबर 2007 और जनवरी 2008 के मध्य तीन सहायक आबकारी आयुक्त और चार जिला आबकारी कार्यालयों[26] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि अप्रैल 2005 और मार्च 2007 के मध्य 47 सिनेमा गृह मालिकों द्वारा दर्शकों को सिनेमागृह में सुविधाएं प्रदान करने हेतु टिकटों की बिक्री पर 62.60 लाख रूपये संग्रहीत किये गये थे । यद्यपि सिनेमा हॉलों में प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण और उन पर किये गये व्यय के सी ए द्वारा सत्यापित लेखाओं को मालिकों द्वारा विहित अवधि में कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया था, किन्तु संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा मनोरंजन शुल्क आरोपण के लिए प्रकरण कलेक्टर को नहीं भेजे गये थे । इस प्रकार, 62.60 लाख रूपये पर आरोपणीय 20.49 लाख रूपये का मनोरंजन शुल्क आरोपित नहीं किया गया ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि रीवा जिले से संबंधित 1.33 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क को वसूल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जबकि अन्य प्रकरणों में सिनेमा हॉल के मालिकों द्वारा सी ए द्वारा सत्यापित विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है या प्रस्तुत किया जा रहा है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रदान की गई सुविधाओं और उन पर किए गए व्यय की राशि का सी ए द्वारा सम्यक रूप से लेखा परीक्षित विवरण विहित अवधि के अन्दर अर्थात आगामी वर्ष की 30 जून तक अप्राप्त रहने की स्थिति में ऐसी राशि पर देय मनोरंजन शुल्क वसूल करने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिये थी, जो नहीं की गयी । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

5.5 विज्ञापन कर का अनारोपण/वसूली न होना

मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम में प्रावधान है कि मनोरंजन का प्रत्येक संचालक प्रदर्शित किये गये प्रत्येक विज्ञापन पर 50 रूपये प्रति माह अनधिक की दर से विज्ञापन कर का भुगतान करेगा ।

अप्रैल 2006 और मार्च 2008 के मध्य पांच जिला आबकारी कार्यालयों[27] के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 599 केबल ऑपरेटरों द्वारा अप्रैल 2003 से फरवरी 2008 की अवधि हेतु न तो विज्ञापन कर का भुगतान किया गया और न ही उनसे वसूल किया गया । इसके परिणामस्वरूप 5.09 लाख रूपये का विज्ञापन कर आरोपित/वसूल नहीं हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद आबकारी आयुक्त ने बताया (जून 2008) कि केबल ऑपरेटरों से विज्ञापन कर की राशि वसूल करने की कार्रवाई की जा रही है एवं वसूली के बाद सूचित किया जाएगा । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

26 सहायक आबकारी आयुक्त – ग्वालियर, इंदौर और रीवा । जिला आबकारी अधिकारी अनूपपुर, मण्डला, रतलाम और शहडोल

जिला आबकारी अधिकारी – अनूपपुर, मण्डला, रतलाम और शहडोल

27 अनूपपुर, छतरपुर, खरगौन, नीमच और शहडोल

ग : भू–राजस्व

5.6 व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं अर्थदण्ड की मांग सृजित न करना

मध्यप्रदेश भू–राजस्व (एम.पी.एल.आर.सी.) 1959 के अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) की कंडिका 14 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विवरण पत्रक बी–1 में प्रत्येक भूमि धारक से वसूली योग्य देय राशियों के बारे में संबंधित तहसीलदार को सूचित करेगा । इस विवरण पत्रक में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के दाण्डिक प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित प्रब्याजि, व्यपवर्तन लगान और अर्थदण्ड की मांग सम्मिलित होती है । बी–1 विवरण पत्रक प्राप्त होने पर तहसीलदार पटवारियों[28] के माध्यम से देय राशियों की वसूली करता है ।

अप्रैल 2007 में अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.), तहसील, इंदौर (राजस्व) के कार्यालय में संधारित दायरा[29] पंजी की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2006 की अवधि में इंदौर शहरी क्षेत्र के 32 प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि और अर्थदण्ड के रूप में 2.80 करोड़ रूपये की राशि देय थी । अनुविभागीय अधिकारी ने मांग कायम करने हेतु तहसीलदार, इंदौर को भेजने के लिये बी–1 विवरण पत्रक तैयार नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप 2.80 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण मार्च 2008 में आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

5.7 अग्रिम अधिपत्य के प्रकरण में प्रत्याशित प्रब्याजि एवं भू–भाटक की वसूली न होने के कारण राजस्व प्राप्त न होना

आर.बी.सी. की कंडिका 29 के प्रावधान के अनुसार अन्तिम स्वीकृति की प्रत्याशा में जब शासकीय भूमि का अग्रिम अधिपत्य आवेदक को दिया जाता है, अनुमानित प्रब्याजि और भू–भाटक के आधार पर प्रत्याशित प्रब्याजि एवं भू–भाटक वसूल किया जाना चाहिये । इसी दौरान आवेदक को एक वचनबंध भी देना चाहिये कि वह शासन द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित प्रब्याजि एवं भू–भाटक का भुगतान करेगा । फरवरी 1985 के शासकीय निर्देश में इसे दोहराया गया था कि अग्रिम अधिपत्य के प्रकरणों में प्रत्याशित प्रब्याजि एवं भू–भाटक अनिवार्यतः जमा होना चाहिये ।

जनवरी 2008 में कलेक्टर कार्यालय, भोपाल (नजूल शाखा) के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 5.50 एकड़ शासकीय भूमि, जिसमें 4.88 एकड़ सार्वजनिक उपयोग हेतु थी

28 भू–अभिलेखों के रख रखाव और अद्यतनकरण के लिए नियुक्त कर्मचारी

29 पंजी, जिसमें राजस्व प्रकरण कार्यवाही हेतु पंजीबद्ध किये जाते हैं ।

तथा प्रब्याजि एवं भू–भाटक से मुक्त थी और 0.42 एकड़ व्यावसायिक प्रयोजन हेतु आवंटित थी , का अग्रिम अधिपत्य अन्तिम स्वीकृति की प्रत्याशा में शाहजहांनाबाद में बस स्टैंड स्थापित करने के लिए नगर निगम को दिया गया था (अगस्त 2005) । किन्तु 87.94 लाख रूपये की प्रब्याजि तथा 13.20 लाख रूपये के भू–भाटक के रूप में 1.01 करोड़ रूपये की प्रत्याशित राशि की वसूली नगर निगम, भोपाल से नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रूपये की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण को इंगित किये जाने के बाद नजूल अधिकारी ने बताया (जनवरी 2008) कि आबंटन शासकीय आदेश द्वारा किया गया था तथा नगर निगम भोपाल को, प्रब्याजि एवं भू–भाटक जमा करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नजूल अधिकारी द्वारा आर.बी.सी. के प्रावधानों और शासकीय निर्देशों के अनुसार भूमि का अग्रिम अधिपत्य देते समय प्रत्याशित प्रब्याजि एवं भू–भाटक वसूल करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

प्रकरण आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 2008), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

5.8 कुर्क की हुई संपत्ति का निराकरण न होने के कारण राजस्व प्राप्त न होना

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत, शासन को देय भू–राजस्व की बकाया राशियां तहसीलदार द्वारा बकायादार की संपत्ति कुर्क कर तथा स्थावर एवं जंगम संपत्ति विक्रय करके वसूल की जाएगी । पुनश्च, कुर्क संपत्ति के शीघ्र निराकरण हेतु कार्रवाई करने की दृष्टि से तहसीलदार द्वारा कुर्क संपत्ति की पंजी की त्रैमासिक समीक्षा किया जाना अपेक्षित है ।

अप्रैल 2007 में तहसील इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2006 के मध्य 66.23 लाख रूपये[30] की वसूली हेतु 11 प्रकरणों में स्थावर एवं जंगम संपत्तियां कुर्क की गयी थीं, किन्तु विभाग द्वारा कुर्क संपत्तियों का निराकरण कर देय राशियों की वसूली के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 66.23 लाख रूपये की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अप्रैल 2008), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

30 लेबरकोर्ट, धार–(03 मदें) राशि 6.02 लाख रूपये, व्यपवर्तन शाखा–कलेक्टर कार्यालय इंदौर–(08 मदें) राशि 60.21 लाख रूपये

5.9 वसूली प्रभार की वसूली न होना

पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं इसके अधीन जारी अनुदेशों (जून 1999) के अनुसार, भू–राजस्व, उपकर, फीस तथा अन्य करों के रूप में शासन द्वारा वसूल की गई राशियों में से 10 प्रतिशत वसूली प्रभार के रूप में काटने के पश्चात शेष राशि पंचायत निधि में जमा की जाएगी ।

अप्रैल 2007 से फरवरी 2008 के मध्य 16 तहसीलों[31] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि तहसीलदारों द्वारा 5.63 करोड़ रूपये का राजस्व वसूल किया गया था, जिसे वसूली प्रभार की राशि 56.33 लाख रूपये काटे बगैर *पंचायत राज निधि* में जमा कर दिया गया । इसके परिणामस्वरूप 56.33 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद तहसीलदारों ने बताया (फरवरी 2008) कि वसूली प्रभार नहीं काटा गया था और कलेक्टर से आदेश प्राप्त होने के बाद यह वसूल किया जावेगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासन के खाते में राजस्व जमा करने के पूर्व वसूली प्रभार काटा जाना चाहिये था ।

प्रकरण आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2007 से अप्रैल 2008 के मध्य); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

5.10 प्रक्रिया व्यय का आरोपण/वसूली न होना

मध्यप्रदेश लोकधन शोध्य राशियों की वसूली अधिनियम, 1987 की धारा 4 के अनुसार बकायादारों से मूल राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय वसूल किया जाएगा और कोषालय में जमा कराया जाएगा ।

अप्रैल 2007 से फरवरी 2008 के मध्य छः तहसीलों[32] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि बकायादारों से 6,777 प्रकरणों में 37.62 लाख रूपये का प्रक्रिया व्यय वसूली योग्य था, किन्तु ये राशियां 12.54 करोड़ रूपये की मूल राशि के संबंधित मांग सूचना पत्रों में शामिल नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 37.62 लाख रूपये का प्रक्रिया व्यय आरोपित नहीं हुआ ।

प्रकरण आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 2008 से अप्रैल 2008 के मध्य) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

[31] बैरसिया(भोपाल), डबरा(ग्वालियर), देपालपुर(इंदौर), डिंडोरी, इंदौर, कुरवाई(विदिशा), लखनादौन(सिवनी), लोण्डी(छतरपुर), मुलताई(बैतूल), नसरूल्लागंज(सीहोर), पाटन(जबलपुर), रहली(सागर), राजगढ़, राजनगर(छतरपुर), सांवेर(इंदौर) और सिवनी

[32] बरोद(शाजापुर), घटिया(उज्जैन), खनियाधाना(शिवपुरी), महीदपुर(उज्जैन), नरवर(शिवपुरी) और सिवनी

अध्याय – 6 : वन प्राप्तियां

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान वन प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच में 117 प्रकरणों में 91.59 करोड़ रूपये की राजस्व हानि का पता चला, जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	बांस/इमारती लकड़ी के कूपों का विदोहन न किए जाने के कारण राजस्व प्राप्त न होना ।	13	9.48
2.	इमारती लकड़ी/बांस के अनुमानित उत्पादन से कम उत्पादन के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी ।	19	6.66
3.	वनोपज की कमी/गुणवत्ता में ह्रास के कारण राजस्व प्राप्त न होना ।	08	1.37
4.	इमारती लकड़ी के पुनर्मापन के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी ।	03	0.45
5.	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी ।	05	0.22
6	अन्य अनियमिततायें	69	73.41
	योग	**117**	**91.59**

वर्ष 2007–08 के दौरान विभाग ने सात प्रकरणों में अंतर्निहित 95 लाख रूपये की हानि को स्वीकार किया । ये सभी प्रकरण वर्ष 2007–08 के दौरान इंगित किए गए थे । एक प्रकरण में 43,000 रूपये की राशि की वसूली की गई ।

कुछ दृष्टात्मक प्रकरणों, जिनमें 82.55 लाख रूपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया हैं ।

6.2 इमारती काष्ठ के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि

कार्य आयोजना के अनुसार, विदोहन हेतु नियत देय काष्ठ कूपों का चिन्हांकन क्षेत्रीय वन मंडल द्वारा किया जाता है, एवं कूपों से प्राप्त होने वाले अनुमानित उत्पादन संबंधी अभिलेखों के साथ उन्हें उत्पादन वन मंडल को सौंप दिया जाता हैं । विभागीय अनुदेशों (जनवरी 1984) में इमारती काष्ठ के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में अधिकतम 10 प्रतिशत तक भिन्नता मान्य है । आगे, मार्च 2004 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार, विदोहन के समय अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में कोई भिन्नता पाए जाने पर, क्षेत्रीय एवं उत्पादन वन मंडलों के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा कूपों के संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त अनुमानित उत्पादन को पुनरीक्षित किया जा सकता हैं ।

अक्टूबर 2007 एवं दिसम्बर 2007 में वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन), खण्डवा एवं पश्चिम सीधी के अभिलेखों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2006–07 के दौरान छः कूपों में 21,172 वृक्षों का चिन्हाकन कर पातन किया गया, और 1,446 घन मीटर इमारती काष्ठ एवं 2,008 घन मीटर जलाऊ लकड़ी के चट्टों के अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन क्रमशः 607 घन मीटर एवं 1,616 घन मीटर हुआ । 10 प्रतिशत की अनुमत्य भिन्नता के बाद भी वास्तविक उत्पादन में, इमारती काष्ठ में 694 घ.मी. एवं जलाऊ चट्टों में 191 घ.मी. की कमी रही । 10 प्रतिशत की अनुमत्य भिन्नता के बाद इमारती काष्ठ में कमी का प्रतिशत 48 प्रतिशत जबकि जलाऊ चट्टों में यह 9.5 प्रतिशत रहा । मार्च 2004 के विभागीय अनुदेशों के तहत इस भिन्नताओं के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई । इमारती काष्ठ के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप, शासन को 73.02 लाख रूपये की हानि हुई। दो वन मंडलों के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन, कमी एवं कमी के प्रतिशत संबंधी आंकड़े नीचे दर्शाये गए हैं :

स. क्र.	वन मंडल	कूपों की संख्या	वृक्षों की संख्या		उत्पादन (घ.मी.)				10 प्रतिशत भिन्नता मान्य करने के बाद वास्तविक उत्पाद में कमी		10 प्रतिशत भिन्नता मान्य करने के बाद कमी का प्रतिशत		राजस्व की हानि (लाख रू. में)
			चिन्हित	पातित	अनुमानित		वास्तविक		इमारती काष्ठ	जलाऊ चट्टे	इमारती काष्ठ	जलाऊ चट्टे	
					इमारती काष्ठ	जलाऊ चट्टे	इमारती काष्ठ	जलाऊ चट्टे					
1.	खण्डवा	4	10,190	10,190	955	1031	392	768	467	160	49	16	56.76
2.	पश्चिम सीधी	2	10,982	10,982	491	977	215	848	227	31	46	3	16.26
	योग	6	21,172	21,172	1,446	2,008	607	1,616	694	191	--	--	73.02

प्रकरण इंगित किए जाने पर, वन मंडलाधिकारी (उत्पादन), खण्डवा ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2007) कि दो कूपों में जिनमें 55 घ.मी. इमारती काष्ठ एवं 24 जलाऊ चट्टों की कमी थी, वसूली की कार्रवाई की जाएगी और शेष दो कूपों में संयुक्त निरीक्षण के बाद कारणों की जॉच की जाएगी । वन मंडलाधिकारी (उत्पादन), पश्चिम सीधी ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2007) कि संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और परिणामों से लेखापरीक्षा को तदनुसार अवगत कराया जाएगा । चूंकि विभागीय अनुदेशों के तहत संयुक्त निरीक्षण विदोहन के समय ही किए जाने थे, अतः उत्तर मान्य नहीं हैं ।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को प्रतिवेदित जनवरी 2008 तथा मार्च 2008 किया गया । उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (दिसम्बर 2008) ।

6.3 पुष्पित बांस क्षेत्र में बांस के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि

पुष्पित बांस क्षेत्रों में कार्य करने के संबंध में विभागीय अनुदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पुष्पित बांस क्षेत्रों में विदोहन निः शेष पातन द्वारा किया जाता है एवं बड़ी मात्रा में बांस प्राप्त किया जाता हैं । विभागीय कार्यविधि के अनुसार पातन हेतु नियत बांस कूपों में क्षेत्रीय वन मण्डल द्वारा सर्वे, सीमांकन एवं नमूना प्लाट डाल कर बांस के अनुमानित उत्पादन का निर्धारण कर उत्पादन वन मंडल को सौंप दिया जाता है । विभागीय अनुदेशों (जनवरी 2003) द्वारा भी यह निर्धारित किया गया है कि उत्पादन वन मंडल के स्टाफ द्वारा कूप का प्रभार लेने के उपरान्त, यदि अनुमानित मात्रा में परिवर्तन की कोई आवयश्कता है, तो क्षेत्रीय वन मंडल को तदनुसार सूचित किया जा सकता हैं ।

अक्टूबर 2007 में वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) मण्डला के अभिलेखों की नमूना जॉच, में पता चला कि व.म.अ. क्षेत्रीय वन मंडल ने वर्ष 2006–07 के दौरान मोती नाला परिक्षेत्र के बांस पुष्पित क्षेत्र के पांच, कक्षों में 755.750 नोशनल टन औद्योगिक बांस एवं 6.804 नोशनल टन व्यापारिक बांस का अनुमानित उत्पादन निर्धारित किया और व.म.अ. (उत्पा.) को सौंप दिया । तथापि यह पाया गया कि औद्योगिक बांस का वास्तविक उत्पादन केवल 32.804 नोशनल टन हुआ । औद्योगिक एवं व्यापारिक बांस के वास्तविक उत्पादन में कमी का प्रतिशत 70 एवं 100 प्रतिशत के बीच रहा । 729.75 नोशनल टन बांस के कम उत्पादन के कारण 9.53 लाख रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

यह इंगित किए जाने पर व.म.अ. (उत्पा.) मण्डला ने मार्च 2008 में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा केवल उन्ही कक्षों के आंकड़ों पर विचार किया गया है जिनमें उत्पादन कम था, जबकि वर्ष 2006–07 में बांस का समग्र वास्तविक उत्पादन अनुमानित मात्रा से अधिक था । उत्तर जनवरी 2005 के विभागीय परिपत्र के अनुरूप नहीं है जिसमें निर्धारित किया गया था कि अनुमानित उत्पादन से कम उत्पादन की स्थिति में, हानि वनमण्डल के सभी कूपों के बजाय कूपवार निकाली जाएगी । इसके अतिरिक्त जनवरी 2003 के विभागीय परिपत्र के अनुसार

अनुमानित और वास्तविक उत्पादन के बीच भिन्नता के तथ्य को क्षेत्रीय वन मंडल की जानकारी में भी नहीं लाया गया ।

प्रकरण जनवरी 2008 तथा मार्च 2008 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (दिसम्बर 2008) ।

अध्याय – 7 : खनन प्राप्तियां

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 513.88 करोड़ रुपये की राशि के राज्यांश, अनिवार्य किराये का अनारोपण/कम आरोपण, संविदा राशि, राज्यांश, खनिज क्षेत्र विकास उपकर की वसूली न होने तथा राज्यांश के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के कम आरोपण आदि से संबंधित 1,474 प्रकरणों का पता चला जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**खनन प्राप्तियां (समीक्षा)**	1	395.76
2.	राज्यांश का कम आरोपण/अनारोपण	139	30.67
3.	राज्यांश पर ब्याज की कम वसूली	21	2.44
4.	अनिवार्य किराए का अनारोपण	269	1.85
5.	ब्याज की हानि	35	0.07
6.	अन्य	1,009	83.09
	योग	**1,474**	**513.88**

वर्ष 2007–08 के दौरान, विभाग ने 1,457 प्रकरणों में अंतनिर्हित 97.25 करोड़ रुपये के राज्यांश एवं अनिवार्य किराये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया । ये सभी प्रकरण वर्ष 2007–08 के दौरान इंगित किए गए । वर्ष 2007–08 एवं पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 53 प्रकरणों में 129.74 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी ।

"खनन प्राप्तियां" पर समीक्षा, जिसमें 395.76 करोड़ रुपये की राशि अंतनिर्हित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

7.2 खनिज प्राप्तियां

प्रमुख विशेषताएं

- पट्टाधारकों से विवरणियों की प्राप्ति का परिवीक्षण करने के लिए अभिलेख संधारित न किए जाने के कारण 2.44 करोड़ रुपये की शास्ति का अनारोपण।

(कंडिका 7.2.9)

- मांग एवं संग्रहण पंजी पर विभाग द्वारा निगरानी हेतु कोई पद्धति निर्धारित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 54.70 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली न होना/कम होना ।

(कंडिका 7.2.10)

- खनिजों के उत्खनन के आंकड़ों का अन्य विभागों के साथ प्रति–सत्यापन हेतु किसी पद्धति के अभाव के परिणामस्वरूप 1.03 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

(कंडिका 7.2.12)

- 327.30 करोड़ रुपये के सड़क विकास कर का अनिर्धारण/अवनिर्धारण।

(कंडिका 7.2.18)

- अस्थायी अनुज्ञापत्रों के जारी करने में अनियमितता के कारण 1.36 करोड़ रुपये के राजस्व की कम वसूली ।

(कंडिका 7.2.20)

- मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा 7.98 करोड़ रुपये के राज्यांश का कम भुगतान ।

(कंडिका 7.2.21)

7.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में खनन प्राप्तियां खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (एम.एम. आर.डी.एक्ट), 1957, कोल बियरिंग (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957, खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988,खनिज रियायत नियम (एम.सी.नियम), 1960, गौण खनिज नियम (एम.एम. नियम), 1996 एवं मध्य प्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम, 2006, के अन्तर्गत नियमित होती हैं ।

मध्य प्रदेश में बाक्साइट, कोयला, कॉपर, हीरा, डोलोमाइट डायरपोर, चूना पत्थर, मैग्नीज, पायरोफाईलाइट एवं रॉक फास्फेट खनिज के भण्डार हैं । इसके अतिरिक्त राज्य में डायमेन्सनल पत्थर, जिसमें विभिन्न रंगों के ग्रेनाइट, मार्बल, फर्सीपत्थर तथा सैण्ड स्टोन शामिल हैं, का उत्पादन त्वरित गति से हो रहा है ।

खनिज प्राप्तियों में मुख्यतः पट्टे/अनुज्ञापत्र/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का आवेदन पत्र शुल्क, राज्यांश, अनिवार्य किराया, सतह किराया जुर्माना एवं शास्ति तथा देय राशियों के भुगतान में हुए विलम्ब हेतु ब्याज आदि शामिल हैं ।

लेखापरीक्षा द्वारा खनिज प्राप्तियों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण संबंधी खनिज विभाग की कार्यशैली की समीक्षा की गई । इसके दौरान पद्धति एवं अनुपालन संबंधी अनेक खामियां पाई गई जिनका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

7.2.2 संगठनात्मक संरचना

खनिज विभाग, सचिव, खनिज, मध्य प्रदेश शासन के पूर्ण प्रभार में कार्यरत है । संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म विभागाध्यक्ष हैं जो कि मुख्यालय स्तर पर उप संचालकों तथा जिला स्तर पर जिला खनिज अधिकारियों (डी.एम.ओ.) के सहयोग से कार्य करते हैं । जिला खनिज अधिकारी सहायक जिला खनिज अधिकारियों तथा खनिज निरीक्षकों के सहयोग से कार्य करते हैं । जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनिज निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हैं।

7.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

संचालनालय तथा 49 जिला खनिज कार्यालयों में से 20[1] कार्यालयों के अभिलेखों की अवधि 2003–04 से 2007–08 तक की नमूना जांच नवम्बर 2007 तथा मई 2008 के मध्य की गई । इकाईयों का चयन सामान्य अनियमित नमूना पद्धति के आधार पर किया गया ।

[1] अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिन्दवाड़ा दमोह,, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रीवा, सतना, सागर, शहडोल, सीधी तथा उमरिया ।

7.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गई थी, कि क्या :

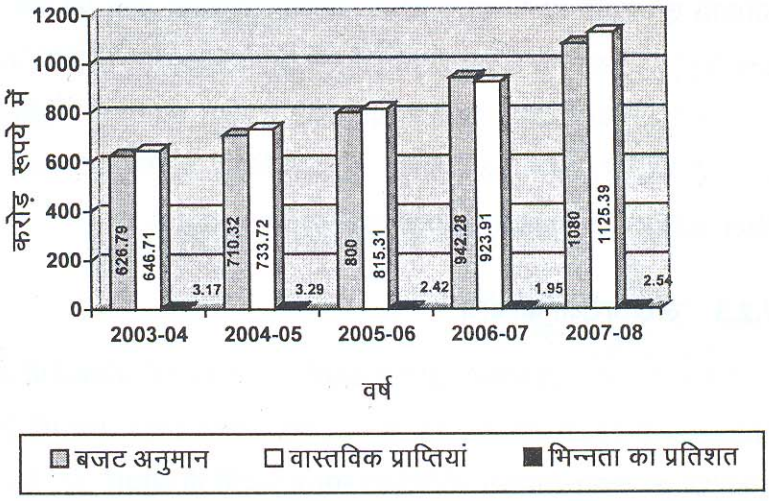
- नियमों के प्रावधान तथा विभागीय अनुदेश समुचित हैं तथा कर निर्धारण आरोपण एवं वसूली के प्रावधानों को सही ढंग से राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से लागू किया गया था; तथा
- शासकीय राजस्व की सुरक्षा हेतु विभाग की आन्तरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली कारगर एवं समुचित थी ।

7.2.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग द्वारा लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख प्रस्तुत करने में दिये गये सहयोग को स्वीकार करता है । प्रारूप समीक्षा प्रतिवेदन मई 2008 में शासन एवं विभाग को भेजा गया एवं नवम्बर 2008 में आयोजित लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक (एग्जिट कॉन्फ्रेन्स)में इस पर चर्चा की गई । शासन का प्रतिनिधित्व सचिव द्वारा किया गया जबकि विभाग का प्रतिनिधित्व संचालक, भौमिकी एवं खनि कर्म द्वारा किया गया । बैठक में प्रमुख सचिव, वित्त विभाग भी उपस्थित हुए । शासन/विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

7.2.6 राजस्व की प्रवृति

31 मार्च 2008 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व की प्रवृत्ति निम्नानुसार रही :



इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा आवृत्त सम्पूर्ण अवधि के दौरान वर्ष 2006–07 को छोड़कर बजट अनुमान बनाम वास्तविक प्राप्तियां बढ़ती हुई प्रवृत्ति को इंगित करती हैं ।

यह पाया गया कि बजट अनुमान बनाते समय बकाया राजस्व को ध्यान में नहीं रखा गया जिसके परिणामस्वरूप वसूली हेतु बकाया राशि में अत्यधिक वृद्धि हुई जिसे अनुवर्ती कंडिका में बताया गया है ।

7.2.7 बकाया राजस्व की स्थिति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक के बकाया राजस्व के आंकड़ों में व्यापक उतार–चढ़ाव थे । वर्ष 2004–05 एवं 2006–07 में जहां बकाया में तीक्ष्ण वृद्धि हुई, वहीं वर्ष 2005–06 में गहन कमी आई, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बकाया राजस्व
2003-04	49.59
2004-05	153.04
2005-06	11.11
2006-07	113.25
2007-08	12.23

यह पाया गया कि बकाया 40 वर्ष पुराना है । विभाग द्वारा प्रकरणों को भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली हेतु भेजने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई । इसके अतिरिक्त, समीक्षा में सन्निहित वर्षो के दौरान राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के प्रकरणों के संबंध में वसूली का प्रतिशत मात्र 2.87 प्रतिशत था ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणालीगत कमियां

7.2.8 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किये गये कार्यो की निगरानी न करना

खनिज रियायत नियमों के नियम 16(1)(2) के अनुसार पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा किये गये कार्यों बावत राज्य शासन को प्रत्येक छैः माह में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति समाप्ति के तीन माह के अन्दर अनुज्ञप्ति द्वारा आच्छादित क्षेत्र में किए गये पूर्वेक्षण कार्यवाहियों से संबंधित सम्पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा । खनिज संरक्षण तथा विकास नियमों के नियम 8(1) के अनुसार पूर्वेक्षण कार्यवाही से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र "बी" में प्रस्तुत करना होगा ।

जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि उक्त प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिए कोई पंजी/अभिलेख संधारित नहीं किया गया था। विगत पांच वर्षो में किसी भी जिला खनिज कार्यालय में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारियों से कोई भी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ । नियंत्रण पंजी/अभिलेख के अभाव में जिला खनिज अधिकारियों

एवं विभाग के पास इस आशय की कोई कार्य प्रणाली नहीं थी जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि पूर्वेक्षण कार्यवाहियां अधिकृत क्षेत्रों में सम्पन्न की गई अथवा मात्र उन्हीं खनिजों के लिये की गई जिनके लिये अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी ।

पूर्वेक्षण कार्यवाहियों पर ठोस नियंत्रण के लिये अनुज्ञप्तिधारियों से प्रतिवेदनों की प्राप्ति पर निगरानी रखने हेतु शासन द्वारा उपयुक्त अभिलेख के संधारण को निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

7.2.9 पट्टाधारियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करने पर शास्ति का अनारोपण

7.2.9.1 खनि पट्टे

खनिज रियायत नियमों के प्रावधानों एवं खनि पट्टों के अनुबंध के भाग VII की शर्त क्रमांक 7 के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारी को केन्द्र शासन तथा राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित लेखाओं का सार, विवरणियां एवं जानकारी यथासमय सत्य एवं सही प्रस्तुत करना होगा । यदि पट्टाधारी ऐसी जानकारी/विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो राज्य शासन अनुबंध के भाग IX की शर्त क्रमांक 3 के अन्तर्गत ऐसी शास्ति जो कि वार्षिक अनिवार्य किराये की रकम के दोगुने से अधिक नहीं होगी, के आरोपण की कार्यवाही करेगा । खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, के नियम 45 के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारी को विभिन्न प्रपत्रों में निर्धारित मासिक एवं वार्षिक विवरणियों को, जिनमें खनिज उत्पादन, राज्यांश का विवरण, सामग्री की खपत, निकासी एवं स्टॉक तथा उत्पादन की लागत आदि को दर्शाया गया है, प्रस्तुत करना होगा ।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा पट्टाधारियों से विवरणियां प्राप्त करने की निगरानी हेतु कोई पंजी निर्धारित नहीं की गई ।

चार[2] जिला खनिज कार्यालयों के पट्टा पावतियों की जांच में पाया गया कि 391 पट्टाधारियों में से 50 ने जनवरी 2002 से फरवरी 2008 तक की अवधि हेतु मासिक एवं वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थीं । इन मासिक एवं वार्षिक विवरणियों की प्राप्ति पर निगरानी हेतु अभिलेख संधारित न होने से जिला खनिज अधिकारी खनिजों की वास्तविक निकासी पर भुगतान योग्य राज्यांश को सत्यापित करने और शास्ति की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ करने की स्थिति में नहीं थे । इसके अतिरिक्त विवरणियां प्रस्तुत न करने पर विभाग द्वारा नियमानुसार शास्ति आरोपण की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप 59.30 लाख[3] रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

2 बालाघाट, छिन्दबाड़ा, कटनी एवं उमरिया ।

3 29.65 लाख रुपये के वार्षिक अनिवार्य किराए की राशि के दुगुने की दर से गणना की गई ।

7.2.9.2 उत्खनि पट्टे

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, के नियम 30(20) (ए)(बी)(सी) के अनुसार उत्खनि पट्टाधारी को निर्धारित प्रपत्रों में निर्दिष्ट तिथियों को मासिक, छःमाही तथा वार्षिक विवरणी जिला खनिज अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी । इसमें विफल रहने पर पट्टा स्वीकृत प्राधिकारी शास्ति अधिरोपित करेगा जो वार्षिक अनिवार्य किराये की राशि के दो गुना से अधिक नहीं होगी ।

12[4] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नमूना जांच हेतु चयनित खदान पट्टों के 216 प्रकरणों में से 178 पट्टाधारियों द्वारा अप्रैल 2003 से मार्च 2008 तक की अवधि से संबंधित मासिक, छःमाही तथा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई थीं।

इन विवरणियों की प्राप्ति पर निगरानी हेतु किसी अभिलेख के अभाव में जिला खनिज अधिकारी खनिजों की निकासी पर देय राज्यांश की सही राशि की सत्यता की जांच करने में अशक्य थे । इन 216 पट्टों के कर निर्धारण भी लंबित थे । विवरणियों के प्रस्तुतीकरण की निगरानी न होने के फलस्वरूप 1.85 करोड़ रुपये की शास्ति का आरोपण नहीं हो सका । पट्टाधारियों से मासिक तथा वार्षिक विवणियों की प्राप्ति की निगरानी हेतु उपयुक्त पंजियों के संधारण को निर्धारित करने के लिये शासन द्वारा विचार किया जा सकता है जिससे कर निर्धारण की सत्यता तथा खनिज देयताओं के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके ।

7.2.10 विवरणियों की संवीक्षा तथा मांग एवं संग्रहण पंजी का संधारण न किए जाने के कारण राजस्व की वसूली न होना

संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, जिला खनिज कार्यालयों को खनि एवं उत्खनि पट्टों[5] हेतु मांग एवं संग्रहण पंजी (खतौनी) जिसमें निश्चित (अनिवार्य किराया) एवं अनिश्चित मांग (राज्यांश) वर्णित हो, का संधारण करना होगा । यह जिला खनिज कार्यालय की प्राथमिक पंजी है जिसमें सतह कर, अनिवार्य किराया, कुल निश्चित मांग, भुगतान की गई राशि, चालान क्रमांक, भुगतान का दिनांक, उत्खनित खनिज की मात्रा, देय राज्यांश, ब्याज आदि का विस्तृत विवरण रहता हैं । खतौनी के उचित संधारण एवं इसके उच्च प्राधिकारियों को समय पर प्रस्तुत करने बावत् निगरानी हेतु कोई पद्धति नहीं थी । लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह मूल अभिलेख 14[6] नमूना परीक्षित जिला खनिज कार्यालयों

4 अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिन्दबाड़ा, दमोह, होशंगाबाद, कटनी, रीवा, सागर, सीधी तथा उमरिया ।

5 इसे सितम्बर 2005 में संचालक द्वारा दोहराया गया था ।

6 अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मुरैना, रीवा, सागर, सतना, शहडोल तथा सीधी

में बिल्कुल भी संधारित नहीं किया गया था तथा शेष छः[7] जिला खनिज कार्यालयों में खतौनी अपूर्ण थी।

विवरणियों की जांच तथा खतौनी का संधारण न किया जाना, साथ ही पट्टाधारकों द्वारा मासिक एवं वार्षिक विवरणियों को प्रस्तुत न किए जाने के प्रकरणों के फलस्वरूप खनन देय राशियों के निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया कामचलाऊ रही। विभाग खनिजों के उत्खनन एवं निकासी की शुद्धता, पट्टाधारियों द्वारा भुगतान किए गए राज्यांश या देय राशियों का भुगतान समय पर किया गया था या नहीं, को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था । परिणामस्वरूप विभाग में बजट अनुमान बनाने की प्रक्रिया भी कामचलाऊ रही, क्योंकि राजस्व के आंकड़े वास्तविक रूप से उत्खनित एवं निकासी किये गये खनिजों के आंकड़ों से मेल नहीं खा सके।

यदि खतौनी का उचित ढ़ंग से संधारण किया जाता तो लेखापरीक्षा में पाये गये राजस्व की वसूली न होने/कम वसूली के प्रकरणों से बचा जा सकता था ।

7.2.10.1 एम.एम.आर.डी. अधिनियम की धारा 9ए(i) के अनुसार,खनि पट्टे के प्रत्येक पट्टाधारक को अधिनियम की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दरों पर पट्टे में शामिल सभी क्षेत्रों हेतु अनिवार्य किराये का भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह के बीसवें दिन या उससे पूर्व करना होगा।

पांच[8] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि 26,050.491 हैक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि के 7 खनन पट्टाधारकों द्वारा जनवरी 2005 से दिसम्बर 2008 तक की अवधि हेतु देय अनिवार्य किराया 1.29 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया । इसके फलस्वरूप 1.29 करोड़ रुपये के अनिवार्य किराये की वसूली नहीं हुई । इन पांच जिला खनिज कार्यालयों में से बैतूल तथा उमरिया जिलों में खतौनी की प्रविष्टियां अपूर्ण थीं जबकि शेष तीन जिला खनिज कार्यालयों में ये बिल्कुल भी संधारित नहीं थीं । इसलिए विभाग अनिवार्य किराये की वसूली न होने का पता नहीं लगा सका।

प्रकरण इंगित किए जाने पर छिन्दबाड़ा को छोड़कर, सभी जिला खनिज अधिकारियों ने सितम्बर 2007 एवं जनवरी 2008 के मध्य बताया कि वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी, छिन्दबाड़ा ने बताया (जनवरी 2008) कि चूंकि खदानों का संचालन कोल बियरिंग अधिनियम के अन्तर्गत हो रहा है, अतः अनिवार्य किराया आरोपणीय नहीं है । उत्तर अधिनियम के अनुरूप नहीं है क्योंकि कोल बियरिंग अधिनियम की धारा 18–ए में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जब किसी कम्पनी के शासन से संबंधित कोई भूमि या भूमि पर कोई अधिकार प्रदान किया जाता है तो धारा 11 के अन्तर्गत कम्पनी राज्य शासन को उस राशि का भुगतान

7 बैतूल, दमोह, धार, नरसिंहपुर, नीमच तथा उमरिया ।

8 बैतूल, छिंदवाड़ा, सतना, शहडोल एवं उमरिया ।

करेगी जो एक पट्टाधारी द्वारा राज्यांश के रूप में देय होती, यदि उस पट्टाधारी को राज्य शासन द्वारा खनन पट्टे के अंतर्गत ऐसी भूमि या अधिकार दिये जाते ।

7.2.10.2 मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, के नियम 30 (i)(ए) के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारक को उसके पट्टे में सन्निहित प्रत्येक क्षेत्र हेतु अनुसूची IV में विनिदिष्ट दरों पर अनिवार्य किराये का भुगतान प्रत्येक वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख या उससे पूर्व करना होगा ।

15[9] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि 180 पट्टाधारकों, जिन्हें 44,047.663 हैक्टेयर भूमि पर उत्खनि पट्टे स्वीकृत थे, द्वारा अप्रैल 2003 से दिसम्बर 2008 की अवधि हेतु देय अनिवार्य किराए 1.70 करोड़ रुपये के विरूद्ध 16.34 लाख रुपये का भुगतान किया गया जैसा कि पट्टाधारकों की पत्राचार नस्तियों से गणना की गई । इसके फलस्वरूप 1.53 करोड़ रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई ।

7.2.10.3 एम.एम.आर.डी. अधिनियम की धारा 9(i) के अनुसार, प्रत्येक पट्टाधारक को उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये/उपभोग किए गये खनिजों पर देय राज्यांश का भुगतान द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर करना होगा ।

पांच[10] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि पांच पट्टाधारकों द्वारा अवधि अप्रैल 2004 से फरवरी 2008 तक 115.02 लाख टन खनिजों को खदान क्षेत्र से हटाया गया तथा हटाये गये खनिज पर लंदन मेटल एक्सचेंज (एल.एम.ई.)[11] के 0.40 प्रतिशत तथा संबंधित खनिज हेतु द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट 23 रुपये प्रति टन की दर से देय 231.11 करोड़ रुपये के राज्यांश के विरूद्ध 217.94 करोड़ रुपये के राज्यांश का भुगतान किया गया । सभी प्रकरणों में पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की प्रविष्टि खतौनियों में नहीं की गई थी, जिसके कारण जिला खनिज अधिकारी राज्यांश के कम भुगतान पर निगरानी नहीं रख सके तथा शेष राशि की वसूली के लिए मांग सृजित नहीं की जा सकी । इसके परिणामस्वरूप 13.17 करोड़ रुपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर जिला खनिज अधिकारी, रीवा ने बताया (अप्रैल 2008) कि राज्यांश का भुगतान राज्य शासन द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया गया । हालांकि, उत्तर अनुदेशों की यथार्थ प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता है । इसके अतिरिक्त, लाइम शेल जिस पर 45 रुपये प्रति टन की दर से राज्यांश देय था, को साधारण शेल के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया तथा 10 प्रतिशत यथा मूल्य का राज्यांश आरोपित किया गया । चूंकि पट्टाधारक

9 अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिन्दबाड़ा, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी, मुरैना, रीवा, सागर, शहडोल, सीधी तथा उमरिया ।

10 अनूपपुर, बालाघाट, कटनी, रीवा एवं सीधी ।

11 लंदन स्थित कमोडिटी एक्सचेंज जहां धातु शेयरों (अलौह) का व्यापारिक लेन देन किया जाता है तथा जिसे विश्व बाजार में संदर्भ बिन्दु के रूप में उपयोग किया जाता है ।

द्वारा प्रस्तुत माइनिंग प्लान में स्पष्ट रूप से लाइमस्टोन के ऊपरी एवं निचले स्तर के बीच में लाइम शेल की उपस्थिति दर्शाई गई थी तथा इसके अतिरिक्त इस प्रकार उत्खनित लाइम शेल का उपयोग सीमेंट बनाने में किया गया था, अतः लाइम शेल को साधारण शेल मानना अनुचित था । शेष प्रकरणों में कोई विशिष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

7.2.10.4 एम.एम.आर.डी. अधिनियम की धारा 9(i) के अनुसार, प्रत्येक पट्टाधारक को उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये/उपभोग किए गये खनिजों पर देय राज्यांश का भुगतान द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर करना होगा ।

सात[12] जिला खनिज कार्यालयो के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पता चला कि 15 पट्टाधारकों द्वारा अवधि अप्रैल 2003 से दिसम्बर 2007 तक 17.01 लाख टन खनिजों को खदान क्षेत्र से हटाया गया तथा 10.88 करोड़ रुपये के देय राज्यांश के विरूद्ध 8.59 करोड़ रुपये के राज्यांश का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2.29 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई। पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों की संवीक्षा न किए जाने तथा खतौनी के अनुचित संधारण के कारण अनियमितता प्रकाश में नहीं आई ।

प्रकरण इंगित किए जाने पर जिला खनिज अधिकारी, अनूपपुर तथा बालाघाट ने बताया (फरवरी तथा अप्रैल 2008 के मध्य) कि पुनः निर्धारण पश्चात पुनरीक्षित मांग सूचना पत्र जारी किए जाएंगे, जबकि जिला खनिज अधिकारी, सागर ने बताया कि पट्टाधारक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।

7.2.10.5 एम.एम.आर.डी. अधिनियम की धारा 9(i) के अनुसार प्रत्येक खनन पट्टाधारक को उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये/उपभोग किए गये खनिजों पर देय राज्यांश का भुगतान द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर करना होगा ।

चार[13] जिला खनिज कार्यालयों की संवीक्षा में पता चला कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) जमुना कोटमा, सोहागपुर तथा जोहिला क्षेत्रों एवं नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एन.सी.एल.) सिंगरौली क्षेत्र में ए बी सी तथा डी ग्रेड के कोयले के मासिक विवरण पत्रकों में नवम्बर 2005 से दिसंबर 2007 तक अंतिम स्कंध 22.13 लाख टन दर्शाया गया जिसे आगामी माहों में प्रारम्भिक स्कन्ध में अग्रेनीत कर 13.05 लाख टन दर्शाया गया । इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा 9.08 लाख टन स्कन्ध को अनियमित रूप से कम किया गया, जिस पर 10.33 करोड़ रुपये का राज्यांश देय था । इसके परिणामस्वरूप 10.33 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

12 अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, कटनी, रीवा, सागर तथा सतना ।

13 अनूपपुर, शहडोल, सीधी तथा उमरिया ।

प्रकरण इंगित किए जाने पर सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य) कि पट्टाधारकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी ।

7.2.10.6 एम.एम.आर.डी. अधिनियम की धारा 9(i) के अनुसार, प्रत्येक पट्टाधारक को उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये/उपभोग किए गये खनिजों पर देय राज्यांश का भुगतान द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से करना होगा । कोयला खान के कार्य में उपभोग किए गए खनिजों की मात्रा के संबंध में राज्यांश के भुगतान में छूट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

जिला खनिज कार्यालय, अनूपपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) जमुनाकोटमा तथा हंसदेव क्षेत्र (नौ कोयला खानों) द्वारा जनवरी 2005 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान बी तथा सी ग्रेड के 19.89 लाख टन कोयले को अन्तर कोयला खान स्थानान्तरण दर्शाया गया तथा 25.87 करोड़ रुपये के राज्यांश का भुगतान नहीं किया गया । जिन कोयला खानों को कोयला स्थानान्तरित किया जाना दर्शाया गया था, विवरणियों में उनके नामों का उल्लेख नहीं किया गया था जिसकी संवीक्षा जिला खनिज अधिकारी द्वारा भी नहीं की गई । इसके फलस्वरूप 25.87 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

जिला खनिज कार्यालय अनूपपुर, बैतूल तथा छिन्दबाड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि दो[14] पट्टाधारकों द्वारा, जिनके पास 25 कोयला खाने थीं, बी, सी और डी ग्रेड के 20,000 टन कोयले को अवधि जनवरी 2003 से मार्च 2007 के दौरान कोयला खान कार्य में खपत किया जाना दर्शाया गया, परंतु खपत किये गये खनिज पर देय राज्यांश 21.38 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया । जिला खनिज अधिकारी द्वारा विवरणी की जांच नहीं की गई तथा अनियमित रूप से राज्यांश के भुगतान में छूट दी गई । इसके परिणामस्वरूप 21.38 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण इंगित किए जाने पर जिला खनिज अधिकारी, अनूपपुर ने बताया (फरवरी 2008) कि एस.ई.सी.एल. से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी । जिला खनिज अधिकारी, बैतूल ने बताया (जनवरी 2008) कि जांच के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । जिला खनिज अधिकारी, छिन्दबाड़ा ने बताया (जनवरी 2008) कि नियमों के प्रावधान के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी ।

शासन द्वारा खतौनी के उचित संधारण के प्रभावी परिवीक्षण हेतु उचित अंतरालों पर कलेक्टर तथा निदेशालय को इसका प्रस्तुतीकरण निर्धारित किए जाने हेतु विचार किया जा सकता है । विभिन्न समयांतरालों पर खतौनी के अप्रत्याशित निरीक्षण पर भी विचार किया जा सकता है ।

[14] साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल) तथा वैस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.)।

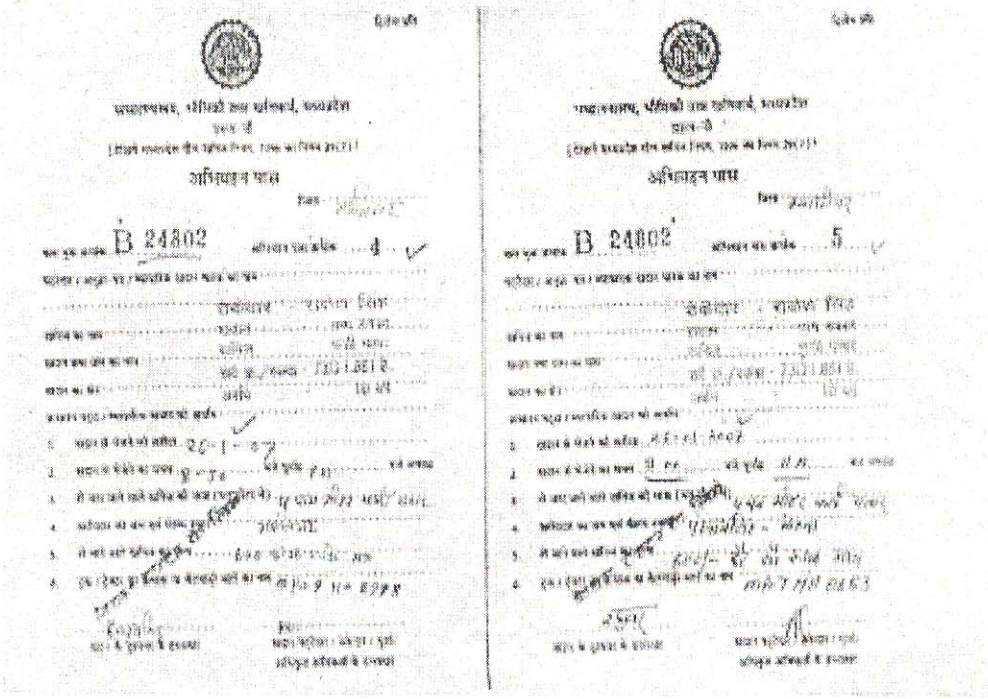
7.2.11 पारगमन अनुज्ञापत्रों को जारी करने तथा अभ्यर्पित करने पर निगरानी का अभाव

खनिजों का परिवहन जिला खनिज कार्यालय द्वारा फार्म IX में जारी पारगमन अनुज्ञापत्रों के माध्यम से किया जाता है । म.प्र. गौण खनिज नियमावली के नियम 14 तथा म.प्र. खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियमों के अनुसार, पट्टाधारक, राज्यांश का भुगतान किए जाने तथा नये पारगमन अनुज्ञापत्र जारी किए जाने से पूर्व उसको पूर्व में जारी लेकिन उपयोग न किए गए पारगमन अनुज्ञापत्रों के साथ उपयोग किए गए पारगमन अनुज्ञापत्रों की सभी अनुलिपियों को अभ्यर्पित करेगा । जिला खनिज कार्यालयों द्वारा जारी किए गए तथा पट्टाधारक द्वारा जमा किए गए अनुलिपि पारगमन अनुज्ञापत्र तथा उपयोग न किए गए पारगमन अनुज्ञापत्र पुस्तिकाओं का उचित लेखा रखा जाएगा । लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि राजस्व के उचित निर्धारण हेतु, पट्टाधारकों द्वारा पारगमन अनुज्ञापत्रों में प्रविष्ट किए गये विवरणों की शुद्धता को सत्यापित करने तथा पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी के साथ जानकारी का मिलान करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी । प्रणाली की इस कमी के साथ–साथ खतौनी का संधारण न किया जाना तथा आवधिक विवरणियों के परिवीक्षण का अभाव यह इंगित करता है कि विभाग पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत खनिज उत्खनन तथा निकासी के आंकड़ों को स्वीकार करता रहा । इसके फलस्वरूप राज्यांश का निर्धारण एवं आरोपण अनौपचारिक रहा ।

15[15] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि अवधि 2002–03 से 2007–08 तक 67,364 पारगमन अनुज्ञापत्र पट्टाधारकों को जारी किए गये, लेकिन इस अवधि में मात्र 5,143 उपयोग किए गए पारगमन अनुज्ञापत्र वापस प्राप्त किए गये । इन जिला खनिज कार्यालयों द्वारा उपयोग किए गए/उपयोग न किए गए पारगमन अनुज्ञापत्रों की प्राप्ति का परिवीक्षण करने के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त, जिला खनिज कार्यालय ग्वालियर तथा होशंगाबाद द्वारा जारी पारगमन अनुज्ञापत्रों में गम्भीर विसंगतियां पाई गईं । खनिज परिवहन हेतु अधिक संख्यांकित पारगमन अनुज्ञापत्रों का उपयोग पहले तथा कम संख्यांकित पारगमन अनुज्ञापत्र का उपयोग बाद में एक ही दिनांक को

[15] अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर,छिंदवाड़ा, दमोह, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मुरैना, रीवा, सागर, सीधी तथा उमरिया ।

किया जाना दर्शाया गया जैसा कि नीचे देखा जा सकता है :



इसके अतिरिक्त, 100 पारगमन अनुज्ञापत्रों की नमूना जांच में, 22 पारगमन अनुज्ञापत्रों में वाहनों के नम्बर अंकित नहीं थे । पारगमन अनुज्ञापत्रों में अंकित गाड़ियों के पंजीयन क्रमांक का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मुरैना, होशंगाबाद तथा कटनी के अभिलेखों से प्रतिसत्यापन किए जाने पर पता चला कि नमूना जांच किए गए 4,150 पारगमन अनुज्ञापत्रों में से 47 प्रकरणों में खनिजों का परिवहन टैक्टरों द्वारा किया जाना दर्शाया गया था । इन 47 प्रकरणों में 43 पंजीयन क्रमांक मोटर साइकिलों के थे । तीन क्रमांक हल्के मोटर वाहनों के थे तथा एक क्रमांक बस का था ।

शासन द्वारा एक ऐसी प्रणाली निर्धारित किए जाने पर विचार किया जा सकता है जिसमें पारगमन अनुज्ञापत्रों में प्रविष्ट किए गए विवरणों को प्रत्येक माह पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों के साथ प्रतिसत्यापित किया जा सके ।

शासन द्वारा जारी किए गए तथा कलेक्टर तथा संचालनालय स्तर पर अभ्यर्पित किए गए पारगमन अनुज्ञापत्रों की संख्या पर एक विवरणी निर्धारित करने पर भी विचार किया जा सकता है।

7.2.12 पट्टाधारकों द्वारा स्टॉक छिपाने के कारण राजस्व की वसूली न होना

खनिज रियायत नियमावली के अनुसार, प्रत्येक खान का स्वामी/पट्टाधारक आदि उत्खनित एवं रवाना किये गये खनिजों की मासिक एवं वार्षिक विवरणियां विभाग को प्रस्तुत करेगा । इसके अतिरिक्त, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली के नियम 45 में प्रावधान है कि प्रत्येक

खान का स्वामी/अभिकर्ता प्रत्येक खान के संबंध में मासिक एवं वार्षिक विवरणियां महानियंत्रक, खान नियंत्रक तथा क्षेत्रीय नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा जिनके द्वारा उन्हें भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत किया जाएगा । लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि जिला खनिज कार्यालयों के आंकड़ों को खान नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के आंकड़ों के साथ प्रति सत्यापन हेतु कोई निर्धारित क्रियाविधि नहीं थी ।

पांच[16] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि खनन पट्टाधारकों ने विभाग को प्रस्तुत की गई अपनी वार्षिक विवरणियों में अप्रैल 2004 से मार्च 2006 तक की अवधि के दौरान निष्कासित खनिजों की मात्रा 84.282 लाख टन दर्शाई थी जबकि उन्हीं पट्टाधारकों द्वारा भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत वार्षिक विवरणियों में उसी अवधि के दौरान निष्कासित खनिजों की मात्रा 87.873 लाख टन दर्शाई गई थी। इस प्रकार पट्टाधारकों द्वारा खनिज स्टॉक की मात्रा 3.591 लाख टन कम दर्शाये जाने के परिणामस्वरूप, नीचे दिये गये विवरणानुसार, 1.03 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई :

क्र.सं.	जिले का नाम	खनिज का नाम	गणना की अवधि	पट्टाधारकों द्वारा वार्षिक विवरणी में दर्शाई गई खनिज की मात्रा (लाख टन में)	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दर्शाई गई खनिज की मात्रा (लाख टन में)	अंतर (लाख टन में)	राज्यांश की राशि (लाख रु. में)
1.	सागर	रॉक फास्फेट	2005-06	1.125	1.333	0.008	0.56
2.	दमोह	लाइम स्टोन	2004-06	39.02	39.77	0.75	33.50
3.	झाबुआ	रॉक फास्फेट	2004-05	0.64	0.66	0.02	0.39
4.	नीमच	लाइम स्टोन	2004-05	43.257	43.26	0.003	0.12
5.	छतरपुर	डायस्पोर	2004-06	0.02	0.22	0.20	8.98
		पायरोफायलाइट	2004-06	0.22	2.83	2.61	59.01
				84.282	**87.873**	**3.591**	**102.56**

खनिजों की निष्कासित मात्रा को कम दर्शाये जाने तथा परिणामस्वरूप राजस्व की हानि पर रोक लगाने के लिए पट्टाधारकों द्वारा मासिक तथा वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के प्रति सत्यापन हेतु शासन द्वारा क्षेत्रीय खान नियंत्रक/भारतीय खान ब्यूरो के साथ समन्वय स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है ।

[16] छतरपुर, दमोह, झाबुआ, नीमच, तथा सागर ।

7.2.13 निष्क्रिय खनन पट्टों के निरस्तीकरण का परिवीक्षण न किया जाना

7.2.13.1 खनिज रियायत नियमावली के अनुसार यदि कोई पट्टाधारक पट्टा विलेख के निष्पादन दिनांक से एक वर्ष के भीतर खनन कार्य प्रारम्भ नहीं करता है या खनन कार्य एक बार प्रारम्भ होने के पश्चात् एक वर्ष की सतत अवधि के लिए रोक दिया जाता है, तो राज्य शासन के आदेश द्वारा खनन पट्टे को व्यपगत घोषित किया जा सकता है । यह देखा गया कि इस प्रावधान के सामायिक/समयबद्ध अनुपालन के परिवीक्षण हेतु विभाग में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था । इस अभिलेख के अभाव के साथ साथ मांग एवं वसूली पंजी का संधारण न किये जाने के कारण विभाग व्यपगत पट्टों के इन प्रकरणों का पता नहीं लगा सका ।

जिला खनन कार्यालय, बालाघाट, कटनी तथा रीवा के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 125 पट्टाधारकों ने, जिन्हें अप्रैल 1984 तथा जनवरी 2005 के मध्य 871.250 हैक्टेयर के खनन पट्टे स्वीकृत किये गये थे, अप्रैल 1984 तथा मार्च 2008 के मध्य खनन कार्य रोक दिया था, लेकिन उनके पट्टों को समाप्त करने तथा उन्हें अन्य पट्टाधारकों को आवंटित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई । यदि इन पट्टों को नये सिरे से स्वीकृत किया गया होता तो शासन द्वारा राज्यांश, अनिवार्य किराये तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में राजस्व अर्जित किया जा सकता था।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला खनिज अधिकारी, बालाघाट तथा रीवा ने बताया (अप्रैल 2008) कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । जिला खनिज अधिकारी, कटनी ने बताया (मार्च 2008) कि प्रकरण शासन के पास लंबित हैं ।

7.2.13.2 गौण खनिज नियमावली के अनुसार यदि पट्टाधारक एक साल से अधिक की अवधि तक खनन कार्य प्रारम्भ करने में असमर्थ है या किसी कलैन्डर वर्ष के दौरान प्रारम्भ करने के पश्चात 6 माह की संचित अवधि तक खनन कार्य जारी रखने में असमर्थ है तो स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के आदेश द्वारा खदान को व्यपगत घोषित कर इस संबंध में पट्टाधारक को सूचित किया जा सकता है ।

जिला खनिज कार्यालयों, कटनी तथा रीवा के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 43 पट्टाधारकों ने जून 2000 से अक्टूबर 2006 तक खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया था, लेकिन विभाग ने उनके पट्टों को व्यपगत घोषित करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी ।

निष्क्रिय खनन पट्टों के समय पर निरस्तीकरण तथा राजस्व में वृद्धि हेतु इन पट्टों के पुनर्व्यवस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा उपयुक्त क्रियाविधि निर्धारित किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकता है ।

7.2.14 खनिज व्यवसाय अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना

मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियमों के अध्याय–चार के नियम 7(1) के अनुसार, खनिज व्यवसाय अनुज्ञप्तियां खनिजों का भण्डारण करने के इच्छुक व्यवसाईयों को जारी की जाती हैं । हालांकि, आवेदनों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं ।

11[17] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 2006–07 के दौरान प्राप्त 335 आवेदनों में से केवल 34 अनुज्ञप्तियां जारी की गई । आवेदनों के समयबद्ध निराकरण का परिवीक्षण करने के लिए किसी क्रियाविधि के अभाव के कारण विभाग इन आवेदनों के निराकरण न किये जाने की स्थिति से अनभिज्ञ रहा । व्यवसाय अनुज्ञप्तियों के निराकरण हेतु समय सीमा निर्धारित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता हैं ।

7.2.15 आन्तरिक लेखापरीक्षा

किसी विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा इसकी आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अवयव है तथा सामान्यतः इसे नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने में सहायक होता है कि निर्धारित प्रणालियां यथोचित रूप से कार्यरत हैं ।

यह अवलोकित किया गया कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी । आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अभाव को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 1996 तथा 1997 में प्रकाशित खनन विभाग की समीक्षाओं में इंगित किया गया था ।

अधिनियमों के प्रावधानों, नियमों तथा अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा राजस्व की हानि को रोकने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता है ।

7.2.16 अपर्याप्त निरीक्षण

मार्च 1978 में संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिये कि पट्टाधारकों द्वारा पट्टा विलेखों में निर्धारित निबंधन और शर्तों का पालन किया जा रहा है, तथा खनिजों का उत्खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर से नहीं किया जा रहा है और पट्टा क्षेत्र का उचित रूप से सीमांकन किया गया हैं, खनिज निरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल से सितम्बर तथा अक्टूबर से मार्च के मध्य प्रत्येक छः माह में एक बार अपने क्षेत्र की खानों का निरीक्षण किया जाना अपेक्षित हैं । लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि खनन निरीक्षक द्वारा किसी अवधि के दौरान किये गये निरीक्षणों की संख्या का विवरण दर्शाने वाला

[17] अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, रीवा, सागर, सीधी तथा उमरिया ।

कोई प्रतिवेदन/विवरणी उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित नहीं किया गया था ।

15[18] जिला खनिज अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि विगत पांच वर्षो के दौरान निरीक्षण में 59 से 65 प्रतिशत की निरन्तर कमी पाई गई ।

प्रभावी परिवीक्षण हेतु खनिज निरीक्षक द्वारा उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवेदन/विवरणी निर्धारित किये जाने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता हैं ।

अनुपालन संबंधी विषय

7.2.17 निर्धारण को अंतिम रूप न दिया जाना

सितम्बर 2005 में संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष पट्टों का निर्धारण प्रत्येक छः माह बाद अर्थात जून तथा सितम्बर में किया जाएगा तथा निर्धारण की प्रक्रिया छः माह की अवधियों के पूर्ण हो जाने से एक माह के भीतर पूरी की जानी चाहिए ।

17[19] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 2003–04 से 2007–08 की अवधि हेतु 13,918 पट्टों में से 9,611 पट्टों (69 प्रतिशत) के संबंध में आवधिक निर्धारणों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था । इसके अतिरिक्त, जिला खनिज कार्यालयों, होशंगाबाद तथा सागर के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि जनवरी 1996 से जून 2006 की अवधि से संबंधित 247 निर्धारणों को, जिनमें 13.06 करोड़ रुपये का राजस्व अंतर्निहित था, जनवरी 2003 से अगस्त 2007 के मध्य संबंधित खनिज अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया, लेकिन उन्हें जिला खनिज अधिकारियों/कलेक्टरों से अनुमोदित नहीं कराया गया । निर्धारण का अनुमोदन लंबित होने के कारण न तो विभाग द्वारा और न ही लेखापरीक्षा द्वारा बकाया राजस्व की स्थिति का निर्धारण किया जा सका ।

7.2.18 सड़क विकास कर का अनिर्धारण/ कम निर्धारण

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005 की धारा 3(2) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान किये गये राज्यांश की राशि की कटौती करने के पश्चात उत्खनित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से तथा निष्क्रिय खानों के प्रकरणों में 4,000 रुपये प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष की दर से सड़क विकास कर की वसूली खनन पट्टाधारकों से की जानी है । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि सक्षम

18 अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मुरैना, रीवा, सागर, सीधी तथा उमरिया ।

19 अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मुरैना, रीवा, सागर, सतना, शहडोल, सीधी तथा उमरिया ।

प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष मई के अंत में पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियों/लेखाओं के आधार पर खनिजों के विक्रय मूल्य का निर्धारण करने के बाद कर का निर्धारण एवं उसकी मांग करेगा ।

नौ[20] जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि अक्टूबर 2005 से फरवरी 2008 की अवधि से संबंधित 19 खनन पट्टों के संबंध में सड़क विकास कर का निर्धारण न किये जाने के परिणामस्वरूप 281.90 करोड़ रुपये के मांग सूचना पत्र जारी नहीं किये गये । इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा 63 खनन पट्टों के संबंध में सड़क विकास कर का निर्धारण अक्टूबर 2005 से दिसम्बर 2007 की अवधि के दौरान उत्खनित खनिजों के बाजार मूल्य के बजाय कथित अवधि के दौरान रवाना किये गये खनिजों के बाजार मूल्य के आधार पर किया गया । इसके परिणामस्वरूप 45.40 करोड़ रुपये के कर का कम निर्धारण हुआ ।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर बैतूल, दमोह तथा कटनी को छोड़कर सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि संशोधित मांग सूचना पत्र जारी किये जाएंगे । जिला खनिज अधिकारी, बैतूल, दमोह तथा कटनी ने बताया कि संवीक्षा के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी ।

7.2.19 संविदा राशि की कम वसूली/हानि

व्यापारिक खदान के संविदा अनुबंध की शर्त क्र. 5(i) तथा 9 के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित तिथि तक संविदा राशि[21] का भुगतान करना होता हैं । यदि ठेकेदार तीन माह की अवधि तक संविदा राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसकी संविदा को निरस्त कर खदान की पुनर्नीलामी की जा सकेगी । खदान की पुनर्नीलामी के परिणामस्वरूप यदि शासन को कोई हानि होती है तो चूककर्ता ठेकेदारों से उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी ।

14[22] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 97 ठेकेदारों ने अप्रैल 2005 से मार्च 2008 की अवधि हेतु 2.15 करोड़ रुपये की देय राशि के विरूद्ध 1.39 करोड़ रुपये की संविदा राशि का भुगतान किया । इसके परिणामस्वरूप 76.27 लाख रुपये की संविदा राशि की कम वसूली हुई । यद्यपि ठेकेदारों ने संविदाओं के प्रारम्भ से ही संविदा राशि का भुगतान करने में चूक की थी, फिर भी विभाग ने संविदा की शर्तो के अंतर्गत संविदा को निरस्त करने तथा उनकी पुनर्नीलामी करने के लिए ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी ।

20 अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, कटनी, रीवा, सीधी तथा उमरिया ।

21 संविदा के बदले में ठेकेदार द्वारा भुगतान की गई राशि ।

22 अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, मुरैना, रीवा, सागर, सतना, शहडोल तथा उमरिया ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर सभी जिला खनिज अधिकारियों ने सितम्बर 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य बताया कि वसूली की कार्रवाई की जाएगी ।

आगे, यह अवलोकित किया गया कि अनूपपुर तथा मुरैना जिला खनिज कार्यालयों में 8.28 लाख रुपये की संविदा राशि के आरोपण पर अप्रैल 2005 से मार्च 2007 की अवधि हेतु चार व्यापारिक खदानों की नीलामी की गई थी । यद्यपि ठेकेदारों ने निर्धारित अवधि के भीतर संविदा अनुबंध निष्पादित नहीं किया था, फिर भी विभाग ने संविदाओं को निरस्त कर खदानों की पुनर्नीलामी नहीं की थी । इसके परिणामस्वरूप 8.28 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, अनूपपुर ने बताया (फरवरी 2008) कि खदानों को 2007–09 की नीलामी में शामिल किया गया था । जिला खनिज अधिकारी, मुरैना ने बताया (जनवरी 2008) कि पुनर्नीलामी की जाएगी । उत्तर में संविदा अनुबंध की शर्त के अनुसार अप्रैल 2005 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान खदानों की पुनर्नीलामी नहीं करने का कारण नहीं बताया गया ।

7.2.20 अस्थायी अनुज्ञापत्रों का अनियमित रूप से जारी किया जाना

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 68(1) के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग तथा उपक्रम के कार्य हेतु वांछित किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से किसी गौण खनिज के उत्खनन, निष्कासन तथा परिवहन के लिए कलेक्टर द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी । उपनियम (3) में यह भी प्रावधान है कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दरों से गणना किये गये अग्रिम राज्यांश का भुगतान करने पर ही ऐसी अनुमति जारी की जा सकेगी।

पांच[23] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि दिसम्बर 2004 तथा नवम्बर 2007 के मध्य छः ठेकेदारों को सड़क निर्माण हेतु सात अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी किये गये, जिनमें 4.62 लाख घन मीटर रोड मेटल, 42,000 लाख घन मीटर मुरम, 2.93 लाख घन मीटर पत्थर तथा 6,000 घन मीटर रेत के निर्माण कार्य शामिल थे । विभाग ने अनुज्ञापत्रों में दर्शाई गयी खनिजों की मात्रा पर आरोपणीय अग्रिम राज्यांश वसूल नहीं किया था । उक्त ठेकेदार ने 2.18 करोड़ रुपये के देय राज्यांश के विरूद्ध 81.90 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 1.36 करोड़ रुपये के राजस्व की कम वसूली हुई ।

इसे इंगित किये जाने पर कटनी को छोड़कर सभी जिला खनिज अधिकारियों ने जनवरी तथा अप्रैल 2008 के मध्य बताया कि वसूली की कार्रवाई की जाएगी । जिला खनिज अधिकारी, कटनी ने बताया (मार्च 2008) कि कार्यस्थल पर, जिसके लिये अनुज्ञापत्र जारी किया गया था, वह निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इसलिए ठेकेदारों ने अनुज्ञापत्र के निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया था । उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि अग्रिम राज्यांश की वसूली के

[23] बालाघाट, कटनी, मुरैना, रीवा तथा सागर ।

बिना अनुज्ञापत्र जारी किया जाना अनियमित था तथा राज्यांश की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने के बजाय जिला खनिज अधिकारी ने अनुज्ञापत्र के निरस्तीकरण हेतु ठेकेदार के आवेदन को अनियमित रूप से स्वीकार किया था।

7.2.21 मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा राज्यांश का कम भुगतान

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली के नियम 30(i)(6) के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारक को उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये/उपभोग किये गये खनिजों के संबंध में अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दरों पर राज्यांश का भुगतान करना होगा ।

जिला खनिज कार्यालय होशंगाबाद के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम ने, जिसके लिये राज्य शासन द्वारा 1,057.281 हैक्टेयर क्षेत्रफल के भीतर 35 खदानों से रेत के उत्खनन के अधिकार आरक्षित किये गये थे, 24 मई 2003 से 23 मई 2006 की अवधि हेतु 56.91 लाख घन मीटर खनिज की न्यूनतम मात्रा पर राज्यांश के आरोपण पर रेत के उत्खनन तथा निष्कासन हेतु मैसर्स नर्वदा एंटरप्राइजेज के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे । ठेकेदार को खानों से उठाये जाने वाले खनिजों की न्यूनतम मात्रा पर 42.66 करोड़ रुपये के राज्यांश का भुगतान निगम को करना पड़ा, जबकि निगम ने शासन को 30.32 लाख घन मीटर पर देय 34.68 करोड़ रुपये के राज्यांश का भुगतान किया था । इस प्रकार निगम ने 7.98 करोड़ रुपये के राज्यांश का कम भुगतान किया । विभाग ने संविदा की शर्तों को निगम द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक विवरणी के साथ प्रति–सत्यापित नहीं किया ।

प्रकरण इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, होशंगाबाद ने बताया (फरवरी 2008) कि निगम से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी ।

7.2.22 विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

खनिज रियायत नियमावली के अनुसार यदि खनन पट्टाधारक नियत तिथि पर राज्यांश का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह भुगतान की नियत तिथि के 60 वें दिन से भुगतान के दिनांक तक 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा । इसके अतिरिक्त, म.प्र. गौण खनिज नियमावली के अनुसार यदि खदान पट्टाधारक तथा किसी व्यापारिक खदान का ठेकेदार नियत तिथियों तक अनिवार्य किराये/राज्यांश/संविदा राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो वे 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने के दायी होंगे ।

सात[24] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि खनन पट्टों के दो पट्टाधारकों, खदान पट्टों के 21 पट्टाधारकों तथा व्यापारिक खदानों के 47 ठेकेदारों ने एक से 687 दिनों के विलम्ब से भुगतान किया था । विभाग ने विलंबित भुगतानों पर ब्याज के

[24] बालाघाट, छतरपुर, कटनी, रीवा, सतना, शहडोल तथा सीधी ।

आरोपण हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी । इसके परिणामस्वरूप 10.86 लाख रुपये के ब्याज का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर सभी जिला खनिज अधिकारियों ने सितम्बर 2007 तथा अप्रैल 2008 के मध्य बताया कि वसूली की कार्रवाई की जाएगी ।

7.2.23 जांच चौकियों की स्थापना न किया जाना

मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियमावली के अध्याय तीन के नियम 6 के अनुसार खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए खनिजों के परिवहन की जांच करने हेतु जांच चौकियों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है ।

11[25] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि उपरोक्त नियमों के जारी किये जाने के समय से ही किसी भी जिला खनन कार्यालय में किसी चौकी की स्थापना नहीं की गई थी ।

7.2.24 निष्कर्ष

खनन प्राप्तियों के आरोपण, निर्धारण तथा वसूली हेतु खनन विभाग द्वारा संस्थापित प्रणालियां अपर्याप्त थीं । पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा किया गया कार्य, पट्टाधारकों द्वारा मासिक, वार्षिक विवरणियों का प्रस्तुतीकरण, मांग एवं वसूली पंजी का संधारण, परिवहन अनुज्ञापत्रों को जारी तथा अभ्यर्पित किये जाने जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों के परिवीक्षण के अभाव के फलस्वरूप प्रणाली राजस्व हानि को रोकने के लिए असुरक्षित थी । राजस्व की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय खान नियंत्रक/भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त आंकड़ो के प्रति–सत्यापन हेतु कोई प्रणाली नहीं थी । खनन देय राशियों के संग्रहण की प्रणाली कामचलाऊ/तदर्थ थी तथा विभाग पट्टाधारकों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ो को स्वीकार करता रहा है । विवरणियों की संवीक्षा न किये जाने तथा खतौनियों के अनुचित संधारण के कारण विवरिणयों में कमियों का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके फलस्वरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई । निर्धारण काफी समय से लंबित थे, जबकि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी जो यथोचित रूप से यह सुनिश्चित कर सके कि प्रणालियां निर्धारित नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप खनन प्राप्तियों की बड़ी राशि का निर्धारण तथा वसूली नहीं हुई/ कम निर्धारण तथा वसूली हुई ।

[25] अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, रीवा, सागर, सीधी तथा उमरिया ।

7.2.25 सिफारिशों का सारांश

प्रणाली तथा अनुपालन संबंधी कमियों में सुधार करने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार किया जा सकता है :

- पूर्वेक्षण गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्तिधारकों से प्रतिवेदनों की प्राप्ति का परिवीक्षण करने के लिए उपयुक्त अभिलेखों के संधारण को निर्धारित किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए;
- खतौनी के उचित संधारण के प्रभावी परिवीक्षण हेतु निर्धारित समयांतरालों पर कलेक्टर तथा संचालनालय को इसके प्रस्तुतीकरण को निर्धारित करने पर शासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए । विभिन्न समयांतरालों पर खतौनी के अप्रत्याशित निरीक्षण पर भी विचार किया जाना चाहिए ;
- शासन को एक ऐसी प्रणाली निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए जिसमें परिवहन अनुज्ञापत्र में प्रविष्ट किये गये आंकड़ों को प्रत्येक माह पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियों से प्रति–सत्यापित किया जा सके । जारी किये गये तथा कलेक्टर एवं संचालनालय स्तर पर अभ्यार्पित किये गये परिवहन अनुज्ञापत्रों की संख्या से संबंधित विवरणी निर्धारित करने पर भी शासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए ;
- खनिजों के उत्खनन को कम दर्शाने एवं परिणामस्वरूप राजस्व की हानि को रोकने के लिए पट्टाधारकों द्वारा मासिक तथा वार्षिक आधार पर प्रस्तुत आंकड़ों के प्रति-सत्यापन हेतु क्षेत्रीय खान नियंत्रक/भारतीय खान ब्यूरो के साथ समन्वय स्थापित करने पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है; और
- विभाग में एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना करना ।

अध्याय – 8 : अन्य कर – भिन्न प्राप्तियां

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2007–08 के दौरान सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि तथा विद्युत शुल्क विभागों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 1,85,047 प्रकरणों में 39.43 करोड़ रूपये की राशि के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली एवं हानि प्रकट हुई, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
	क : विद्युत शुल्क		
1.	विकास उपकर की कम वसूली	2	00.53
2.	विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किए जाने के कारण राजस्व की हानि	1,68,050	00.43
3.	अन्य	15,566	16.29
	योग	**1,83,618**	**17.25**
	ख : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
1.	अभिग्रहीत माल का निवर्तन न होना	241	1.89
2.	ऋण के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	5	0.16
3.	अन्य	292	3.97
	योग	**538**	**6.02**
	ग : सहकारिता विभाग		
1.	अंकेक्षण शुल्क की वसूली न होना/कम वसूली	831	1.29
2.	अन्य	27	13.20
	योग	**858**	**14.49**

घ : कृषि विभाग			
1.	राजस्व का कोषालय में जमा न करना	10	1.55
2.	अन्य	23	0.12
	योग	**33**	**1.67**
	महायोग (क+ख +ग+घ)	**1,85,047**	**39.43**

वर्ष 2007–08 के दौरान विभागों ने 56,333 प्रकरणों में अंतर्निहित 20.62 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया जिसमें से 18.58 करोड़ रूपये से अंतर्निहित 56,292 प्रकरण वर्ष 2007–08 के दौरान इंगित किये गये तथा शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षो से संबंधित थे । 39 प्रकरणों में 2.08 करोड़ रूपये की राशि वसूल की गयी है ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 2.15 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

क : विद्युत शुल्क

8.2 निरीक्षण फीस की वसूली न होना

भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46 एवं मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 1987 के अनुसार, विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिए उनकी श्रेणियों के अनुसार निर्धारित दरों पर फीस आरोपणीय है । प्रत्येक वर्ष 01 मई से पहले विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिए फीस का भुगतान किया जाना चाहिए । यदि निरीक्षण नहीं किया जाता है तो भुगतान की गई फीस का समायोजन अनुवर्ती वर्ष हेतु देय फीस में किया जाएगा । मध्यम वोल्टेज की विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण तीन वर्ष में एक बार तथा अन्य प्रकरणों में यह वर्ष में एक बार किया जाता हैं ।

अप्रैल 2007 एवं फरवरी 2008 के मध्य मुख्य अभियंता, विद्युत सुरक्षा एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल एवं तीन[1] सम्भागीय विद्युत निरीक्षकों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2003–04 से 2006–07 की अवधि के दौरान 2.61 लाख मध्यम वोल्टेज तथा 45000 उच्च वोल्टेज विद्युत संस्थापनाओं के लिए निरीक्षण फीस 1.31 करोड़ रूपये की वसूली विद्युत संस्थापनाओं के स्वामियों से नहीं की गयी । इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निरीक्षण भी नहीं किये गये । इसके परिणामस्वरूप 1.31 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई, जिसका

[1] ग्वालियर, रतलाम और रीवा

विवरण निम्नानुसार है :

क्र.स.	श्रेणी	वर्ष	विद्युत संस्थापनाओं की संख्या जिन का निरीक्षण किया जाना था (लाख में)	प्रत्येक वर्ष की पहली मई से पूर्व वसूल की जाने वाली निरीक्षण फीस (लाख रू. में)	वसूल की गई फीस (लाख रू. में)	वसूल न की गई फीस की राशि (लाख रू. में)	किया गया निरीक्षण (लाख में)	निरीक्षण में कमी (लाख में)
1.	उच्च वोल्टेज	2004-05	0.22	44.95	28.70	16.25	0.13	0.09
		2005-06	0.20	43.31	16.79	26.52	0.14	0.06
		2006-07	0.62	133.55	76.16	57.39	0.31	0.31
2.	मध्यम वोल्टेज	2003-04	0.08	0.92	0.22	0.70	0.02	0.06
		2004-05	0.44	5.25	0.95	4.30	0.08	0.36
		2005-06	0.92	11.06	1.38	9.68	0.12	0.80
		2006-07	1.56	18.78	2.15	16.63	0.17	1.39
योग				**257.82**	**126.35**	**131.47**		

प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद, शासन ने उत्तर दिया (जून 2008) कि लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उपलब्ध स्टाफ को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया जा रहा है । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासकीय अधिसूचना के अनुसार निरीक्षण फीस की वसूली प्रत्येक वर्ष 01 मई से पहले की जानी थी और यदि निरीक्षण नहीं किया जाता है तो यह अनुवर्ती वर्ष के लिए अग्रेषित की जानी थी । पुनश्च, यद्यपि लक्ष्य निर्धारित करने का आधार मांगा गया था, (अगस्त 2008) लेकिन सूचित नहीं किया गया है (दिसम्बर 2008) ।

8.3 शास्ति का अनारोपण

भारतीय विद्युत नियमों के नियम 141 के तहत, यदि किसी विद्युत संस्थापना का स्वामी नियम के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह प्रत्येक उल्लंघन के लिए 300 रूपये शास्ति के भुगतान का दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो वह उल्लंघन रहने तक 50 रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।

जनवरी 2008 में सम्भागीय विद्युत निरीक्षण, रतलाम के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान 15,343 विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण करते समय यद्यपि निरीक्षकों ने नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन संसूचित किया परन्तु चूककर्ताओं पर शास्ति अधिरोपण के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये । इसके परिणामस्वरूप 46.03 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद संभागीय विद्युत निरीक्षक, रतलाम ने बताया (जनवरी 2008) कि निरीक्षण के दौरान विद्युत संस्थापनाओं के संबंधित स्वामियों को नियमों

का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है तथा प्रकरणों को उच्च प्राधिकारियों को भेजा जाएगा। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008)।

प्रकरण मुख्य अभियंता एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा शासन को मार्च तथा अप्रैल 2008 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (दिसम्बर 2008) ।

8.4 विभाग की निष्क्रियता के कारण राजस्व का निरूद्ध होना

मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 की धारा 5(2) के अनुसार, कोई भी शुल्क तथा उस पर ब्याज, यदि कोई हो,जो भुगतान के लिए शेष है, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा ।

फरवरी 2008 में मुख्य अभियंता तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल एवं सम्भागीय विद्युत निरीक्षक, रीवा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि छः प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं/वितरकों के संबंध में 1984–85 से 2006–07 की अवधि हेतु विद्युत शुल्क, उस पर ब्याज तथा निरीक्षण फीस के रूप में 41.34 लाख रूपये का राजस्व भुगतान के लिए शेष था । इनमें से, जुलाई 1997 से जुलाई 2001 की अवधि से संबंधित 28.92 लाख रूपये की वसूली के दो प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र मार्च 2004 में जारी किया गया । लेकिन लेखापरीक्षा के दौरान यह अवलोकन किया गया कि विभाग द्वारा जारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र, राजस्व वसूली अधिकारी अर्थात तहसीलदार हुजूर, भोपाल को फरवरी 2008 तक प्राप्त नहीं हुए थे जिसकी पुष्टि तहसील कार्यालय से की गई । एक अन्य प्रकरण में, जेनरेटरों के मालिकों से 3.16 लाख रूपये की वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जनवरी 2006 में जारी किया गया था । लेकिन विभाग ने राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात तहसील कार्यालय से सत्यापन कर प्रकरणों का परिवीक्षण नहीं किया था । आगे यह देखा गया कि ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित दो प्रकरणों में विभाग ने 8.82 लाख रूपये की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी यद्यपि 1984–85 से 2006–07 तक इसकी वसूली की जानी शेष थी । परिणामस्वरूप, एक से लेकर 22 वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद भी वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप 41.34 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, मुख्य विद्युत निरीक्षक भोपाल ने फरवरी 2008 में बताया कि कलेक्ट्रेट/तहसील में राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों की प्राप्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

प्रकरण फरवरी तथा अप्रैल 2008 के मध्य मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (दिसम्बर 2008) ।

8.5 विद्युत शुल्क का कम आरोपण

मध्य प्रदेश विद्युत अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक तथा प्रत्येक उत्पादक बेची गई या उपभोक्ता को प्रदाय की गई या उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा की यूनिटों पर विनिर्दिष्ट दर से परिकलित शुल्क का प्रत्येक माह निर्धारित तरीके से निर्धारित समय पर राज्य शासन को भुगतान करेगा । इसके अतिरिक्त वर्ष 2006–07 के लिए औद्योगिक शक्ति संयंत्र सहायकों की खपत हेतु आरोपणीय विद्युत दर सूची के आठ प्रतिशत अर्थात् 375 पैसे प्रति यूनिट की दर से शुल्क आरोपणीय है ।

जनवरी 2008 में मुख्य अभियंता तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2006–07 के दौरान भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की तीन इकाईयों[2] द्वारा 301.05 लाख यूनिट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं खपत की गई । खपत की गई विद्युत ऊर्जा पर आरोपणीय शुल्क 90.32 लाख रूपये के विरूद्ध विभाग द्वारा 73.70 लाख रूपये का शुल्क आरोपित किया गया । इस प्रकार विभाग द्वारा 16.62 लाख रूपये की राशि आरोपित नहीं की गई थी ।

मार्च तथा अप्रैल 2008 में मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (दिसम्बर 2008) ।

[2] झाबुआ, उज्जैन तथा विजयपुर ।

ख : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

8.6 ऋण के विलंबित भुगतान/पुनर्भुगतान न करने पर ब्याज का अनारोपण

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मई 2001 के अनुदेशों के अनुसार अगम्य क्षेत्रों में खाद्यान्न के भण्डारण एवं वितरण के लिए राज्य के विभिन्न जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (जि.के.स.बैं.) को प्रदाय किए गए ऋणों का उसी वर्ष के 31 अक्टूबर तक पुनर्भुगतान किया जाना हैं । चूक होने की स्थिति में वर्ष की 1 नवम्बर से भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रभारणीय हैं ।

अप्रैल एवं अक्टूबर 2007 के मध्य दो जिला आपूर्ति कार्यालय शहडोल एवं सिवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान अगम्य क्षेत्रों में खाद्यान्न एकत्रित करने एवं भण्डारण हेतु 3.15 करोड़ रूपयें के ऋण जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक शहडोल एवं सिवनी को प्रदाय किए गये थे। इसमें से 6.25 लाख रूपये का ऋण जि.के.स. बैंक शहडोल द्वारा वापस नहीं किया गया (सितम्बर 2007) । इसके अतिरिक्त, बैंको द्वारा इस ऋण की वापसी प्रति वर्ष दो से 740 दिनों की विलम्बित अवधि के पश्चात की गई । ऋण की भुगतान न की गई राशि पर सितम्बर 2007 तक परिकलित उपार्जित ब्याज 6.66 लाख रूपये एवं विलंबित भुगतान पर 8.24 लाख रूपये ब्याज आरोपित नहीं किया गया । इसके परिणामस्वरूप 21.15 लाख रूपये के राजस्व का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर दोनो जिला आपूर्ति अधिकारियों ने अप्रैल से अक्टूबर 2007 के मध्य बताया कि बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई की जा रही है, आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

प्रकरण संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, भोपाल तथा शासन को मई 2007 एवं अप्रैल 2008 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2008) ।

मौसुमी रा.भ/.

(मौसुमी राय भट्टाचार्य्य)
महालेखाकार
(निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

भोपाल,
दिनांक 2 - FEB 2009

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
दिनांक 4 - FEB 2009